खण्ड-172, अंक-5
सोमवार, 17 वैशाख, शक संवत् 1878
(7 मई, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 172 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार ७ मई, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२३१)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
किन्दरलाल, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोबर्धन तिवारी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदाऊं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्ला राम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री

तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन बाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह श्री (गोंडा)
बलवीर सिंह, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबू राम गुप्त, श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
विशम्भर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवानदीन बाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा,
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री

रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामभजन, श्री
राम मूर्ति, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
बिष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
बजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्री कृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ७ मई, १९५६

तारांकित प्रश्न

*१-२--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--[२८ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

जालौन जिले में गेरुआ लगने से गेहूं की फसल को क्षति

*३--श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला जालौन में गेहूं की फसल में बहुत जोरों से गेरुआ लग जाने के कारण इस वर्ष की गेहूं की फसल में अपार क्षति हो गयी है ?

कृषि मंत्री के सभासचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)--जी हां, इस वर्ष जिला जालौन में गेहूं कठिया की फस्ल में गेरुवा लग गया था । परन्तु उससे फस्ल को कोई विशेष क्षति नहीं हुयी ।

*४--श्री बसन्तलाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गेरुआ से गेहूं की फसल को हानि से बचाने के लिये जिला जालौन के काश्तकारों की तरफ से सरकार के पास प्रार्थना-पत्र आये हैं ? अगर हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी नहीं सरकार के पास जालौन के काश्तकारों का कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया । जिलाधीश जालौन के कुछ पत्र अवश्य प्राप्त हुये थे, जिन पर जांच करने के उपरान्त यह विदित हुआ कि हानि ४ आने से कम थी । अतः माफी लगान अथवा अन्य सहायता के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

श्री बसन्तलाल--क्या सरकार को ज्ञात है कि जिन काश्तकारों ने कठिया गेहूं की फसल में अपने खेतों में नहर का पानी दिया उनके खेतों में गिरुवा लग जाने से संबंधित काश्तकारों को आधी से ज्यादा फसल खराब हो गयी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--आधा तो नहीं, चार आने से कम ही नुकसान हुआ है ।

श्री बसन्त लाल--क्या सरकार जिन खेतों में यह आबपाशी हुयी है उनकी जांच कराने की कृपा करेगी कि उनमें आधे से ज्यादा नुकसान हुआ है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जैसा कि जवाब में कहा गया कि जिलाधीश द्वारा जांच कराई जाती है और जांच कराने पर जो इत्तिला देता है उसके लिहाज से यह कहा जा रहा है कि चार आने से कम नुकसान हुआ है । बात यह है कि गिरुवा लगा तो जरूर लेकिन बाद में पानी बरस गया । पानी बरसने से गिरुवी धुल गयी ।

*५-७--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--[४ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

तराई बंगाली उद्वस्ती समिति दिनेशपुर द्वारा शरणार्थी बंगालियों की मांगें

*८--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार के पास तराई बंगाली उद्वस्ती समिति दिनेशपुर द्वारा तराई में बसे शरणार्थी बंगालियों की ओर से कुछ मांगें भेजी गयी हैं ? अगर हां, तो वे क्या हैं, और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी––हां, समय समय पर तराई बंगाली उद्वस्ती समिति द्वारा भेजी गयी कुछ मांगें सरकार को प्राप्त हुयी हैं। ये मांगें तथा उन पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३९५–३९७ पर)

*९––**श्री नारायणदत्त तिवारी**––क्या सरकार के पास यह मांग आयी है कि तराई की बंगाली कालोनी के प्रत्येक गांव में एक मछली पालने का तालाब बनाया जाय? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी––नहीं। किन्तु तराई उद्वस्ती बंगाली समिति ने यह मांग अवश्य की है कि मछली पालने के तालाबों का नियोजन प्रबंध तथा निर्माण न्याय–संगत ढंग से हो।

*१०––**श्री नारायणदत्त तिवारी**––क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तराई की बंगाली कालोनी में सरकार द्वारा अब तक कितना (maintenance allowance) कितने परिवारों को दिया जा चुका है, और कितना दिया जाना शेष है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी––अब तक कुल ३१,४५० रु० की धनराशि जीवन निर्वाह भत्ते के रूप में २१० बंगाली परिवारों को दी गयी है। सरकार के पास अब कोई धन इस मद में बांटने के लिये शेष नहीं है। तथापि कुछ और परिवारों को जीवन निर्वाह भत्ता देने के लिये धन देने की प्रार्थना भारत सरकार से की गयी है। यदि वह कुछ धन देगी तो कुछ और व्यक्तियों को भी जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी––क्या सरकार को ज्ञात है कि इस समय बंगाली कालोनी में आधे के लगभग परिवार मेन्टेनेन्स एलाउन्स न मिलने या कम मिलने के कारण तथा जमीन बंजर होने के कारण अर्द्धनग्न अवस्था में तथा चिथड़ों में बसर कर रहे हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी––आधे से ज्यादा तो नहीं लेकिन वहां करीब ११९ ऐसे परिवार हैं जिनको मेन्टेनेन्स एलाउन्स नहीं मिल रहा है और उनके लिये केन्द्रीय सरकार को लिखा गया है कि उनको भी १२ महीने के लिये दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी––क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ऋण की वसूली का समय बढ़ाने के लिये जो यू० पी० सरकार ने भारत सरकार को लिखा है वह कितना समय बढ़ाने को लिखा है?

***श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी**––भारत सरकार से प्रार्थना की गयी है कि ऋण की वसूली का समय बढ़ाकर ६ से १० वर्ष कर दिया जाय।

राजकीय कृषि फार्मों में काम करने वाले किसान मजदूरों को गजटेड छुट्टियां न मिलना

*११––**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)––क्या यह सच है कि राजकीय कृषि फार्मों में मुस्तकिल रूप से किसान मजदूर कार्य कर रहे हैं और उन मजदूरों की गजटेड छुट्टी नहीं दी जाती है? यदि नहीं तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)––यह सही है कि राजकीय कृषि फार्मों पर मुस्तकिल रूप से किसान मजदूर कार्य कर रहे हैं परन्तु उन्हें सम्पूर्ण गजटेड छुट्टी नहीं दी जाती है। गजटेड छुट्टियां कृषि फार्मों के कार्य को ध्यान में रखते हुये कार्य के अनुसार ही दी जाती हैं।

---

†२१ मई, १९५६ को सभा सचिव द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित।

तहसील दुद्धी, जिला मिर्जापुर में भूमि के बन्दोबस्त की प्रगति

*१२—श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दुद्धी जिला मिर्जापुर में भूमि के बन्दोबस्त की प्रगति की क्या स्थिति है तथा बन्दोबस्त का काम उक्त जिले में कहां-कहां होगा और वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—तहसील दुद्धी में परगना दुद्धी के २२८ ग्राम जिनका क्षेत्रफल २,४७,१३२ एकड़ है गत वर्ष पैमाइश तथा अभिलेख (survey and record operations) सम्बन्धी क्रियाओं के अन्तर्गत रखे गये थे जिनमें पैमाइश का काम खत्म हो गया है और इनमें से ७१ गांवों में साक्ष्यकरण (attestation) का कार्य भी समाप्त हो गया है। इसके अतिरिक्त परगना सिंगरौली तहसील दुद्धी के १५ ग्रामों में भी जिनका क्षेत्रफल ९,८६६ एकड़ है, अप्रैल, १९५६ से कार्य शुरू कर दिया गया है। आशा की जाती है कि यह सारा कार्य ३० सितम्बर ,१९५७ तक समाप्त हो जायगा ।

*१३—श्री व्रजभूषण मिश्र (अनुपस्थित)—बन्दोबस्त के कार्य में कुल कितने कर्मचारी किस-किस पद पर काम कर रहे हैं। तथा पूरे बन्दोबस्त में कुल कितना व्यय (अनुमानित) किया गया है ?

श्री चरण सिंह—इस कार्य को करने के लिये कुल ४४८ कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है जिनका ब्योरा संलग्न विवरण-पत्र में दिया है। पूरे कार्य के सम्पादन का अनुमानित व्यय ३,१६,४५५ रु० है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३९८ पर)

झांसी जिले की मऊरानीपुर व मरौठा तहसीलों में फसल को गेरुआ से क्षति

*१४—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि झांसी जिले की मऊरानीपुर व मरौठा तहसीलों में इस फसल को गेरुआ से क्षति पहुंची है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी हां, गेहूं और जौ की फसल में कुछ गेरुआ लगा है।

*१५—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त तहसीलों के कितने-कितने गांवों में उसका प्रभाव पड़ा है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—तहसील मरौठा के १८२ तथा मऊरानीपुर के ६० गांवों की फसल में गेरुआ का प्रभाव पड़ा है ।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री जी उक्त गांव के किसानों को क्षतिपूर्ति स्वरूप कुछ तकावी व लगान में छूट देने की कृपा करेंगे ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—माननीय सदस्य को मालूम होगा कि इस सिलसिले में माफी लगान और उसके नियम बने हुये हैं। जब इतना नुकसान हो जाता है कि वह माफी या तकावी के मुस्तहक हो जायं तो कलेक्टर उसकी रिपोर्ट करता है तो वह दिया ही जाता है।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर स्पष्ट करेंगे कि गेरुआ लगने के क्या कारण हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—गेरुआ लगने की इमकान यह होती है कि वर्षा ज्यादा हो जाय। पुरवा हवा से भी लग जाता है। और भी बहुत से कारण होते हैं। अभी तक एक भी ऐसी गेहूं की किस्म का पता नहीं चल सका जिसमें गेरुआ बिलकुल न लग सके।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि उपरोक्त स्थानों के अलावा झांसी डिवीजन के और भी जिलों में और जगहों पर इस गेरुआ रोग के लगने से गेहूं का नुक्सान हुआ ?

श्री अध्यक्ष—और जिलों का सवाल मूल प्रश्न में नहीं पूछा गया है। यह नया सवाल है।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि गेरुवा रोग की कोई दवा अब तक ईजाद हुई है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—गेरुवा की दवा ऐसी तो कोई यकीनी नहीं मालूम हुई है। बाकी कुछ दवायें हैं जिनसे उसका असर कम हो जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उस दवाई का इस्तेमाल झांसी जिले के मऊरानीपुर और मरौठा क्षेत्रों में किया गया ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—इसकी कोई इस वक्त सूचना मेरे पास मौजूद नहीं है।

*१६-१७—**श्री गंगा प्रसाद** (जिला गोंडा)— [२१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

देवरिया जिले के हाट बाजार

*१८—**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में कुल कितने हाट-बाजार हैं और उनमें से कितने ऐसे हैं जिनकी सालाना वसूली एक हजार रुपये से अधिक है ?

श्री चरणसिंह—देवरिया जिले में कुल ३४९ हाट बाजार हैं। केवल १२ हाट बाजार ऐसे हैं जिनकी वसूली १,००० रु० सालाना से अधिक है। यह १२ हाट बाजार उस क्षेत्र में हैं जहां जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू है इनके अतिरिक्त ७ हाट बाजार ऐसे भी हैं जिन पर उपरोक्त अधिनियम लागू नहीं है उनकी वसूली मालूम नहीं है।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ३५९ हाट बाजारों में से कितने गांव सभाओं के कब्जे में हैं जिनका वह बन्दोबस्त करती हैं ?

श्री चरण सिंह—सिवा चार पांच हाटों के जिनकी बाबत कुछ मुक़दमेबाजी हो रही है। प्रायः सभी गांव समाजों के कब्जे में हैं।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एक हजार रुपये से अधिक वसूली के हाट बाजार कौन-कौन से हैं और किन के कब्जे में हैं ?

श्री चरण सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री जगन्नाथमल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार इन सात बाजारों के नाम बताने की कृपा करेगी जहां जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम लागू नहीं है ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं। उनकी तफसील नहीं मालूम है। वह कस्बों के अन्दर हैं जहां अभी जमींदारी एबालिशन ऐक्ट लागू नहीं हुआ है।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि कहीं कहीं गांवों में जो बाजारें होती हैं वे बहुत दिनों से बाजार तो लिखी हैं लेकिन बीच में कुछ लोगों ने उस को अपने नाम में लिखवा लिया था, इसका क्या उपाय किया जा सकता है ?

श्री चरण सिंह—ऐसे हाट बाजार जो निजी व्यक्तियों यानी उन पुराने मध्यवर्तियों के कब्जे में हैं। अगर उनकी सीर और खुदकाश्त पर बाजार लग रही थी तो कानून के मुताबिक वे उसके मालिक हैं। लेकिन ऐसे हाट बाजारों की तादाद ज्यादा नहीं है और उपाय यही है कि गांव सभा मुकदमेबाजी करे।

कानपुर जिले में ट्रैक्टर खरीदने के लिए तकावी की मांग

*१९—**श्री तेज प्रताप सिंह** (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार ने सन् ५४-५५ में एक जी० ओ० द्वारा कानपुर जिले के डी० एम० को सूचित किया था कि कानपुर जिले के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिये तकावी दी जा सकती है ? यदि हां, तो वह जी० ओ० क्या था ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—सरकार ने ऐसा कोई जी० ओ० जिलाधीश, कानपुर को नहीं भेजा।

*२०—**श्री तेजप्रताप सिंह**—क्या सरकार बतायेगी कि सन् १९५५ में कुल कितनी दरख्वास्तें ट्रैक्टर की तकावी के लिये कानपुर जिले में डी० एम० के पास आईं और इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—केवल एक अर्जी प्राप्त हुई जिसमें बाजार से ट्रैक्टर खरीदने के लिये ५,००० रुपये की मांग की गयी थी परन्तु चूंकि उस वर्ष कानपुर जिले में बाजार से ट्रैक्टर खरीदने के लिये तकावी की व्यवस्था नहीं थी उपरोक्त अर्जी स्वीकृत नहीं की गई।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जैसा प्रश्न २० के उत्तर में उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टर खरीदने के लिये किसानों को बाजार से वे न खरीदें तो क्या वह बतायेंगे कि बाजार से न खरीदने के अलावा वहां से खरीदने पर तकावी दी जाने की आज्ञा थी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—ट्रैक्टर दो ही जगह से खरीदने को थे। या तो बाजार से खरीद लें या सरकार के पास जो सरप्लस ट्रैक्टर हैं उनमें से देते थे। जो बाजार से खरीदें उसको ५ हजार रुपये तकावी दी जाती है और सरकार से जो खरीदें उन्हें १० हजार रुपये तकावी दी जाती है। कानपुर के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि अन्य जिलों की भांति कानपुर में ट्रैक्टर खरीदने के लिये तकावी क्यों नहीं दी गई ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—रुपया जितना था उस लिहाज से यह मुमकिन नहीं था कि हर जिले के लिये किया जा सके। महज कुछ जिले जिनकी जरूरत ज्यादा थी जहां ज्यादा जमीन तोड़ने को थी उन जिलों को चुन लिया गया था और वहीं इसकी व्यवस्था की गई।

श्री उमाशंकर—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि वे कौन-कौन से जिले हैं जिनको ट्रैक्टर के लिये तकावी मंजूर की गई ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जिलों की फ़ेहरिस्त तो मेरे पास नहीं है लेकिन वे जिले हैं, जैसे नैनीताल, बिजनौर, मुजफ्फ़रनगर वगैरह जहां जरूरत ज्यादा थी।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या मन्त्री जी भविष्य में दूसरे जिलों की तरह कानपुर में भी तकावी देने की व्यवस्था पर विचार करेंगे ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जैसा मैंने अभी कहा कि जब रुपया हुआ तो यह देखा जाता है कि कहां ज्यादा जरूरत है, वहीं के लिये इंतजाम किया जाता है। तो जिन जिलों को जरूरत है वहीं किया जायगा और अब जिलाधीशों से मांगा गया है कि उनके यहां कितनी अर्जियां आयी हैं और उनकी रिपोर्ट आने के बाद विचार किया जायगा।

आजमगढ़ जिले में माल मंत्री के दौरे के समय मुकदमें मुल्तवी करने से असुविधा

*२१—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १६, १७, २४ और २६ दिसम्बर, सन् १९५५ को जिलाधीश, आजमगढ़ तथा जिले की प्रत्येक तहसील के परगनाधीश की अदालतों में अलग-अलग कितने-कितने मुकदमें थे तथा उन समस्त मुकदमों में अलग-अलग कौन-कौन कार्यवाही हुई ?

श्री चरण सिंह—एक सूची, जिसमें मांगी गयी सूचना दे दी गई है, माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३९९–४०० पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई आदेश जिलाधीशों के यहां दिया गया है कि जिस दिन माननीय मन्त्री जी जिले में जायं अगर अदालतों में मुकदमे हों तो मुकदमे छोड़कर के उनके साथ वे न जायं ?

श्री चरण सिंह—अगर मैं सवाल ठीक समझा हूं कि क्या कोई आदेश ऐसा गया है कि अगर माननीय मन्त्री जाते हैं तो उस रोज मुकदमे को छोड़ कर वह अफसर उनके साथ न जायं, तो मुझे इल्म नहीं है कि ऐसा कोई आदेश गया है ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि जो सूची दी गयी है उस सूची के अनुसार १६, १७ दिसम्बर, सन् १९५५ को माल मंत्री का आजमगढ़ में प्रोग्राम नहीं था। बल्कि शिक्षा मन्त्री का प्रोग्राम था ?

श्री अध्यक्ष—इस प्रश्न में कहीं प्रोग्राम का सवाल तो है नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—जो सूची दी गई है उसमें दिया है ?

श्री चरण सिंह—१६, १७ दिसम्बर को मेरा ही प्रोग्राम था न कि शिक्षा मन्त्री का।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि २४, २५ और २६ दिसम्बर को माननीय माल मंत्री का प्रोग्राम था और १६, १७ दिसम्बर को माननीय शिक्षा मन्त्री का प्रोग्राम था ?

श्री चरण सिंह—जी, मैं तो जवाब दे चुका कि जहां तक मुझे याद पड़ता है कि १६, १७ और १८ तीन दिन तक मेरा ही प्रोग्राम था और २४, २५ दिसम्बर को नहीं।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब वह लोग जिलों में जाते हैं तो क्या यह आर्डर हो गया है कि उस दिन अदालतें बन्द रहेंगी।

श्री अध्यक्ष—यह बिलकुल अलग सवाल है। मुझे तो इसमें कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं देता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—जवाब में जो सूची दी गयी है उस सूची में यह दिया गया है कि किस किस परगना हाकिम के यहां कितने कितने मुकदमें थे और क्या हुआ, यह बताया गया है तो इस सूची के अनुसार हम यह जानना चाहते थे कि परगनाधीश फूलपुर के यहां जो ३३ मुकदमें थे....

श्री अध्यक्ष—मेरे पास जो सूची है उसमें कौन से नम्बर पर आप कह रहे हैं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—नम्बर ४ पर। परगनाधीश फूलपुर के पास १७ दिसम्बर के लिये ३३ मुकदमे थे और माल मंत्री के आगमन के सम्बन्ध में व्यस्त होने के कारण परगनाधीश किसी भी मुकदमे में कोई कार्यवाही नहीं कर सके.....

श्री अध्यक्ष—इसकी वजह से आप ने यह सवाल छेड़ा है लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह तो मूल प्रश्न से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है। सवाल से बिल्कुल अलग है। यह तो दूसरा सवाल आप करना शुरू कर दिये....

श्री रामसुन्दर पांडेय—हमारा श्रीमन्, यह सवाल था कि इसमें यह है कि ३३ मुकदमे जो स्थगित हुये हैं तो मैं यह जानना चाहता था कि माल मंत्री का प्रोग्राम तो था फूलपुर तहसील राजनीतिक सम्मेलन में और जिसमें परगना हाकिम उसके सजावट में व्यस्त रहे.....

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। यह इससे सवाल उठता नहीं है।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश दे रखा है कि उनके जाने पर मुकदमे बन्द रखे जायं ?

श्री चरण सिंह—जी, जैसा मैंने अर्ज किया मुझे यह नहीं मालूम है कि कोई इस प्रकार का डेफिनिट आदेश गया है। इतनी बात जरूर है कि जब कोई मन्त्री जाता है, किसी जिले में तो एस० डी० ओ० और कलेक्टर या इन दोनों में से एक आमतौर पर हमेशा तो नहीं, अपना जो कोई रोजाना का काम होता है वह उस प्रकार कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनको समय देना पड़ता है मन्त्री से बातचीत करने और उसके प्रोग्राम में भी जाने के लिये, तो इस वजह से लाजिमी है कि जो मुकदमे पहले से लगे हुये हैं उनको मुल्तवी करना पड़े।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार इस प्रकार का कोई आदेश जिलाधीशों को देने की कृपा करेगी कि माननीय मन्त्री जी का जिस दिन प्रोग्राम बने उस दिन मुकदमों की तारीख बदलने का नोटिस मुवक्किलों को दे दिया जाय ?

श्री चरण सिंह—इस पर गवर्नमेंट विचार करेगी।

तहसील मड़ियाहूं, जिला जौनपुर के लेखपाल

*२२—**श्री रमेशचन्द्र शर्मा** (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जौनपुर की मड़ियाहूं तहसील में कितने लेखपाल स्थायी हैं और कितने अस्थायी ?

श्री चरण सिंह—जिला जौनपुर की मड़ियाहूं तहसील में ४५ स्थायी तथा ५० अस्थायी लेखपाल हैं।

*२३-२४—**श्री रामेश्वरलाल**—[४ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

देवरिया जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में गृह निर्माणार्थ ऋण वितरण व्यवस्था

*२५—**श्री रामेश्वर लाल**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या यह सही है कि देवरिया जिला में बाढ़ से बर्बाद निम्न मध्यम वर्गीय किसानों, व्यवसायियों के लिये मकान बनाने के ऋण की कोई व्यवस्था नहीं है ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं।

श्री रामेश्वर लाल—क्या यह सही है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में गृह-निर्माण के लिये जो रुपया सहायतार्थ दिया जाता है वह केवल गैर-काश्तकारों के लिये ही है ?

श्री चरण सिंह—यह सही नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि सरकार की तरफ से कोई आदेश जिला अधिकारियों को दिया गया है कि वह रुपया जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायतार्थ, गृह-निर्माण के लिये दें वह उन्हीं को दें जिनके पास जमीन जोतने के लिये नहीं है ?

श्री चरण सिंह—मैं यह अर्ज कर चुका हूं कि यह बात सही नहीं है। दो तीन बार डिबेट हो चुकी है फ्लड रिलीफ के सिलसिले में और यह बताया जा चुका है कि किसानों और गैर-किसानों दोनों के लिये रुपया दिया गया।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि देवरिया जिले में जो रुपया बांटा गया है वह गैर-काश्तकारों में ही बांटा गया है, और वे लोग जो काश्तकार थे, जिन्होंने दरख्वास्त दी थी, उनको यह कह कर रुपया नहीं दिया गया कि काश्तकारों के लिये रुपया नहीं है ?

श्री चरण सिंह—गैर-काश्तकारों को भी रुपया बांटा गया है, बल्कि उनको कम बांटा गया है। जितना रुपया हमने गैर-काश्तकारों के लिये रखा था उतना सारा तक-सीम भी नहीं हो सका और काश्तकारों को तकावी के तौर पर ३,७५,००० रु० दिया गया। जिसमें एक लाख केवल बीज के लिये दिया गया और बाकी २,७५,००० रुपया हर प्रकार की इमदाद के लिए जिसमें मकान बनाने के लिये तकावी और इमदाद भी शामिल थी बांटा गया। मेरी समझ में नहीं आता कि यह कैसे हुआ ? मैं इसकी तहकीकात करने की जरूरत नहीं समझता।

अलीगढ़ जिले के अतिवृष्टिग्रस्त क्षेत्रों में तकावी की सहायता

*२६—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले की किन किन तहसीलों में गत खरीफ की फसल को अधिक वर्षा या पानी के रुक जाने से हानि हुई है ? उसकी जांच रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही अब तक हो चुकी है ?

श्री चरण सिंह—अलीगढ़ जिले की सभी तहसीलों में खरीफ १३६३ की फसल को अधिक वर्षा से हानि हुई है। इसकी रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है। जिन गांवों में हानि की मात्रा रुपये में आठ आना या उससे अधिक थी उनकी मालगुजारी की वसूली रबी १३६३ की फसल तक के लिये स्थगित कर दी गयी है।

*२७—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त क्षेत्रों के लिये कितनी सहायता तकावी तथा लगान में छूट दी गई है ?

श्री चरण सिंह—उक्त क्षेत्र में २,१०,००० रु० की तकावी की सहायता तथा मालगुजारी में १,२८,२९३ रु० ८ आना की मुल्तवी दी गई। मालगुजारी में छूट नहीं दी गई।

*२८—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्रों में जहां ७५ प्रतिशत या उससे अधिक फसल को हानि हुई है उन क्षेत्रों के किसानों से भी लगान का पैसा वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे अविलम्ब रोक देने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—माननीय मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि ओलों से अधिक हानि पर छूट दी जाती है ? यदि हां, तो इस पर छूट क्यों नहीं दी गई ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, खरीफ में छूट शुरू में नहीं दी जाती, केवल मुल्तवी की जाती है आमतौर पर। बहुत एक्सेप्शनल केस हो तो छूट दी जा सकती है, लेकिन बहुधा नहीं दी जाती है। छूट दी जाती है रबी में। अगर रबी की फसल खराब हो जाय तो खरीफ और रबी दोनों में छूट दी जाती है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या यह सत्य है कि यह फसल जो खराब हुई वह ओलों के पड़ने से फसल मारी गयी और फिर भी वसूली जारी है ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, मुझको मालूम नहीं है कि जहां बाढ़ आई थी या पानी की वजह से नुक्सान हुआ था १३६३ फस्ली में, वहीं ओला भी पड़ा है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—मैं यह जांच करा लूंगा और मेरा सुझाव यह है कि माननीय मित्र अलीगढ़ जब जायं तो कलेक्टर से स्वयं बात कर लें।

गाजियाबाद तहसील कर्मचारियों को अपर्याप्त लेखन सामग्री

*२९—**श्री तेजा सिंह** (जिला मेरठ)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजियाबाद तहसील को १९५४-५५ तथा १९५३-५४ में कितनी-कितनी स्टेशनरी दी गई ?

श्री चरण सिंह—मांगी गई सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४०१ पर)

श्री तेजा सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो स्टेशनरी तहसीलों में दी जाती है या उनकी जरूरतों को देखकर दी जाती है या सरकार स्वयं अपनी तरफ से कुछ बांध देती है ?

श्री चरण सिंह—बकदर जरूरत लेकिन ताबे इस ख्याल के कि कितना रुपया गवर्नमेंट के पास है।

श्री तेजा सिंह—इस सूची में दिया गया है कि गाजियाबाद तहसील में चार दावातें मिलती हैं जहां एक तहसीलदार, ४ नायब तहसीलदार और ६ कानूनगो काम करते हैं, क्या वहां चार दावातों से काम चल सकता है ?

श्री चरण सिंह—कर तो सकते ही हैं अगर एक जगह बैठें लेकिन जो माननीय मित्र ने सवाल उठाया कि कम दावातें इतने आफिसरों को देखते हुये मालूम होती हैं वह मुझे माकूल मालूम होता है और मैं कोशिश करूंगा कि इस दिक्कत को दूर कर दिया जाय।

श्री तेजा सिंह—इस सूची में और भी कई ऐसी चीजें हैं जिनको देखा जाय तो यह मालूम होता है कि वे गाजियाबाद की तहसील की जरूरत के लिये काफी नहीं है तो क्या मन्त्री जी दावातों के अतिरिक्त बाकी स्टेशनरी को भी देखने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह—जी, जरूर बशर्ते कि माननीय मित्र मुझसे इस सिलसिले में मेरे दफ्तर में आकर बात कर लें।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार ने यह भी जांच कर ली है कि तहसील गाजियाबाद में पूरे कलम दिये जा रहे हैं या नहीं ? (हंसी)।

श्री अध्यक्ष—इस सवाल के जवाब देने की जरूरत नहीं है।

किसुनगढ़ ग्राम, जिला प्रतापगढ़ में अग्निकांड

*३०—श्री राजाराम किसान (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जिले में तहसील प्रतापगढ़, ग्राम किसुनगढ़ में एक ही महीने में दो बार आग लगी ?

श्री चरण सिंह—जी हां, प्रतापगढ़ जिले के किसुनगढ़ ग्राम में एक ही महीने में दो बार आग लगी ।

*३१—श्री राजाराम किसान (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कुल कितने घर नष्ट हो गये और कितना नुक्सान हुआ, कितने आदमी और जानवर मरे और किस-किस प्रकार की सहायता दी गई ?

श्री चरण सिंह—कुल १६ घर जले, नुक्सान लगभग ३,७४० रु० का हुआ तथा एक आदमी व २३ जानवर मरे । आवश्यक जांच पूरी हो चुकी है और यथासंभव सहायता शीघ्र ही दी जायगी ।

गोंडा जिलान्तर्गत टिकरी तथा रेहरा क्षेत्रों में वनैले पशुओं से फसलों को हानि

*३२—श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला गोंडा के अन्तर्गत टिकरी तथा रेहरा रेंज में जंगली जानवर गाय, बैल, सूअर तथा नील गाय अधिक संख्या में हैं जिनसे काश्तकारों की खड़ी फसलों का बहुत नुक्सान होता है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी हां ।

*३३—श्री बलदेव सिंह—यदि हां, तो क्या सरकार कृपा कर फसलों की सुरक्षा के लिये शीघ्र उचित कार्यवाही करेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जिलाधीशों को आदेश दे दिये गये हैं कि जंगली जानवरों को मारने के लिये बन्दूक के लाइसेन्स उदारतापूर्वक दें । जंगली गाय और बैलों को पकड़ने तथा काम में लाने अथवा गोसदनों में भेजने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रबन्ध किया गया है ।

श्री बलदेव सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जंगल में घुसकर जंगली जानवरों को पकड़ने या वध करने की खुली छूट है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—उनके लिये यह हुआ है कि उनको बन्दूकों के लाइसेंस उदारतापूर्वक दिये जायं और जिनके फसलों को नुक्सान पहुंचा है वह बन्दूक ले कर उनका वध कर सकते हैं ।

श्री बलदेव सिंह—जंगल में घुस कर मारने की इजाजत है या नहीं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जंगल में घुसने की तो कोई बात नहीं है जब उनकी फसलों को जंगल से निकलकर नुक्सान करें ।

श्री तेज प्रताप सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस प्रकार जो जानवर पकड़े जायेंगे और जो गोसदन भेजे जायेंगे उन पर इन व्यक्तियों को कुछ इनाम भी मिलेगा या नहीं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जो गाय बैल जंगलों में छूटे रहते हैं और जो वहां से पकड़ कर भेजे जायेंगे उन पर पांच रुपये प्रति जानवर के हिसाब से इनाम दिया जायगा ।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतलायेंगे कि वहां बन्दूकों के लाइसेंस तो उदारता से दिये जाने की व्यवस्था की गयी है लेकिन वाइल्ड गेंग शूटिंग ऐक्ट के रूल्स में भी कोई परिवर्तन लाने की व्यवस्था की गई है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—मैं समझता हूं कि इसमें कोई रुकावट नहीं है कि अगर किसी की फसल का कोई जानवर नुकसान करे तो वह अपने खेत में उसको मारे।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—क्या सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था भी बनायी है कि जंगलों में फेन्सिंग का इन्तजाम हो जाय ताकि खेतों का नुक्सान जानवर न कर सकें ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—ऐसा इन्तजाम बड़ा मुश्किल है। बड़े खर्चे का सवाल है। यह जरूर है कि हमारे स्टेट बोर्ड आफ ऐग्रीकल्चर के सामने यह सवाल कई दफा आ चुका है पर उस पर यह सोचा जाता है कि कोई ऐसा इन्तजाम हो जाय, कोई खाईं बने और उसके ऊपर कोई कांटेदार चीज लगा दी जाय, लेकिन अभी तक कोई चीज समझ में नहीं आई है।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार ने इस बात का इत्मिनान कर लिया है या नहीं कि फसलों की हिफाजत के लाइसेन्स जिलों में बहुत आसानी के साथ लोगों को मिल जाते हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—ऐसी अगर कहीं कोई शिकायत आती है या कोई दिक्कत होती है, उस लाइसेन्स के मिलने में तब पूंछताछ की जाती है।

श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि यह आदेश देने के बाद अब तक कितने ऐसे लाइसेन्स फसलों की हिफाजत के लिये जिलों में दिये जा चुके हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—ये आंकड़े तो मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं नहीं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मन्त्री कृपा कर बतलायेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सरकार की ओर से जंगली गायों को पकड़वाने की भी कोई व्यवस्था थी ? यदि थी तो कितनी गउवें पकड़ी गयीं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जहां तक मुझे याद है कोई ऐसी व्यवस्था पहली पंचवर्षीय योजना में नहीं थी।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जंगली गऊओं और बैलों को पकड़ने के लिये सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितना रुपया रखा है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—करीब दो सौ जानवरों के लिये सोचा जा रहा है कि इन्तजाम किया जाय।

श्री बलदेव सिंह—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन जानवरों के सम्बन्ध में क्या है, क्या सरकार इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—उसमें, जैसा कि अभी बतलाया गया, जो ऐसे बैल या गाय गोसदन के लिये पकड़े जायंगे और भेजे जायंगे उनके लिये ५ रुपये फी जानवर रखा गया है। मैं समझता हूं यह भी काफी होना चाहिये लोगों को उत्साहित करने के लिये। दूसरे गोसदन खोले जा रहे हैं। इसके अलावा जो गाय या बैल काम में आ सकते हैं उनको डोमेस्टिकेट करने का इन्तजाम किया जायगा। यही सब इन्तजाम है।

*३४-३५—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—[१४ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

देवरिया पंजाबी केन यूनियन में रोड फण्ड

*३६—श्री रामेश्वर लाल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया पंजाबी केन यूनियन में कितना पैसा रोड फण्ड के लिये किसानों से लिया गया जमा है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—देवरिया पंजाबी केन यूनियन में ३७,४४४।।।) (३७,४४४ रु० १२ आना) रोड फण्ड के लिये किसानों से सन् १९३७-३८ ई० से सन् १९५४-५५ ई० तक लिया गया। जिसमें से ३१,१२१।=) ।। (३१,१२१ रु० ६ आ० ६ पा०) तारीख ३१-८-१९५५ ई० तक खर्च हुआ और ६,३२३ रु० ५ आना० ६ पा० अभी जमा है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि किसानों द्वारा यह कटौती का पैसा जो मिलओनर्स काटते हैं रोडफंड में उसकी कोई सरकारी जांच भी होती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी हां, आडिटर जाते हैं, उसका हिसाब-किताब देखा जाता है।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि यह जो किसानों का पैसा काटते हैं वह कहां जमा होता है, मिलओनर्स के हक में या किसानों के हक में जो उनका बनाया हुआ बोर्ड आफ डायरेक्टर्स होता है उसके नाम में जमा होता है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—यह कटौती केन यूनियन के हिसाब में जमा होती होगी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—अध्यक्ष महोदय, पंखे सब बन्द हो गये हैं जिससे गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है।

श्री सुल्तान आलम खां—अपोजीशन के पंखे तो सब चल रहे हैं, इधर के पंखे सब बन्द हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष—इसमें तो दोनों को ही हिस्सा मिल रहा है। सभी का एक सा इंतजाम अभी हुआ जाता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसानों का कटौती का पैसा किस हिसाब से कटता है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—माननीय सदस्य को मालूम होगा लेकिन मैं इस वक्त जवाब नहीं दे सकता, सूचना की जरूरत है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—इस फंड के हिसाब की जांच करने के लिये जो आडीटर जाते हैं वह किस विभाग के होते हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जो आडीटर जाते हैं वह कोआपरेटिव विभाग के होते हैं।

श्री रामेश्वर लाल—क्या सरकार ऐसी व्यवस्था बनाने पर विचार करेगी कि किसानों का काटा हुआ पैसा इनके बनाये हुये बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के नाम में जमा हो। जिससे बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को किसानों के हक में सुविधा हो ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इस सिलसिले में जो माननीय सदस्य सुझाव देंगे उस पर विचार किया जायगा।

*३७--३८--**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)--[हटा दिये गये।]

*३९--४०--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--[२८ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*४१--४२--**श्री श्रीचन्द्र** (जिला मुजफ्फरनगर)--[२८ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*४३--**श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)--[२८ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*४४--**श्री रामसेवक यादव** (जिला बाराबंकी)--[४ जून, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

जौनपुर जिले में ओला वृष्टि से हानि

*४५--**श्री बाबूनन्दन**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिला के ओलाग्रस्त क्षेत्रों की रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है।

श्री चरण सिंह--जी हां।

*४६--**श्री बाबूनन्दन**--यदि हां, तो कब और क्या ?

श्री चरण सिंह--रिपोर्ट अभी हाल ही में प्राप्त हुई है। उसका सारांश यह है कि तहसील जौनपुर व शाहगंज के ५९ ग्रामों में ओलावृष्टि हुई जिनमें से केवल १८ ग्रामों में ८ आना से अधिक हानि हुई।

श्री बाबूनन्दन--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह २८ गांव कौन-कौन से हैं जिनमें ८ आने नुक्सान हुआ है ?

श्री चरण सिंह--इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री बाबूनन्दन--क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन १८ गांवों में सरकार की तरफ से सुविधा के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री चरण सिंह--मालगुजारी की छूट होगी और आवश्यकता होगी तो तकावी भी दी जायगी।

कृषि शिक्षा के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दी गयी सरकारी सम्पत्ति

*४७--**श्री श्रीनिवास** (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार उन मुख्य प्रयोजनों को कृपा कर बतायेगी कि जिनके हेतु अलीगढ़ स्थित सरकारी कृषि फार्म तथा Deputy Director कृषि विभाग के कार्यालय की इमारतें काफी समय हुआ Aligarh Muslim University को दी गई थीं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी हां, फार्म और इमारतें विश्वविद्यालय को कृषि शिक्षा के चालू करने के लिये दी गयी थीं।

*४८--**श्री श्रीनिवास**--क्या Muslim University ने अभी तक कोई कृषि शिक्षा का आयोजन नहीं किया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--अभी हाल ही में विश्वविद्यालय द्वारा बी० ए० व इन्टर की कृषि कक्षाएं खोलने की सूचना मिली है।

श्री श्रीनिवास---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह बिल्डिग और फार्म मुस्लिम विश्वविद्यालय को किस सन् में दिये गये ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---१९३५ में दिये गये थे।

श्री श्रीनिवास---क्या सरकार को मालूम है कि इन इमारतों की हालत बहुत खराब हो गई है और रखरखाव भी ठीक नहीं है तथा फार्म के सम्बन्ध में आडीटर्स ने इर्रेगुलेरिटीज भी पाई हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---हो सकता है कि हालत खराब हो लेकिन यह सही है कि उनके पास १९३५ से है और उन्होंने उसको मुनासिब तरीके से इस्तेमाल नहीं किया । उनको १९४८ में नोटिस दे दिया गया था कि उन्होंने अपने यहां कृषि की शिक्षा शुरू नहीं की है इसलिये जमीन वापस ले ली जायगी। लेकिन थोड़े दिनों के बाद वह नोटिस वापस ले लिया गया। अब फिर नोटिस दे दिया गया है जो इसी महीने के चन्द दिनों में उसकी अवधि समाप्त हो जायगी।

श्री श्रीनिवास---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो नोटिस दिया गया है इसका कब तक इंतजार किया जायगा ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जब उसकी अवधि खत्म हो जायगी तब तक । इसी महीने के अगले अन्दर चन्द दिनों में उसकी अवधि खत्म हो जायगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस फार्म का एकरेज क्या है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---इसका एकरेज तो मेरे पास मौजूद नहीं है।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिस प्रयोजन के लिये यह इमारतें और फार्म दिया गया था, मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कभी भी उसको उस इस्तेमाल में लिया ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जैसा कि जवाब में कहा गया कि अभी हमको सूचना मिली है कि उन्होंने बी० ए० और इंटर के क्लासेज खोल दिये हैं। अभी नोटिस देने के बाद हाल ही में यह सूचना मिली है।

श्री बलवन्त सिंह---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंटर की भी शिक्षा देती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---उन्होंने इंटर के क्लासेज खोले हैं वहां। यह मैं नहीं कह सकता कि वह आगरा से इम्तहान देंगे या मुस्लिम यूनिवर्सिटी से देंगे।

श्री श्रीनिवास---क्या मन्त्री महोदय कृपा कर यह बतलायेंगे कि यह क्लासेज खोल दिये गये हैं या खोले जायंगे, क्योंकि सेशन तो जुलाई से शुरू हो रहा है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---मेरी इत्तला यह है कि क्लासेज खोल दिये गये हैं।

श्री श्रीचन्द्र---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक यह इमारतें किस काम में आती रहीं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जैसा कि बतलाया गया यह मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कृषि की शिक्षा के काम में लाने के लिये दी गयी थी, लेकिन उन्होंने इसको खोला नहीं और जिस काम के लिये दी गई थीं वह इमारतें और फार्म, यह जाहिर है कि वह उस काम में नहीं आई।

कानपुर के रोडवेज विभाग के वर्कमेन का स्थायीकरण

*४९—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर के रोडवेज विभाग में superior स्टाफ के अलावा कितने workmen हैं और उनमें से कितने स्थायी हैं ?

श्री चरण सिंह—कानपुर रोडवेज में ३१ मार्च, १९५६ तक सुपीरियर स्टाफ के अलावा २३६ वर्कमेन थे। इनमें से ३० कर्मचारी स्थाई घोषित किये जा चुके हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि २३६ कर्मचारियों में से केवल ३० आदमी स्थायी किये जाने का क्या कारण है ?

श्री चरण सिंह—कारण यह है कि गवर्नमेंट ने यह निश्चित किया है कि सब लोगों को एक साथ स्थायी न किया जाय, धीरे-धीरे किया जाय। १२१ इस साल किये जायंगे, इस प्रकार २३६ में से १५१ हो जायंगे।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मन्त्री जी उन कर्मचारियों को तरजीह देने की कृपा करेंगे कि जो उक्त ३० कर्मचारियों से सीनियर हैं ?

श्री चरण सिंह—मैंने अर्ज किया कि १२१ और किये जायेंगे और आमतौर पर सीनियर ही किये जायंगे, लेकिन अगर सीनियर आदमी का काम खराब हो तो उसको सुपरसीड भी किया जा सकता है।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि २३६ कर्मचारियों में केवल ३० जो स्थायी किये गये हैं उनके अलावा जो रह गये हैं उनमें से कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो तीन वर्ष से अधिक से काम कर रहे हैं और उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा है जब कि नियमानुसार उन्हें स्थायी कर दिया जाना चाहिये ?

श्री चरण सिंह—यह ब्रेकअप तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया कि १२१ होने वाले हैं और इस तरह १५१ हो जायंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि सेन्ट्रल वर्कशाप के सभी कर्मचारी कब तक स्थायी हो जायेंगे ?

श्री चरण सिंह—इसकी कोई मियाद नहीं रखी जा सकती।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ३० कर्मचारी स्थायी किये गये हैं उनमें ७, ८ साल से काम करने वाले कर्मचारियों की अपेक्षा २ साल से काम करने वाले कर्मचारियों को तरजीह दी गयी है ?

श्री चरण सिंह—जी, ऐसा मुझे नहीं मालूम है लेकिन माननीय सदस्य मुझे बतलायेंगे कि कौन ऐसे हैं जिनको ८ साल वालों से २ साल वालों को तरजीह दी गयी है तो मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों किया गया ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि स्थायी किये जाने की सिफारिश कोई कमेटी करती है ? अगर हां, तो उस कमेटी के कौन-कौन सदस्य हैं ?

श्री चरण सिंह—जी, सदस्यों के नाम और उनके पद इस समय मैं नहीं बतला सकता।

बरेली जिले में ओला वृष्टि से हानि

*५०—श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले की किन-किन तहसीलों में ओले से फसल को हानि हुई है ?

श्री चरण सिंह—बरेली जिले की तहसील बहेड़ी सदर व नवाबगंज में २८ फरवरी, १९५६ को ओला वृष्टि के कारण रबी १३६३ की फसल को हानि पहुंची है ।

*५१—श्री धर्मदत्त वैद्य—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिन तहसीलों में ओले से फसल की हानि हुई है वहां सरकार ने क्या सहायता दी है और कितने फीसदी लगान की छूट की घोषणा की है ?

श्री चरण सिंह—इस संबंध में मालगुजारी में छूट दिये जाने के हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा अधिक हानिग्रस्त ग्रामों में ३०,५२४ रु० लगान और २७,२५५ रु० आबपाशी की वसूली रोक दी गयी है और रबी १३६३ फ० की आबपाशी में छूट देने के लिये सिंचाई विभाग को भी लिखा गया है । आवश्यकतानुसार तकावी भी दी जा रही है ।

श्री धर्मदत्त वैद्य—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बहेड़ी तहसील में ओले से कितने फीसदी फसल की हानि का अनुमान है ?

श्री चरण सिंह—कोई एवरेज परसेन्टेज का निकाला नहीं जा सकता । एक गांव का निकाला जा सकता है लेकिन ३०० गांवों में कितना नुकसान हुआ और कितनी फीसदी वहां पर नुकसान हुआ यह बताना मुश्किल है ।

श्री धर्मदत्त वैद्य—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि हानिग्रस्त ग्रामों में कितने फीसदी लोगों को मदद देने की घोषणा की गयी ?

श्री चरण सिंह—फीसदी का कोई गज हमारे यहां नहीं है ।

पूर्वीय बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भूसा पहुंचाने की योजना

*५२—श्री उमाशंकर—क्या सरकार पूर्वीय बाढ़ग्रस्त जिले के किसानों की मवेशियों के चारे के लिये पश्चिम जिले (तराई, भावर, किच्छा आदि) से भूसा पहुंचा कर उचित मूल्य पर देने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो यह प्रबन्ध कब तक हो जायेगा ?

श्री चरण सिंह—पूर्वीय बाढ़ ग्रस्त जिलों में बाढ़ के समय तुरन्त भूसा पहुंचाने की एक योजना पर सरकार विचार कर रही है। वर्षा ऋतु से पहले ही प्रबन्ध हो जाने की आशा है ।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके उस योजना को बतलाने की कृपा करेंगे कि वह किस प्रकार की है और कब तक भूसा पहुंच जायगा ?

श्री चरण सिंह—जिस योजना पर विचार कर रहे हैं वह यह है कि उन जिलों के ठेकेदारों से यह कहा जा रहा है कि आप भूसा जमा कर लें और अगर जरूरत होगी तो हम लेंगे और यदि जरूरत नहीं हुई तो हम उनसे नहीं लेंगे । इसके अलावा २, ३ सरकारी फार्म हैं उन पर भी भूसा जमा रखने के सम्बन्ध में विचार हो रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर जल्दी वहां पर पहुंच सके ।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि पिछली अति वृष्टि के कारण उन जिलों में आज ही चारे का अभाव शुरू हो गया है ?

श्री चरण सिंह—रबी की फसल अभी उठायी गयी है । तो आज ही अभाव हो गया वैसे होने को हो सकता है लेकिन मेरी अक्ल इसको तसलीम करने के लिये तैयार नहीं है ।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि पच्छिमी जिलों का भूसा पूर्वी जिलों को भेजा जाता है और वह पूर्वी जिलों के जानवर नहीं खाते हैं ?

श्री चरण सिंह—पच्छिमी जिलों से कोई भूसा नहीं भेजा जाता है । पूर्वी जिलों में सिर्फ दो ठेकेदार थे एक आगरा में और दूसरा दिल्ली में जो अक्सर भूसा सप्लाई करते थे । लेकिन पच्छिमी जिलों से आमतौर पर भूसा मंगाया जाता हो ऐसी बात नहीं है ।

श्री कमला सिंह—क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि जो भूसा वहां भेजा गया है वह काम में नहीं आ रहा है ?

श्री चरण सिंह—पता तो मैं तब लगाऊं जब मैं इस एलीगेशन को मानूं ।

अल्मोड़ा नगर में राजकीय पशु-चिकित्सालय न होना

*५३—श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा) —क्या सरकार को यह पता है कि जिले के हेडक्वार्टर अल्मोड़ा नगर में राजकीय पशु-चिकित्सालय नहीं हैं यदि हां, तो क्या सरकार वहां एक जिला पशु-चिकित्सालय खोलने का इरादा रखती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी हां, जिले के हेडक्वार्टर अल्मोड़ा नगर में कोई भी राजकीय पशु-चिकित्सालय नहीं है लेकिन वहां जिला परिषद् द्वारा संचालित एक पशु-चिकित्सालय स्थापित है । उक्त स्थान पर एक जिला पशु-चिकित्सालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री गोवर्धन तिवारी—क्या यह सही है कि जिले के अन्तर्गत कोई भी राजकीय पशु-चिकित्सालय नहीं है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जिले में सिर्फ एक पशु-चिकित्सालय है ।

श्री गोवर्धन तिवारी—मैं यह जानना चाहता था कि क्या वहां एक भी पशु-चिकित्सालय नहीं है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—मैंने जवाब दिया कि वहां जिले के अन्दर एक राजकीय पशु-चिकित्सालय है तीन जिला बोर्ड की तरफ से हैं और दो नियोजन समिति की ओर से हैं । इस प्रकार कुल ६ चिकित्सालय जिले में हैं ।

तहसील कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद में ओलों से क्षति

*५४—श्री सुल्तान आलम खां—क्या सरकार को मालूम है कि कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद के कई ग्रामों में जिनमें रायपुर ग्राम भी सम्मिलित है, ९ मार्च, १९५६ ई० को बड़े जोर से ओले पड़े ?

श्री चरण सिंह—जी हां ।

*५५--श्री सुल्तान आलम खां--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि ये कौन-कौन से ग्राम हैं और इनमें किस-किस फसल को कितनी हानि हुई ?

श्री चरण सिंह--मांगी गई सूचना संलग्न सूची में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४०२ पर)

*५६--श्री सुल्तान आलम खां--इस संबंध में सरकार ने तकावी तथा दूसरी सहायता का क्या प्रबन्ध किया ?

श्री चरण सिंह--जो व्यक्ति तकावी के लिये मांग करेगा उसको उचित तकावी दी जायगी तथा लगान और मालगुजारी में छूट देने के लिये नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

श्री सुल्तान आलम खां--क्या सरकार के पास ऐसे कुछ आंकड़े हैं जिनसे यह मालूम हो सके कि इस सिलसिले में कितनी तकावी दी जा चुकी है ?

श्री चरण सिंह--ऐसे आकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

श्री सुल्तान आलम खां--इन गांवों में जहां ओले गिरे हैं क्या वहां मनादी करा दी गयी है कि जो लोग दरख्वास्त देंगे उनकी दरख्वास्त पर गौर किया जायगा ?

श्री चरण सिंह--ऐसी मनादी आमतौर पर नहीं करायी जाती है ।

आजमगढ़ जिले के सूरजपुर तथा निजामाबाद जूट विकास केन्द्र

*५७--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या कृषि मंत्री १६-१-५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों विकास केन्द्रों में कितने-कितने गांव शामिल हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जिला आजमगढ़ के सूरजपुर जूट विकास केन्द्र के अन्तर्गत १३ गांव तथा निजामाबाद जूट विकास केंद्र के अन्तर्गत २१ गांव हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन दोनों विकास केन्द्रों पर कहां-कहां कर्मचारी काम करते हैं और उनका मासिक खर्चा क्या है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इसके लिये सूचना की जरूरत है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--यह निजीमाबाद और सूरजपुर के जूट विकास केंद्र कब खोले गये है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इसके लिये भी नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि निजीमाबाद विकास केन्द्र में कौन-कौन से गांव शामिल हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जैसा पहले बताया गया २१ गांव हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं:--

मझनगवा, चनदई, नदौली, डोंडेपुर, अन्धौली, सेमरा, पौरिहा, मनियापुर, धौरीपुर, चन्दाभाई सहरिया, निजामाबाद, बारागांव, मालिकपुर, किशनदासपुर, टीकापुर, जमालपुर, दादरा, जहबापुर, रायपुर और जंगीपुर ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इन दोनों गांवों में जो विकास केंद्र खोले गये हैं, जब विकास केंद्र खोले गये तब ये सम्मिलित किये गये थे या बाद में सम्मिलित किये गये हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—मैं समझता हूं कि ये तभी से शामिल हैं जब से विकास केन्द्र खोले गये थे। बीच में तो जूट का भाव इतना गिर गया था कि उनके बढ़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बाद में अब कीमतें बढ़ी हैं, मुमकिन है कि अब और गांव लिये जायं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो जूट विकास केंद्र में गांव हैं, उन में जो जूट पैदा होता है, क्या सरकार की ओर से उस जूट को खरीदने का कोई प्रबन्ध है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—सरकारी विभाग उसमें कोशिश करते हैं चुनांचे इस साल का जो जूट है वह सब बिक गया है और कोई खास तादाद बाकी नहीं रही है।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि निजामाबाद जूट केंद्र में कुल गांवों में कितना जूट इस साल पैदा हुआ है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—वह कुल आंकड़े तो मौजूद नहीं हैं, अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उन को मालूम करके बता दूंगा ?

अतारांकित प्रश्न

१—श्री कमला सिंह—[२८ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

रायबरेली जिले के बीज भण्डार

२—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली में कुल कितने सरकारी बीज भंडार हैं ?

श्री हुकुम सिंह—जिला रायबरेली में इस समय कुल चार उन्नत बीज भंडार हैं।

३—श्री गुप्तार सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन बीज भंडारों में कितनों की इमारत पक्की और कितनों की किराये पर हैं ?

श्री हुकुम सिंह—उक्त चार उन्नत बीज भंडार नौ इमारतों में स्थित हैं जिसमें से जार इमारतें पक्की हैं और आठ इमारतें किराये पर हैं।

४-५—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—[२८ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

बनारस तथा चन्दौली तहसीलों में दी गयी भूमिधरी की सनदें

६—श्री देवमूर्तिराम (जिला बनारस)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बनारस जिले की चंदौली और बनारस तहसीलों में अलग-अलग कितनी भूमिधरी की सनदें सन् १९५५-५६ में जारी की गईं।

श्री चरण सिंह—तहसील चंदौली में ६५५ और तहसील बनारस में १३१६ भूमिधरी की सनदें सन् १९५५-५६ में जारी की गईं।

७—श्री देवमूर्ति राम—उपर्युक्त दोनों तहसीलों में कितने प्रार्थना-पत्र भूमिधरी के विचाराधीन हैं और उनमें से कितने सन् १९४९-५० के भी बिना विचार के ही पड़े हुये हैं और अब तक कोई भी कार्यवाही उन पर नहीं हुई ?

श्री चरण सिंह---तहसील चंदौली में भूमिधरी के केवल ३ प्रार्थना-पत्र जो हिस्से के विषय में हैं, विचाराधीन हैं। इनमें से सन् १९४९-५० का कोई भी प्रार्थना-पत्र नहीं है। तहसील बनारस में भूमिधरी के ३५१ प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं। इनमें से ३०४ प्रार्थना-पत्र सन् १९४९-५० के हैं जिन पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है क्योंकि इनका संबंध तहसील में गबन हुई धनराशि से है।

८---श्री देवमूर्तिराम---जो प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत कर दिये गये हैं उनके रुपये लौटाने की क्या व्यस्था की गई है ?

श्री चरण सिंह---प्रायः दसगुना की पूरी रकम जमा न करने के कारण ही प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये गये हैं। संबंधित काश्तकारों को सूचित करने की व्यवस्था की जा रही है कि वे या तो अपनी आंशिक रूप में जमा की हुई धनराशि को सरकार को देय मालगुजारी आदि की रकम में मुजरा करा लें या उसे वापस लेने की कार्यवाही करें या अवशेष धनराशि जमा करके भूमिधरी सनद प्राप्त कर लें।

आजमगढ़ जिले में खरीफ १३६३ फसली में मालगुजारी में छूट

९---श्री उमाशंकर---क्या सरकार कृपा कर आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के उन ग्रामों की एक सूची मेज पर रखेगी जिनकी मालगुजारी पिछले साल (सन् ५५) में बाढ़ के कारण माफ करनी पड़ी ?

श्री चरण सिंह---आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के उन ग्रामों की एक*सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जिनमें खरीफ १३६३ फसली की बाढ़ तथा अतिवृष्टि के कारण मालगुजारी में छूट दी गई।

बदायूं-सहसवान मार्ग पर सरकारी बस चलने की आवश्यकता

१०---श्री मुश्ताक अली खां (जिला बदायूं)---क्या सरकार बतायेगी कि बदायूं सहसवान रोड पर सरकारी बसें कब से चलेंगी और क्या वहां बस स्टेशन बनाने के अहकमात जारीकर दिये गयें ?

श्री चरण सिंह---अभी इसका निर्णय नहीं हुआ है कि कौन-कौन से मार्गों पर रोडवेज की बसें वर्तमान वित्तीय वर्ष में चलाई जायेंगी। बदायूं सहसवांन मार्ग पर अभी बस स्टेशन बनाने के आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

११-१२---श्री उमाशंकर---[४ जून, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

१३---श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)---[१८ मई, १९५६ के लिये प्रश्न ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जाय।]

१४---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---[२८ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

तारांकित प्रश्न १८ से सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शोधन करने की प्रार्थना

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो देवरिया के सिलसिले में जो हाट बाजारों की बाबत सवाल पूछा गया था उसमें कुछ भ्रम हो सकता है उसकी सफाई जरा मैं करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---वह मैं समझता हूं आप किसी दूसरे रोज दे दें ? आप उत्तर बदलना चाहते हैं तो दुरुस्ती कर के पहले मेरे पास भेज दें।

---

*सूची छापी नहीं गयी।

श्री चरण सिंह---वैसे तो कोई ऐसी बदलने की बात नहीं थी।

बैठक के समय में परिवर्तन करने का सुझाव

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अनुरोध था कि उस दिन सदन में बताया गया था कि सदन की यह बैठक १० तारीख तक होगी और उसके बाद फिर १६ से होगी तो मेरा अनुरोध यह था कि सदन का समय सुबह या शाम का कर दिया जाय, यहां वैसे ही कोरम नहीं होता है अन्यथा गर्म बहुत हो रहा है बाई एलेक्शन की जरूरत पड़ जायगी।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह सुझाव ऐसा है कि इसे आप मेरे कमरे में दें तो उचित होगा। इस समय यहाँ नेता सदन भी मौजूद नहीं हैं और न इस समय नेता विरोधी दल ही हैं, तो इस समय नेता लोग मौजूद नहीं हैं। आप मेरे पास यह सुझाव भेज दें मैं उनसे बात कर के इस संबंध में निश्चय कर लूंगा।

*गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब शिक्षा उप मंत्री के प्रस्ताव पर कि गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६, पर जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत हुआ है, विचार किया जाय, विवाद जारी रहेगा।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्न-लिखित संशोधन पेश करता हूं कि---

"गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ को पुनः एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन ३० मई, १९५६ तक सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर दे और जिसे विधेयक की परिधि (scope) को भी बढ़ाने का अधिकार हो।"

अध्यक्ष महोदय, उस दिन माननीय शिक्षा मंत्री जी की ओर से माननीय शिक्षा उप मंत्री जी ने गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक को सदन के सामने प्रस्तुत करते हुये थोड़े से शब्दों में कहकर, पेश कर दिया। खुशी इस बात की है कि उन्होंने बिल को पेश करते हुये कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल इशू सदन के सामने प्रस्तुत नहीं किया जैसा कि इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करते समय किया था। अध्यक्ष महोदय, यह गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक जिसकी बहुत दिनों से चर्चा थी और आशा यह थी कि माननीय मंत्री जी और यह सरकार स्वतंत्र भारत में जब से इस देश को स्वतंत्रता मिली है पहला ही यह विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसको ऐसा रूप देंगे जो भारतीय स्वतंत्रता और भारतीयता के अनुकूल होगा, लेकिन दुख और खेद की बात है कि वह बिल उसी प्रकार का है जिस प्रकार से अंग्रेजों ने लखनऊ, इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के लिये किया था। इस बिल की चर्चा जिसकी बहुत दिनों से हम और सारा प्रदेश इस बात की आशा लगाये हुये थे कि हमारे प्रदेश की अधिकांश जनता देहातों में रहती है और देहाती वातावरण के अनुकूल इस विधेयक को प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह उद्देश्य और कारण है। इनके अंतिम पैराग्राफ में माननीय मंत्री जी ने इस ओर संकेत किया है कि ग्रामीण स्तर देने का विचार इस विधेयक को था लेकिन वह इसे प्रदान नहीं कर सके। खेद इस बात का है कि उन्होंने इस ओर इस प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और न इस उद्देश्य और कारण में भी दिखलाया है कि वे कौन से कारण थे जिनके कारण वे अपने मंतव्य को पूरा नहीं कर सके हैं। अध्यक्ष महोदय, वह पैराग्राफ इस प्रकार है।

"इस विश्वविद्यालय को ग्रामीण स्वरूप देना अभिप्रेत था जिससे कि वह उस क्षेत्र के आर्थिक साधनों तथा समस्याओं के अनुरूप बन सके, किन्तु प्रस्तुत विधेयक में इस विषय में

---

*१७ जनवरी, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

विश्वविद्यालय पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और उसे स्वेच्छानुसार अपने कार्यों को नियोजित करने की स्वतंत्रता दी गई है।

अध्यक्ष महोदय, यह बिल ऐसे प्रस्तुत किया गया है जैसे सन् ४७ में अंग्रेजों ने भारतवर्ष को स्वतंत्रता प्रदान की थी, कि स्वतंत्रता दी तो लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी। इसी प्रकार से यह बिल पेश तो किया गया है लेकिन पेश करते हुये वह स्वयं ही कुछ अनिश्चित से है। जो बिल पेश किया गया है वह कहां तक ठीक है यह सदन ही उसे निश्चय करे। अध्यक्ष महोदय, जिस समय उन्होंने बिल पेश किया उस समय इस ओर संकेत किया था माननीय पंत जी ने जिस समय सन् ५० में गोरखपुर युनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी के तत्वावधान में विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था उस समय अपने भाषण में यह इच्छा प्रकट की थी कि इस विश्वविद्यालय को रूरल यूनिवर्सिटी का रूप दिया जायगा। उन्होंने बताया कि राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट में भी रूरल यूनीवर्सिटी के विषय में चर्चा है लेकिन उसका स्पष्ट रूप नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है "कि समझदार के लिये संकेत काफी होता है"। जब इस विधेयक में इतनी डिटेल में इसका अंतिम चैप्टर दिया गया है कि यूनिवर्सिटी के ग्रामीण स्तर के ऊपर विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये किन-किन ग्राउन्ड्स की आवश्यकता है और किस प्रकार उसे स्थापित किया जाय। इसे काफी अच्छे ढंग से डील किया गया है, फिर समझ में नहीं आया। आखिर उन्होंने इसमें जो इस ओर संकेत किया है कि स्वतंत्र भारत में जब तक रूरल यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं की जायगी तब तक हमारी जो मौजूदा आवश्यकतायें हैं वे पूरी नहीं हो सकती हैं, वह रूप इस विधेयक में क्यों नहीं दिया गया? अध्यक्ष महोदय, पूज्य बापू ने पहले ही बेसिक एजूकेशन को एक ऐसा रूप दिया था जिसे अंग्रेजी काल में भी बहुत कुछ रिकग्नीशन मिल गया था और उसे हमारी इस सरकार ने सिद्धान्ततः स्वीकार कर के एक अच्छा रूप प्रदान किया है। गत वर्ष रिओरिएंटेशन की स्कीम लागू करके जूनियर हाई स्कूलों में भी उस योजना को बहुत कुछ लागू कर दिया गया है। लेकिन विश्वविद्यालय की जहां तक बात है उसकी ओर उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है। आज सभी विद्वान् हमारे देश के इस बात को मानते हैं कि जो मौजूदा शिक्षा पद्धति है वह हमारे इस प्रदेश के अनुकूल और इस समय जो युग है उसके अनुकूल नहीं है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों उन्होंने इस प्रकार का विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया, जिसका कोई भी वास्तविक अर्थ नहीं निकलता है। हां, इससे एक बात अवश्य सिद्ध होती है कि उन नौ जिलों के लोगों को, जिनको गोरखपुर यूनिवर्सिटी में सम्मिलित होने का अवसर दिया गया है और विशेषतः गोरखपुर को इस बात का सौभाग्य प्राप्त होगा कि वहां भी एक विश्वविद्यालय बन गया है। लेकिन जो हमारे देश की परिस्थिति है और पिछले कई कमीशनों ने इस बात की ओर इशारा किया है कि भारतवर्ष में जो आज शिक्षा पद्धति चल रही है, इससे उसका कल्याण होने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट के पृष्ठ ४५ पर "प्रेजेंट डे नीड" करके शीर्षक दिया गया है उसमें लिखा है:

"There is a great disparity between what our country requires and what our education offers."

आज देश में जिस शिक्षा की आवश्यकता है और जो शिक्षा दी जा रही है उसमें बहुत बड़ा अन्तर है। आज यह कहना अनुचित न होगा कि चीन और रूस और दूसरे देशों ने स्वतंत्र होते ही अपने देश में उस शिक्षा प्रणाली को प्रारम्भ किया जिसके कारण थोड़े ही समय में उन्होंने समस्त जनता को शिक्षित कर दिया है। आज की शिक्षा ऐसी है कि बी० ए० और पोस्ट ग्रेजुएट हो जाने पर भी वह समाज के लिये बेकार का प्राणी हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों का तो ऐसा कथन है कि आज एक हलवाहा राष्ट्र के लिये उपयोगी है। लेकिन आज का एक पढ़ा लिखा आदमी बी० ए०, एम० ए० यदि उसको किसी विभाग में नौकरी या सर्विस नहीं मिली तो वह समाज के ऊपर भार है और देश के लिये बेकार है। जब ऐसी परिस्थिति है तो इस प्रकार का विधेयक कहां तक उचित कहा जा सकता है इसमें

[श्री जोरावर वर्मा]

संदेह है। पहले से ही समाज के अन्दर किस प्रकार का मनोमालिन्य है। समाज में एक दूसरे के प्रति कितनी घृणा है इसे शिक्षा ही दूर कर सकती है। शिक्षा का सोशल ऐस्पेक्ट क्या होना चाहिये यह इस कमीशन की रिपोर्ट में बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। पृष्ठ ३५ पर लिखा है—

"We must have a conception of the social order or which we are educating our youth. We know what Hitler did in six years with the German youth. The Russians are clear in their mind about the kind of society for which they are educating and the qualities required in their citizens. They tried to remake man in a new image. Our educational system must find its guiding principles in the aims of the social order for which it prepares, for the nature of civilization which hopes to build. Unless we know whither we are tending, we cannot decide what we should do and how we should do it. Societies—like men need a clear purpose to keep them stable in a world of bewildering change."

अध्यक्ष महोदय, इसमें कहा गया है कि आज कल की जो.....

श्री अध्यक्ष—यह किताब कौन सी है ?

श्री जोरावर वर्मा—राधाकृष्णन् कमीशन रिपोर्ट के प्रथम खंड के पृष्ठ ३५ पर। कि रूस और जर्मनी ने अपने नवयुवकों को किस प्रकार शिक्षा दी और थोड़े ही काल में उन्होंने किस प्रकार अपने देश का निर्माण किया है। लेकिन आज हमारे देश में भी इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है। लेकिन हम इस बिल में देख रहे हैं कि जो विश्वविद्यालयों की पुरानी परम्परा है उसी को पीटा गया है। माननीय उपमंत्री जी ने उस दिन संकेत किया था कि राधाकृष्णन् कमीशन की रिपोर्ट में इस प्रकार का कोई ठीक से उल्लेख नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, और वक्ता लोग बोलेंगे, वे इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे क्यों कि इसमें अंतिम चैप्टर में दिया हुआ है, उसमें बड़े डिटेल रूप में यह बात दी गई है। क्योंकि हम लोगों की इच्छा तो यही थी कि जिस प्रकार गांधी जी ने बेसिक ऐजूकेशन को समाज के सामने पेश किया और आज हमारी सरकार ने उसे माना उसी रूप को आज हमारी सरकार यह वृहत् रूप देगी और जिस समय हमारा यह देश स्वतंत्र होगा उस समय हम अपने अनुकूल शिक्षा को अपनायेंगे। तो आज उसी खराब रूप को हमारे सामने पेश किया है। अध्यक्ष महोदय, इस बिल को इस प्रकार कहा जा सकता है कि "खोदा पहाड़ और निकली चुहिया।" इतने बड़े प्रयत्नों के बाद इस प्रकार का स्वरूप सामने आया जो इस समय के समाज के कदापि अनुकूल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में उसी प्रकार की तमाम धारायें रखी गई हैं जैसे कि इलाहाबाद, लखनऊ और आगरा में रखी गई हैं और उसका परिणाम यह है कि यूनिवर्सिटी एक केरीकेचर बन गई है जिसके कारण जनता में जो शिक्षा देनी चाहिये वह नहीं दे सकती।

यूनिवर्सिटी की स्वतंत्रता का अपहरण करने के लिये इस बिल में जगह-जगह पर संकेत किया गया है। राधाकृष्णन् कमीशन ने साफ इस ओर संकेत किया है कि जिस स्टेट में एक से अधिक यूनिवर्सिटीज हों वहां चांसलर गवर्नर को नहीं होना चाहिये, क्योंकि उसके चांसलर होने से सीधा अर्थ हो जाता है कि यूनिवर्सिटी स्वतंत्रतापूर्वक काम नहीं कर सकती। इसी प्रकार से वाइस-चांसलर के अप्वाइंटमेंट में भी इस प्रकार की धारा रखी गई है कि उसकी नियुक्ति चांसलर करेंगे। माननीय मंत्री जी ने जिस समय यह बिल पेश किया यह संकेत किया था कि राधाकृष्णन् कमीशन ने इस प्रकार की रूरल यनीवर्सिटी की ओर संकेत नहीं किया है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिन विषयों की ओर राधाकृष्णन् कमीशन ने एक राय से अपना विचार व्यक्त किया है उस ओर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

उन्होंने वाइस-चांसलर के अप्वाइन्टमेंट के विषय में भी कहा है कि उसकी नियुक्ति का अधिकार कार्यकारिणी को होना चाहिये और वह इस प्रकार से हो कि कार्यकारिणी निश्चित रूप से, सर्वसम्मति से एक नाम पेश करे। लेकिन इस विधेयक में इस बात का प्रावीजन नहीं है कि वाइस-चांसलर का चुनाव कार्यकारिणी नहीं करेगी बल्कि कार्यकारिणी अपने दो सदस्य चुनेंगी और एक चांसलर चुनेगा, ये तीनों मिल करके वाइस-चांसलर का नाम गवर्नर के पास भेजेंगे। और उसमें यह कहा गया है कि देहली यूनिवर्सिटी की तरह चुनाव की व्यवस्था हुई है। लेकिन मैं आपकी आज्ञा से इन दोनों धाराओं को पढ़े देता हूं जिससे यह प्रकट हो जाता है कि देहली यूनीवर्सिटी की आड़ ली गई है लेकिन वास्तव में इनमें बड़ा अन्तर है। क्योंकि देहली यूनिवर्सिटी ने इस प्रकार की व्यवस्था जरूर की है। उपकुलपति के चुनाव के लिये एक समिति बनेगी जिसमें कार्यकारिणी के दो सदस्य चुने और एक चांसलर चुने। ये तीनों मिल करके चांसलर के पास अपने तीन नाम पेश करें उनमें से चांसलर एक को वाइस-चांसलर नियुक्त करेंगे। लेकिन जो बिल पेश किया गया है इसमें यह बात नहीं है। धारा १२ की उपधारा (६) इस प्रकार है

"(६) उपधारा (५) में निर्दिष्ट समिति में ३ व्यक्ति होंगे जिनमें से २ ऐसे व्यक्ति कार्यकारिणी परिषद द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे जो विश्वविद्यालय अथवा घटक अथवा सम्बद्ध कालेज से संबंधित न हों, और १ व्यक्ति कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जायगा, कुलपति तीनों व्यक्तियों में से एक को सभापति नियुक्त करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कुलपति इस प्रकार सिफारिश किये गये किसी व्यक्ति को अनुमोदित न करे तो वह नई सिफारिशें मांग सकता है।"

अध्यक्ष महोदय, जहां तक देहली यूनीवर्सिटी के वाइस-चांसलर की व्यवस्था है वह इस प्रकार से है—

"(*c*) A committee of three persons, two of whom shall be persons not connected with the University or any College nominated by the Executive Council, and one person nominated by the Chancellor, who shall also appoint one of the three as chairman of the Committee, shall select not less than three persons and shall report its selection to the Executive Council. The Executive Council shall make its recommendations on the persons so selected to the Chancellor, who shall appoint one of such persons as Vice-Chancellor."

अध्यक्ष महोदय इससे साफ प्रकट है कि इन तीन व्यक्तियों की जो कमेटी बनेगी देहली यूनीवर्सिटी में उन्हीं को यह अधिकार है कि वे जिन व्यक्तियों का नाम निर्देशित करेंगे उनमें से एक को कुलपति, उपकुलपति बनायेगा लेकिन हमारा जो विधेयक रखा गया है उसमें एक तो यह अपूर्ण है क्योंकि जो तीन व्यक्तियों की कमेटी है उसमें यह संकेत होता है कि सीधे चांसलर को अपनी सिफारिशें वह भेज देगी। दूसरी बात यह और इसमें है कि चांसलर चाहे तो उन नामों को वापस भी कर सकता है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से यह जो वाइसचांसलर के अधिकार दिये गये हैं वह बहुत ही अनलिमिटेड हैं और जो विश्वविद्यालय की आटोनामी है उसके ऊपर वह कुठाराघात करते हैं। जहां तक यूनिवर्सिटी कोर्ट की बात है उसको इस प्रकार से अनलिमिटेड कर दिया है, जिससे यह निश्चित हो नहीं है कि उसकी संख्या हजारों तक जायगी या कहां तक जायगी? उसमें सरकारी नामिनेशंस को इस प्रकार से भरमार है, जिसके कारण यह विश्वविद्यालय किस तरह से अपना कार्य कर सकेगा, यह बड़ी विचित्र बात है। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, इसमें एक धारा द्वारा जो कालेजेज आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, सन् ५६ के बाद उनका एफिलिएशन खत्म हो जायगा और अगर वह पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री पढ़ा रहे हैं तो वह अब नहीं पढ़ा सकते और दूसरी बात यह कि जो नौ जिलों के कालेजेज हैं उनमें पोस्ट ग्रेजुएट की स्टडी नहीं हो सकेगी। यह बड़ी भारी रुकावट डाली जा रही है। पहले निश्चय किया गया था कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी जो है वह जिस व्यक्ति को रिकमेंडेशन करे दो साल के लिये वह वाइस-चांसलर होगा। लेकिन जिस समय यह विधेयक प्रवर समिति को

[श्री जोरावर वर्मा]

सुपुर्द किया गया था उस समय इस प्रकार की चीज खत्म कर दी गई और गवर्नमेंट चाहे जिस व्यक्ति को वाइस-चांसलर नियुक्त कर सकती है। इस प्रकार से इस विधेयक को इस प्रकार लिमिटेड और छोटा कर दिया गया है कि वास्तव में जो विश्वविद्यालय की धारणा हमारी थी और जिसकी ओर बापू ने अपने बेसिक एजुकेशन के द्वारा इंगित किया था आज वह चीज दूर कर दी गई है और मैं समझता हूं कि इस प्रकार के विधेयक से सूबे का भला नहीं होगा। इसलिये इस बिल को फिर से ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---माननीय जयपाल सिंह, आप अपने संशोधन में एक तो मियाद नहीं रखना चाहते हैं और दूसरे परिधि नहीं बढ़ाना चाहते हैं, क्या इस प्रकार का संशोधन आप पश करेंगे ? और यह केवल प्रवर समिति के पास भेजना आप चाहते हैं ?

***श्री जयपाल सिंह** (जिला सहारनपुर)---जी हां। मैं प्रस्ताव करता हूं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ पुनः प्रवर समिति को भेज दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---लेकिन यह संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया था तो .....

श्री जयपाल सिंह---संयुक्त प्रवर समिति कर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक यूनिवर्सिटी की आवश्यकता का सम्बन्ध है कि आया गोरखपुर ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर विश्वविद्यालय की स्थापना करें जब हम इस पर विचार करते हैं तो यह समझ में नहीं आता कि आया सरकार की पालिसी किसी ढांचे में बंधी है जिसे हम सब जगह लागू कर सकें, या नहीं जब हमने यह देखा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक भवन के सामने आ रहा है तो हम यह उम्मीद करते थे कि सरकार की कोई निश्चित पालिसी ऐसी होगी जो सारे प्रदेश के लिये ऐसे सर्वांगीण तरीके से तरक्की करने के लिए हो, जिससे हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। जब हम यह देखते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो बिल है उसमें अफिलिएटेड कालेजेज सिर्फ ९ जिलों के मिला कर के यह बना दिया गया है, वहां पर अगर अफिलिएटेड कालेजेज हों को मिलाकर बनाना है तो आगरा यूनिवर्सिटी पहले से ही मौजूद है। अगर यह कहा जाय कि आगरा यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत बड़ा भार पड़ गया है इसलिए उसको हल्का करने के लिए यह जरूरी है कि हम गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना करें, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस उसूल को भी अगर हम मान लें, तब भी हम यह महसूस करेंगे कि यह हमारे सामने ठीक नहीं बैठता। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हमारे ९ जिलों के अन्दर डिग्री कालेजेज हैं वहां पर पोस्ट-ग्रेजुएट शिक्षा का बन्दोबस्त करने के लिए प्रावीजन यहां पर कर रहे हैं। वहां ऐसा प्रतिबन्ध है जिससे कि हम अपने हर व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार तरक्की करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक अड़चन डालते हैं और जब आलरेडी वहां पर ऐसे कालेजेज मौजूद हैं तो क्यों हम इस तरह का प्रतिबन्ध करें ?

श्री अध्यक्ष---आप जरा कृपा करके बैठें। इसका जरा स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये, क्योंकि यह ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को जा चुका है। क्या आप चाहते हैं कि अब यह केवल सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय ? इस वक्त इस सदन की प्रवर समिति को भेजने का अमेंडमेंट नहीं आ सकता। आप "पुनः संयुक्त प्रवर समिति" को भेज सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जयपाल सिंह—यह तो मैंने कहा है ।

श्री अध्यक्ष—तो आप मियाद मुकर्रर नहीं करते और कोई स्कोप नहीं बढ़ाते । इतना ही अन्तर है आपके संशोधन और माननीय जोरावर वर्मा के संशोधन में ?

श्री जयपाल सिंह—जी हां ।

श्री अध्यक्ष—तो आप अपने संशोधन को इस प्रकार दुरुस्त कर लें कि पुनः संयुक्त प्रवर समिति के पास यह विधेयक भेज दिया जाय ।

श्री जयपाल सिंह—मैं यह कह रहा था अध्यक्ष महोदय, कि जब हम इस बात पर विचार करते हैं कि केवल वहां के डिग्री कालेजेज में हम ग्रेजुएट्स को ही इजाजत देंगे और वह पोस्ट-ग्रेजुएट की शिक्षा नहीं दे सकेंगे, यह सर्वथा अनुचित है और हम वहां के रहने वालों के लिए उन कालिजों में जहां अब तक शिक्षा वह कहीं पाते रहे हैं या वहां की जनता फायदा उठाती रही है, उनके इंटरेस्ट के भी खिलाफ होगा, और मैं यह भी देखता हूं कि अगर गोरखपुर यूनिवर्सिटी हमें एक ऐसा आइडिया देती है जिससे हम रूरेलाइजेशन कर सकें तो भी बेहतर है, लेकिन जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा कि आइडिया तो हमको दिया, लेकिन उसका कांक्रीट शेप हमको नहीं मिली है, इसलिए हमें उसका एक आइडिया जैसा कि हमें कहीं सुनाई दिया और मिला वह हमने रखा और उसमें और हमारे एजूकेशन के सिस्टम में कोई फर्क नहीं है । मैं तो अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी एजूकेशन की प्रणाली बेसिकली गलत तरीकों में जा रही है और नीचे से ऊपर तक उसको बदलने की आवश्यकता है और जब तक तब्दीली नहीं आयेगी तब तक हम कहीं रूरल नाम देकर, कहीं दूसरे नाम से यूनिवर्सिटियां खोलें तो इसका नतीजा यह होगा कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो वहांपर मौजूद हैं और सरकार पर उनका पूरा प्रभाव है, उन्हीं को लेकर के यूनिवर्सिटी बना दी जाती है । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को उन वेस्टेड इंटरेस्टस पर काबू रखना चाहिये । सरकार सभी की रिप्रेजेंटेटिव है, सभी के लिए उत्तरदायी है, इसलिए उसको अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहिये । इसलिए अगर रूरल यूनिवर्सिटी बनाने का विचार है तो हमें अपने एजूकेशन के सिस्टम को शुरू से आखिर तक बदलना पड़ेगा और अगर नहीं बदला तो इसी तरीके से हम यूनिवर्सिटी बनाते जायेंगे और ग्रेजुएटस् को हम ठीक उसी तरीके से जैसे एक मशीन सिग्रेट निकाल कर फेंकता है । उसी तरह से हम अपने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुयेट्स को निकालते जायेंगे और एक बड़ी तादाद अनएम्प्लायमेंट की हमारे सामने उपस्थित होगी । इस तरह से हम एजूकेटेड अनएम्प्लायमेंट को बढ़ा रहे हैं कम नहीं कर रहे हैं ।

हमारा लक्ष्य यह होना चाहिये कि किस तरीके से देहात में रह कर वहां के विद्यार्थी अपनी जीविकोपार्जन कर सकें और उन तरीकों से रह सकें जो प्रजातंत्रीय है । प्रजातंत्र हमारा अभी शैशवावस्था में है । उसमें हमको वह तरीका अपनाना होगा कि किस तरीके से हमारे बच्चे आगे देश को बना सकेंगे । लेकिन आज सवाल इस बात का है कि हम अपने युवकों को आज क्या सिखा रहे हैं । मैं देखता हूं कि जब हमारे सामने कोई एप्लीकेशन आती है तो ग्रेजुएट की ऐप्लीकेशन में भी बहुत सी गलतियां मिलती हैं । अंग्रेजी को छोड़ दीजिये वह तो फारेन लैंगुयेज है उसमें गलती होना स्वाभाविक है हिन्दी को लीजिये उसमें भी कई मिस्टेक मिलती हैं । आखिर यह क्या एजूकेशन है । हम अपने विद्यार्थियों को उतनी भी शिक्षा नहीं दे पाते हैं जितना जरूरी है । इसलिये जरूरत इस बात की है कि जब हमें अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे एजूकेशनिस्टस, अच्छे टेक्नीशियन्स, और अच्छे इंजीनियर्स पैदा करने हैं तो हमें यह अवश्य देखना चाहिये कि इस तरह का एजूकेशन से अच्छे विद्यार्थी पैदा नहीं हो सकते। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस तरीके को बदलना पड़ेगा । अगर एकाडेमिक कंडीशन को देखा जाय कि वहां एकनोमिक कंडीशन बहुत अच्छी है

[श्री जयपाल सिंह]

लेकिन होता है यह कि पूरी जिम्मेदारी उस क्षेत्र के लोगों पर पड़ जाती है। इसलिये यह जो आइडिया है उसको फौरन तर्क करना पड़ेगा और फौरन ही अपनी पालिसी को रिओरियन्टेट करना जरूरी है।

हमें एक निश्चित क्वालिटी अपने प्रदेश को देना है जिससे हमारे नवयुवकों का विकास हो सके और वह अच्छे सिटीजन्स बन सकें और सिटीजन्स ही नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी सम्हालने वाले अच्छे लीडर बन सकें लेकिन मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि बजाय इसके कि वे लीडर बन सकें होता यह है कि वे अपने कर्तव्य तक का पालन नहीं कर सकते हैं। आज हमारी यूनिवर्सिटीज में ट्रेड यूनियन्स की तरह पर टीचर्स और विद्यार्थियों के यूनियन्स से बन गये हैं और दोनों एक दूसरे की अथारिटी अपने पास लेकर लड़ते झगड़ते रहते हैं। विद्यार्थियों के प्रति क्या भाव टीचर्स के होने चाहिये और विद्यार्थियों के क्या भाव टीचर्स के प्रति होने चाहिये यह बात उनके जानने नहीं है। इसलिये सरकार को इसके लिये कोई न कोई तरीका निकालना है। हां उसने एक तरीका निकाला जरूर है और वह है हस्तक्षेप का। हस्तक्षेप करने की तरफ वह बहुत बढ़ी है। मैं हाउस से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे टेकनीकल ऐडवाइजर हिन्दुस्थान के शिक्षा विभाग के हुमायूं कबीर साहब ने फरमाया है :—

"Exclusive control of education by the State has been an important factor in facilitating the maintenance of totalitarian tyrannies."

"We must resist, in the interests of our own democracy the trend towards the governmental domination of the educational process."

ये उनके विचार हैं। हम देखते हैं कि सरकार का हस्तक्षेप एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन में ज्यादा बढ़ता जा रहा है और वह हमारी सच्ची भावना की रक्षा नहीं कर सकता जब तक हम अपने टीचर्स को इस तरह का नहीं बनाते हैं कि हर विषय पर वे अपने विचार दे सकें जिसे वे महसूस करते हैं और तब तक सही तरीके से हमारे प्रदेश में जनतंत्रवाद कायम भी नहीं हो सकता है। और हम देखेंगे कि वह डिसिप्लिन जिसे हम कहते हैं वह ऊपर से इम्पोज किया जा रहा है और वह किया नहीं जा सकता, वह उनमें पैदा किया जा सकता है और वह तभी पैदा किया जा सकता है जब कि वह एक रेजीडेंशल यूनिवर्सिटी बन सके और जब टीचर्स और विद्यार्थी आपस में मिलते हों और आपस में घुल मिल जायं, वे एक दूसरे की वीकनेस को समझते हों और टीचर्स ज्यादा अच्छे तरीके से गाइडेंस दे सकें। अब इसके लिये हमें इसमें, अपनी पूरी पालिसी का रिओरियेन्टेशन करना होगा।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो मील के रेडियस तक के अन्दर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्टस में यूनिवर्सिटी नहीं है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी यहां से ११२ मील दूर है।

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)—१७६ मील है।

श्री जयपाल सिंह—तो १७६ मील ही होगी। टाइम टेबुल में गलत लिख दिया। मैंने उसी से देखकर बताया था। मगर गोंडा जो यहां से ४१ मील की ही दूरी पर है उसको लखनऊ से छीन कर गोरखपुर को देने की क्या जरूरत है। क्या इससे एजूकेशन अच्छा हो सकता है या वहां के लोगों की आर्थिक समस्याओं का हल हो सकता है? विद्यार्थियों के लिये तो ऐसा इन्तजाम होना चाहिये कि वे नजदीक आकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। गोंडा अगर उधर खींचा जाता है तो यह साफ है कि इन्साफ नहीं हो रहा है। अगर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों की तादाद ज्यादा है तो मेरठ यूनिवर्सिटी की क्यों नहीं आवश्यकता है जब कि राधाकृष्णन् रिपोर्ट में इसके लिये सबसे पहली सिफारिश की गयी है। कानपुर के लिये भी उसने सबसे पहली सिफारिश की है लेकिन उसकी लापरवाही की जा रही है। न मालूम वेस्टेड इंटरेस्ट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आपका किसी को वाइस-चान्सलर

बनाने का विचार हो तो अपनी मर्जी का बना लीजियेगा। आज अगर मेरठ कालेज को देखा जाय तो ६३, ६४ साल हुये उसको बने हुये। उसके पास बिल्डिंग है, साधन हैं, चार हजार के करीब विद्यार्थी हैं और १४ डिग्री कालेज उसी रीजन में मौजूद हैं जब कि हमारे उत्तर प्रदेश में सिर्फ ५२ डिग्री कालेज हैं। तो क्या वहां यूनिवर्सिटी नहीं बनायी जा सकती? लेकिन उसके लिये एक लापरवाही बर्ती जा रही है। पता नहीं क्या पक्षपात है। अगर आपको अपना उपकुलपति बनाना है तो जो मौजूदा वहां के प्रिंसिपल हैं उन्हीं को बना दीजिये। वे भी डिप्टी मिनिस्टर के दोस्त, क्लासफेलो और साथी हैं। अगर आप पूरे डिवीजन को लीजिये तो वहां यूनिवर्सिटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप वहां के इलाके में रेफ्रेन्डम भी ले तो प्रबल बहुमत इस पक्ष में होगा। तो एक तरफ तो मेरठ को इस तरह से इगनोर किया जा रहा है और दूसरी तरफ गोरखपुर और बनारस में यूनिवर्सिटियां खोली जा रही हैं। आखिर बनारस में दो-दो यूनिवर्सिटी बनाने की क्या जरूरत है? जब यूनिवर्सिटी या कालेज बनाने का सवाल आता है तो गवर्नमेंट कहती है कि लायबिलिटी का सवाल है। तो जब उस क्षेत्र को डेफिसिट एरिया कहा जाता है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता है तो ऐसी हालत में जितनी भी लायबिलिटी वहां की है वह सरकार के ऊपर होगी। इसलिये सरकार लायबिलिटी का सवाल रखती है तो भी मेरठ को प्राथमिकता देनी चाहिये।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारी जनरल पालिसी इस तरह से नहीं बदली तो जनतंत्र प्रणाली के लिये हम एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेंगे। आज जिस तरह का वातावरण यूनिवर्सिटी, कालेज और हायर सेकेन्डरी स्कूलों में हो रहा है उससे शिक्षा की उन्नति नहीं हो रही है। आखिर जब हम गुलाम थे, उस वक्त के इन्तजाम और अब में कितना अन्तर है। तब कर्मचारी जगह-जगह इंस्टीट्यूशन्स में पहुंचते थे और देखते थे कि कैसे बच्चे पढ़ते हैं, कैसे इंस्ट्रक्शन्स दिये जाते हैं, डायरी मेन्टेन की जाती है या नहीं, माकूल तरह का वातावरण भी है या नहीं। लेकिन अब कोई देखने भालने वाला नहीं, हालांकि डिस्ट्रिक्ट इंस्पैक्टर्स को वही ताकत दी गई है जो डिवीजनल इंस्पेक्टर्स को थी। इसके अलावा जो पावर्स डिप्टी डायरेक्टर को मौजूद है वही डिवीजनल डायरेक्टर को दी गई है। इससे कोई फायदा नहीं है महज क्लर्कों की लाइन बना दी गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका सुधार होना चाहिये। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमें इस बात की जरूरत है कि इस पालिसी को बदलना होगा। इस तरह से आगे बढ़कर देश को आगे ले जाना होगा।

श्रीमन्, एक बात मैं यह कहना चाहता था कि जहां तक रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटीज की आवश्यकता है वहां हम देखते हैं कि डिग्री कालेजेज के एफीलियेशन का सवाल है। जैसे कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी का सवाल है। रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटीज में दुनिया भर के गुण होते हैं और जो विद्यार्थियों में कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पैदा की जा सकती है वह और कहीं पैदा नहीं की जा सकती है। अगर हमें अपने देश की ऐजूकेशन को आगे बढ़ाना है तो हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिये। रूरल और अरबन का ध्यान नहीं रखना चाहिये। क्या वजह है कि आज देहातों से लोग भाग-भाग कर शहरों में आ रहे हैं? इसकी वजह यह मालूम होती है कि आज कल हम ऐसी ऐजूकेशन लड़कों को देते हैं जो देहात के लोगों के काम की नहीं होती है। आज हम अपने यहां के लड़कों में ऐसी स्प्रिट यानी भावना पैदा करना है जिससे लोग देहातों में ही रहें और शहर में भाग-भाग कर न आवें। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है वहां पर इस बात की भी नितांत आवश्यकता है कि विद्यार्थी और टीचर्स में घनिष्टता हो। वहीं पर उनकी फिजिकल ट्रेनिंग हो सकती है और रेजीडेन्शियल यूनिवर्सिटीज में ही विद्यार्थियों में डिसिप्लिन पैदा हो सकता है। हमें विद्यार्थी और टीचर्स में घनिष्टता बढ़ानी चाहिये

[श्री जयपाल सिंह]

और कानूनी पचड़ों में नहीं पड़ना चाहिये । इस चीज को हमें सोचना चाहिये कि फलां चांसलर हो जायगा तो वह लड़कों को बश कर देगा । जब तक यह चाज रहेगी हमारे यहां शिक्षा में तरक्की नहीं हो सकती है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुलपति तथा उपकुलपति कोई हो इसमें हमें हस्तक्षप रोकना पड़ेगा यानी इसको एवाइड करना होगा । जब तक हम इस चाज को नहीं करते हैं तब तक विद्यार्थियों और कुलपति तथा उपकुलपति में मेल मुहब्बत नहीं हो सकता है और जब तक इनमें मेल मुहब्बत नहीं होता है तब तक विद्यार्थियों का करेक्टर ठीक नहीं होगा और उनमें नियंत्रण भी नहीं आ सकता है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हमें अपनी पालिसी को बदलना होगा । इन दृष्टिकोणों पर विचार करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, इस विधेयक के द्वारा हमारे प्रदेश के लोकमानस में एक नये शिक्षा मंदिर का प्रादुर्भाव हो रहा है । जहां तक एक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रश्न है और एक नये शिक्षा मंदिर की स्थापना का प्रश्न है, यह उद्देश्य सराहनीय है और प्रशंसनीय है । हमारी शिकायत तो यह है कि यह विश्वविद्यालय इतनी देर में नहीं बल्कि आज से बहुत समय पहले बन जाना चाहिये था क्योंकि इस विश्वविद्यालय की आधारशिला का पड़े हुये बहुत अर्सा हो गया और कई वर्षों से हमारे प्रदेश की जनता इस बात की प्रतीक्षा में है कि इसकी स्थापना शीघ्र हो । मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि जहां एक ओर हम विश्वविद्यालय की स्थापना का स्वागत करते हैं और दूसरी ओर जो इसका विधान है वह एक अत्यन्त अल्पभाषी दृष्टिकोण से बना हुआ है वही वजह है कि इस बिल में बहुत सी कमजोरियां विद्यमान हैं । इसमें वाइस चांसलर की वही असीमित शक्तियां हैं । कमेटी आफ रेफरेंस, कंसल्टेटिव कमेटी आदि तमाम कमेटियों में राज्य सरकार को अपने प्रतिनिधियों को भेजने की वैसी ही शक्ति है जैसी कि उन विश्वविद्यालयों में थी । हमें इस बात की आशा थी कि जब हम उत्तर प्रदेश में एक नया विश्वविद्यालय बना रहे हैं तो उसको हम अधिक से अधिक ओटोनोमी दे सकेंगे, अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान कर सकेंगे, उसको एक ऐसा विश्वविद्यालय बना सकेंगे कि जो हमारे प्रदेश की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर सके । इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, आदि जैसे समय में बनीं थीं जब कि यहां साम्राज्य शाही का बोलबाला था, लेकिन जब हम स्वतंत्र भारत वर्ष में प्रथम विश्वविद्यालय का निर्माण अपने प्रदेश में कर रहे हैं तो हमें एक उन्मुक्त वातावरण में, एक स्वच्छंद, शिक्षात्मक वातावरण में उसका विधान बनाने की आवश्यकता थी । मुझे दुख है कि इस माने में सिद्धान्ततः यह विधेयक अधूरा है ।

जुगलकिशोर कमेटी का जिक्र माननीय शिक्षा मंत्री ने अपने भाषण में किया । मैं यह मांग करूंगा कि उस कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की जाय । उन्होंने कृपा की कि मुझे उसकी एक कापी प्रदान की है, लेकिन मैं उनकी आज्ञा से कहना चाहूंगा कि इस जुगलकिशोर कमेटी की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि इस गोरखपुर यूनिवर्सिटी का करेक्टर कुछ दूसरे नमूने का होना चाहिये । चूंकि हमारा प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है, पूर्वी जिले जहां कि यह गोरखपुर यूनिवर्सिटी बन रही है वह सारा खेतिहर प्रदेश है, वह एग्रीकल्चर का प्रदेश है इसलिये उन्होंने इस बात को आवश्यक बतलाया कि इस यूनिवर्सिटी का करेक्टर एक रूरल यूनिवर्सिटी का करेक्टर होना चाहिये । मैं नहीं जानता कि सरकार ने किन कारणों से इस यूनिवर्सिटी के करेक्टर को एक रूरल बायस नहीं दिया । मैं यह नहीं कहता कि कृषि महा विद्यालय बना दिया जाय, लेकिन जहां हमेशा हम पाश्चात्य शिक्षा का, पाश्चात्य यूनिवर्सिटियों की शिक्षा के उत्पादनों का, जितने उनके गुणात्मक परिच्छेद हैं, उनको जहां हम यूनिवर्सिटी में ग्रहण करें वहां हम भारतीय आवश्यकताओं को देखते हुये भी शिक्षा दें । इसका हम प्रबन्ध कर सकते हैं । श्री माली कमेटी का जिक्र किया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसमें रूरल इंस्टीट्यूट का जिक्र हैं । उनको हम आटोनामस कालेज की शक्ल दे सकते हैं । जिस प्रकार हमने आगरा यूनिवर्सिटी में आटोनामस कालेज को स्थान दिया उसी प्रकार हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक आटोनामस कालेज की परिभाषा को रख कर बना सकते थे । इस विधान में इस प्रकार के आटोनामस रूरल कालेजेज बनाने की व्यवस्था नहीं की गई हैं ।

दूसरी बात यह हैं कि इस विधेयक के प्रियेम्किल को देखे । उसमें पता नहीं चलता कि इसका करेक्टर क्या हैं । खाली लिखा हुआ है कि " Whreas it is expedient to establish and incorporate a University at Gorakhpur. " प्रत्येक विश्व-विद्यालय ऐक्ट में लिखा रहता हैं कि यह कैसी यूनिवर्सिटी होगी, टीचिंग यूनिवर्सिटी होगी या टीचिंग एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी होगी या रेजीडेंशियल यूनियवर्सिटी होगी । लेकिन इसका करेक्टर इससे स्पष्ट नहीं होता हैं । यह विधेयक की कमजोरी है । जहां तक बिल का ड्राफ्ट हैं उससे यह बात पता होती है कि यह टीचिंग ऐन्ड एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी है लेकिन न जाने क्यों इस प्रिएम्बिल में इस के संबंध में नहीं कहा गया । मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों किया गया और अगर यह गलती रह गई तो इसको दुरुस्त होना चाहिये ।

इसके साथ ही साथ आगे चल कर इसमें आगे चलकर एक कांस्टीट्यूयेन्ट कालेज की परिभाषा जोड़ी गई हैं । मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के कांस्टीट्यूयेन्ट कालेज, जब कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनने जा रही हैं तो उनकी क्या आवश्यकता हैं । श्रीमन्, किसी भी एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी में इस प्रकार के कांस्टीट्यूयेन्ट कालेज की गुन्जायस नहीं हैं । हमारे यहां आगरा यूनिवर्सिटी एक एफीलियेटिंग यूनिवर्सिटी हैं और वहां पर हमने चार प्रकार के कालेजों की गुन्जायश की है, लेकिन वहां कांस्टीट्यूयेन्ट कालेज नही है। वहां पर वर्किंग मेंस कालेज है, ओटोनामस कालेज हैं, एफीलियेटिंग कालेज हैं और हाल्स और होस्टल्स की गुन्जायश हैं । लेकिन कांस्टीट्यूयेन्ट कालेज की परिभाषा जैसी भी हैं वैसी आगरा यूनिवर्सिटी में नहीं हैं । कांस्टीट्यूयेन्ट कालेज क्या होता है ? हमने लखनऊ में कांस्टीट्यूएन्ट कालेज बनाये हैं । यहां पर आयुर्वेदिक कालेज जो हैं उसको कान्स्टीट्यूएन्ट कालेज माना है । वह कालेज एक निश्चित विषय में शिक्षा देता है और डिगरी भी प्रदान करता है उसको कांस्टीट्यूएन्ट कालेज मानकर लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलियेट किया हैं लेकिन जो गोरखपुर का महाराणा प्रताप कालेज हैं उसको आप किस प्रकार से कांस्टी-ट्यूएन्ट कालेज बनाने जा रहे हैं, इसका जिकर विधेयक में नहीं है । जो विधेयक में परिभाषा दी गयी हैं उसके देखने से यह पता नहीं चलता है । लेकिन विधेयक के मूल ड्राफट में विधेयक के अन्दर देखने से यह पता चलता है कि कुछ कालेज कांस्टीट्यूयेन्ट कालेज होंगे । लखनऊ यूनिवर्सिटी ऐक्ट में आप देखेंगे तो उसमें यह लिखा हुआ हैं कि कांस्टी-ट्यूयेन्ट कालेज वह होंगे जो स्टेट्स द्वारा बताये जायं लेकिन वह परिभाषा जो सामान्य तरीके की होती हैं वह कांस्टीट्यूएन्ट कालेजों के बारे में इसमें नहीं है ।

उपकुलपति के चुनाव के संबंध में वायस चान्सलर के चुनाव के सम्बन्ध में दिल्ली यूनिवर्सिटी का ढंग यहां पर अपनाया गया हैं । यह विचारणीय बात है कि हमारी सरकार ने अलग-अलग यूनिवर्सिटीज के सम्बन्ध में अलग-अलग चुनाव का तरीका अपनाया है । आगरा में कुछ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ और लखनऊ दिल्ली में कुछ और संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस के लिये कुछ और ही । इससे यह मालूम होता है कि सरकार कुछ तजुर्बा करना चाहती हैं कि कि स किस प्रकार से चुनाव हमारे यहां वायस चान्सलर का हो सकता है । लेकिन मैं बड़े अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि हमको यह सब अनुभव प्राप्त करने की जरूरत नहीं हैं । हम बहुत अनुभव प्राप्त कर चुके हैं । हमें तो जैसा कि राधाकृष्णन कमीशन ने कहा हैं जैसा कि मूथम कमेटी ने कहा हैं कि एक ऐसे कुलपति की आवश्यकता हैं जो सरकार के दबाब में न आ सके, जो राजनीति से मुक्त हो सके, जो इस प्रकार के

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

सामाजिक दबाव से मुक्त होकर शिक्षा के हर क्षेत्र को वास्तविकता से प्रभावित कर सके। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय ने जो तरीका अपनाया है, वाइस चान्सलर के चुनाव के लिये जो नया तरीका अपनाया है वह सबसे ज्यादा उचित तरीका है। जिसमें दो एक्जीक्यूटिव के नामिनी होंगे और एक एकेडेमिक कौंसिल का नामिनी होगा। जो इस प्रकार की कमेटी हों वह एक्जिक्यूटिव को अपनी सिफारिश भेज दें। फिर एक्जिक्यूटिव उस कमेटी की सिफारिश के अनुसार चान्सलर को नाम भेजती है और उसके अनुसार वहां पर वायस चान्सलर बनाये जाते हैं। वह कमेटी, चाहे कितनी ही एक्सपर्ट क्यों न उसमें हों, सीधे चान्सलर को नाम नहीं भेजते हैं क्योंकि इस प्रकार से वह बाहरी एलीमेन्ट के द्वारा बनी हुई होती है। उनको यूनिवर्सिटी द्वारा विश्वास प्राप्त नहीं होता है। राधाकृष्णन कमीशन ने साफ कहा है कि ऐसे वायस चान्सलर जिसको विश्वविद्यालय की संस्था का विश्वास प्राप्त नहीं हो और जिसको विश्वविद्यालय का विश्वास प्राप्त नहीं है वह वायस चान्सलर विश्वविद्यालय का शासन नहीं चला सकता है। इसीलिये एक्सपर्ट कमेटी अपना नामिनी एक्जिक्यूटिव के पास भेजती है और एक्जिक्यूटिव अपनी सिफारिश को जहां तक कार्यवाही का संबंध है, चान्सलर के पास भेजती है और चान्सलर एक्जीक्यूटिव की सिफारिश को मान लेते हैं। मैं समझता हूं कि आजकल की परिस्थिति को देखते हुये वायस चान्सलर के चुनाव का यह तरीका ठीक रहा है।

इसी प्रकार से आगे चल कर इसमें हम देखते हैं कि कोर्ट के चुनाव का जिकर किया गया है। आश्चर्य की बात है कि कोर्ट कैसी बाडी होगी, क्या उसके अधिकार होंगे उसकी कोई परिभाषा नहीं दी गयी है जब कि आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट के अन्दर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऐक्ट के अन्दर कोर्ट को एक सुप्रीम गवर्निंग बाडी आफ यूनिवर्सिटी कहा गया है यहां गोरखपुर विश्वविद्यालय की कोर्ट को सुप्रीम गवर्निंग बाडी आफ यूनिवर्सिटी नहीं माना गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं माना गया है इसका क्या कारण है? और फिर कोर्ट का जो विधान है सम्पूर्णानन्द कमेटी रिपोर्ट में मूथम कमेटी की रिपोर्ट में हर जगह यह कह दिया गया है कि कोर्ट के एकेडेमिक सदस्यों की संख्या निश्चित हो जानी चाहिये मालूम नहीं सेलेक्ट कमेटी में कौन सी ऐसी बात मालूम हुई जिसके कारण जो यह निश्चित संख्या की बात थी वह समाप्त कर दी गयी। आखिर कितने का कोर्ट चाहते हैं। क्या हम कोर्ट को असेम्बली बनाना चाहते हैं जिसमें ३०० सदस्य हों। मैं समझता हूं कि नामजदगी का अधिकार एक ऐसा आश्यचर्यजनक अधिकार है जो किसी विश्वविद्यालय विधेयक में नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि "Such Ministers of the Government of Uttar Pradesh as may be prescribed." सारे मिनिस्टर कोर्ट के मेम्बर बनाये जा सकते हैं १३ मिनिस्टर बनाये जा सकते हैं और अब तो मिनिस्टर की परिभाषा में डिप्टी मिनिस्टर भी शामिल कर दिया गया है। और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो हो सकता है ३४ के ३४ मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी उसमें शामिल हो सकें। आगे चल कर कहा गया है "सच आफीसर्स" लेकिन संख्या कोई ज्ञात नहीं कि कितने आफिसर्स होंगे। यू० पी० गवर्नमेंट का कोई भी आफीसर कोर्ट का मेम्बर हो सकता है आगे चल कर शिक्षा की सेवा के नाम पर ऐसे आदमियों को चुना जायगा जो साहित्यिक हों, जिन्होंने साहित्य की सेवा की हो। चान्सलर ऐसे आदमियों को नोमीनेट करेगा। जब कि आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट में ऐसे चार सदस्यों को नोमीनेट करने के लिये कहा गया है इसमें उनकी संख्या अनलिमिटेड रक्खी गयी है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार इंडस्ट्री और कामर्स के चार नुमायंदे नामजद करेगी। क्यों नहीं चेंबर आफ कामर्स उनको नामजद करे? ताज्जुब की बात तो यह है कि जिन सिद्धान्तों को आगरा यूनिवर्सिटी बिल में स्वीकार किया था, लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलसिले में स्वीकार किया गया, उनको गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सिलसिले में भुलाया गया है।

अब आप ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल को लीजिये । उसके विधान को लीजिये । सब-कमेटीज तथा कमीशन्स की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अन्तर्गत और बाह्य सदस्यों की संख्या में बैलेन्स होना चाहिये और वह बैलेन्स भी इन्टरनल की तरफ इनक्लाइन्ड होना चाहिये। न कि आउट साइड मेम्बर्स ज्यादा हों। लेकिन इसमें जहां १० बाहर के मेम्बर्स रक्खे गये है तो ८ केवल भीतर के हैं। अब यह संतुलन किस प्रकार का संतुलन है, मेरी समझ में तो नहीं आता। अब महाराणा शिक्षा परिषद् को एक मेम्बर प्रतिनिधि रूप में भेजने के लिये अधिकार दिया गया है मुझे महाराणा शिक्षा परिषद् से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस सिद्धान्त को मानना कि एक सीट महाराणा शिक्षा परिषद् के नोमिनी के लिये होगी, यह समझ में नहीं आता। यह केवल इसलिये उसको दी जा रही है कि उसने अपनी संपत्ति इसके हवाले कर दी है। मैं जानना चाहूंगा कि कल को सेंट जौन्स कालेज यदि यह कहे कि हम अपनी सारी संपत्ति आपके हवाले करते है आप हमारे विशप को एक्जीक्यूटिव में एक नौमिनेटेड सीट दे दीजिये या आजमगढ़ का कोई कालेज यह प्रस्ताव पास करता है कि हम भी कांस्टीटुयेंट कालेज होने को तैयार हैं। और अगर वह भी ऐसा करे तो क्या आप भी उसके लिये तैयार होंगे? यदि सरकार ऐसा करती है तो एक सिद्धान्त जो एक कालेज के लिये वह लागू करना चाहती है उसको दूसरे कालेज के लिये भी लागू करना होना। यदि वह इस प्रकार से महाराणा शिक्षा परिषद् को कोई सीट देती है तो गोंडा या आजमगढ़ के कालेज को भी उसे सीट देनी होगी। इससे सरकार मना नहीं कर सकेगी। फाउंडेन्शन सोसायटी जिसने इस विश्वविद्यालय को कायम किया है उसको कोर्ट में केवल एक टर्म के लिये दो सदस्य दे रहे हैं और ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल में कोई स्थान नहीं दे रहे हैं लेकिन जो महाराणा शिक्षा परिषद् है उसको १ स्थान ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल में दे रहे हैं। इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन करना ठीक नहीं है। इससे ख्वामख्वाह जलन पैदा होगी। इसको कोई पसन्द नहीं करेगा कि सरकार की ओर से कोई डिसक्रिमिनेशन किया जाय और इस विधेयक में ऐसी बात रक्खी जाय जिससे यूनिवर्सिटी की पालिटिक्स में अभी से ग्रुपबाजी शुरू हो जाय।

मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर पुर्नविचार करे और तथा एक्जीक्यूटिव कौंसिल और बोर्ड के लिये ऐसा विधान बनाये जिससे भविष्य में वहां पर किसी प्रकार की कोई पार्टीबन्दी की गुन्जायश न हो तथा उसकी संभावना भी न रहे। इसके साथ ही साथ एक आश्चर्य की बात इस बिल में और दिखलाई देती है और वह यह है कि इस में हमारे सामने इसका फर्स्ट एस्टेचूट नहीं है। हमको नहीं मालूम कि फर्स्ट एस्टेचूट का सरकार क्या बनाने वाली है। आपने देखा होगा कि सबसे पहली बार जब कभी कोई यूनिवर्सिटी बनाई जाती है तो उसके साथ साथ फर्स्ट स्टेचूट शिड्यूल के रूप में बिल के साथ आते हैं पर गोरखपुर यूनिवर्सिटी विधेयक कब से बना रखा है लेकिन सरकार को उसका स्टेचूट बनाने की फुरसत नहीं हुई। जब लखनऊ यूनिवर्सिटी बिल पहले बना तो उसके साथ स्टेचूट शेड्यूल के रूप में हमारे सामने आया और इसी तरह से जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बिल पहले बना तो उसके साथ स्टेचूट शिड्यूल के रूप में हमारे सामने आया लेकिन जब गोरखपुर यूनिवर्सिटी विधेयक यह सरकार हमारे सामने रख रही है तो उसका फर्स्ट स्टेचूट हमारे सामने नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इसका क्या कारण है क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण चीज है और उसकी ओर हम बाद में इतना ध्यान न दे सकेंगे जितना ध्यान लगा कर हम अब उस पर समय दे सकते हैं। इस समय हम उसमें ज्यादा इन्टरेस्ट ले सकते हैं। या तो हम जो राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट थी उसको मानते---उन्होंने कहा था कि अगर हमें नई यूनिवर्सिटियां हिन्दुस्तान में आगे बनाना है तो वह यूनिवर्सिटियां यहां विधान के द्वारा न बनाई जायं बल्कि इंडस्ट्रियल कमीशन की सिफारिश पर बनाई जांय लेकिन हम इसको हेड आफ दि स्टेट के चार्टर के अनुसार भी नहीं बना रहे हैं और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की सिफारिश पर भी नहीं बना रहे हैं बल्कि उसको यू० पी० का लेजिस्लेचर कायम करने जा रहे हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इसी समय इसके फर्स्ट

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

स्टेचूट पर विचार करने का अवसर मिलना चाहिए था और यही विधान के अनुकूल था।

अन्त में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि वाइसचान्सलर की प्रथम नियुक्ति ५ साल के लिए उचित नहीं है। तो क्या सरकार जो नियुक्तियां २ साल के लिए और जगह करती है वहां वह लोग अनुत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करते हैं? क्या इलाहाबाद लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए कोई अच्छा आदमी दो साल से अधिक नामजदगी के लिए नहीं मिले और क्या जिनकी नियुक्ति दूसरी यूनिवर्सिटियों के लिये की गई क्या वह काबिल नहीं थे। अगर ऐसा नहीं है तो मैं समझता हूं यह उचित नहीं है।

†श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जोरावर वर्मा के संशोधन का समर्थन करूंगा। गोरखपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना उस समय की जा रही है जब हमारा देश द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पदार्पण कर रहा है और हमारी इस द्वितीय योजना को इंडस्ट्रियल योजना कहा जाता है। आज हमारे प्रदेश में यूनिवर्सिटीज की कमी नहीं है, कई यूनिवर्सिटीज बहुत पहले से पुरानी स्थापित हैं। दूसरी बहुत सी स्टेट्स में भी इस वक्त यूनिवर्सिटियां कायम हुई जहां पर वह नहीं थीं लेकिन हमारे प्रदेश में जब यह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है तो निश्चित रूप से ही जो विश्वविद्यालय बने वह आज के समय और आवश्यकता के अनुरूप ही होना चाहिये। गोरखपुर यूनिवर्सिटी जब बनी तो उसमें भी वही बातें रखी गयी जो आगरा, लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पहले से थीं, उसमें कोई नई बात नहीं है जो आज के समय में और आवश्यकता के अनुकूल हो। बहुत दिनों से हमने सुन रखा था कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी एक रूरल यूनिवर्सिटी बनेगी उसका कोई आइडिया नहीं दिया गया, लेकिन आशा थी कि वह बनेगी और गालिबन वह एक ऐसी यूनिवर्सिटी होगी कि जो प्रदेश की आज की आवश्यकताओं के अनुकूल होगी। लेकिन इस बिल में ऐसी कोई बात नहीं दिखायी देती है और यह एक ऐसी व्यर्थ की चीज है कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। मैं इस सरकार से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज जब हम एक नई यूनिवर्सिटी की स्थापना अपने यहां करते हैं तो हमारे दिमाग में एक डिस्टिंकशन-अपने पहले से चली आने वाली यूनिवर्सिटीज में और उनमें जो कि अब बनेंगी उनमें होना चाहिये। आज के पहले जो यूनिवर्सिटीज बना करती थीं उनकी एक विशेष रूप रेखा यह हुआ करती थी कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और जो यूनिवर्सिटी इंगलैन्ड में बनाया करते थे वह एडमिनिस्ट्रेशन के लिये एडमिनिस्ट्रेटर्स पैदा करते थे और हमारे देश में उस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिये वे कुछ क्लर्कर्स बनाते थे। तो उस दृष्टिकोण से वे यूनिवर्सिटी बना करती थीं और उनकी शिक्षा उनकी पद्धति व करीक्युलम भी वैसे ही बना करते थे। बनारस यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। बनारस यूनिवर्सिटी १९१६ में बनी जब कि शिक्षा की आवश्यकता थी। उस समय केवल शिक्षा की आवश्यकता थी लेकिन आज जो हमारी यूनिवर्सिटीज बन रही हैं तो हम यूनिवर्सिटीज बनायें अपने देश में इतनी बड़ी जन संख्या को पूरी तरह सम्पन्न करने के लिये। अगर इंडस्ट्रियलाइज करना है तो हमारे देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिये इंजीनियर्स, टेक्निशियंस, एक्सपर्ट्स, की जरूरत है और ऐसे बहुत से लोगों की जरूरत है जो आज की आवश्यकताओं के अनुसार एक्सपर्ट्स हों।

हमारे पूर्वी भागों में चायना आदि में यूनिवर्सिटीज बनी तो देश की आवश्यकता के अनुसार जो एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी थीं उसमें ४० से ६० परसेंट स्टूडेंट्स को ड्राइव किया ४० से

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

६० परसेंट तक उन्होंने इंडस्ट्रियल परपज के लिये ट्रेन्ड किया। इंजीनियर्स ट्रेन्ड किये और तरह की चीजों में उन्होंने लोगों को ट्रेंड किया। हमें आशा थी कि जो यूनिवर्सिटीज हमारे देश में हैं उन यूनिवर्सिटीज में ऐसे स्टूडेंट्स को निकालेंगे जो आज की आवश्यकता को पूरी करेंगे, आज के हिन्दुस्तान के लिये उनको ट्रेन्ड करेंगे। जब एक नयी यूनिवर्सिटी बन रही है तो उसी पुरानी लकीर को पीटना, उसी तरह की शिक्षा देना कोई मतलब नहीं रखता है कोई अर्थ नहीं रखता है और वह बिल्कुल एक निरर्थक सी बात होगी। पूर्वी जिलों, इस प्रदेश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से इस बात की आवश्यकता महसूस की जाती थी कि हमारे उस भाग में इंजीनियर्स जो जाते हैं पश्चिम के जिलों से जाते हैं तो लोगों की एक धारणा बन गई थी गलत या सही कि जो पश्चिमी प्रदेश के इंजीनियर आते हैं या दूसरी जगहों से आते हैं वह वहां की जलवायु और आवश्यकता के अनुकूल न होने के कारण वहां की चीजों में उत्थान नहीं कर पाते हैं और उनका विकास नहीं कर पाते हैं। पढ़े लिखे लोगों की यह धारणा बन गई थी, हम सभी की यह धारणा बन गई थी कि कुछ ऐसे इंजीनियर्स ट्रेंड होने चाहिये जो इस भाग के रहने वाले हों ....

श्री अध्यक्ष—क्या आप अपने को पढ़े लिखों में नहीं गिनते हों ?

श्री पद्मनाथ सिंह—मैं विशेष जोर दे रहा हूं उन लोगों पर जो साधारण बात का अनुभव किया करते हैं। वैसे पढ़े लिखे लोग इसे महसूस किया करते ही हैं। इस दिशा में मैं समझता था कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी जब खुलेगी तो इस विश्वविद्यालय पर जोर दिया जायगा कि वह इस बात की आवश्यकता की पूर्ति करे जिससे कि प्रदेश के उस भाग की इस फीलिंग को, इस धारणा को दूर किया जा सके। वहां पर इंजीनियर्स होंगे, ओवरसियर्स होंगे, और तरह के एक्सपर्टस होंगे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या दूसरे विषयों में अपने को सुसज्जित करेंगे, सुसम्पन्न करेंगे। मुझे बड़ा खेद और निराशा हुई जब कि इस यूनिवर्सिटी के विधेयक को उपस्थित किया गया इस सदन में। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाय जो इसे नये सिरे से तैयार करे इस हिसाब किताब से तैयार करें कि आज भारतवर्ष की जो आवश्यकता है, एक बदले हुए समय की जो आवश्यकता है और सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान के अनुरूप जो आवश्यकता है वह पूरी हो सके। इसका कोई अर्थ नहीं होता कि यह जो गवर्नमेंट है या जो शिक्षा मंत्री हैं वे एक यूनिवर्सिटी यहां खोल दें और एक वहां खोल दें। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आजमगढ़ जिले में एक शहर में एक आटा पीसने की चक्की खोली गई, दूसरे महीने दूसरी जगह खोली गई और थोड़े समय में उस छोटे कस्बे में ९ आटा पीशने की मशीनें खुल गयीं। इस तरह से न उनके पास काम रह गया था और न आमदनी रह गयी थी। आखिरकार गवर्नमेंट इस तरह की मशीनों को बन्द करने की योजना पर विचार कर रही है, जिनसे कि उत्पादन न होता हो, बेकारी बढ़ती हो। उसी केटेगरी में मैं इस गोरखपुर यूनिवर्सिटी विधेयक को लेता हूं। पुरानी परिपाटी पर एक यूनिवर्सिटी खोली गई, फिर दूसरी खोली गई, फिर तीसरी खोली गयी बेकारी बढ़ाने के लिये। मैं फिर बड़ा जोर देना चाहता हूं और मैं महसूस करता हूं कि मुझे इमेजिनेशन की बड़ी कमी दिखाई पड़ती है इस विधेयक के आने से। हमें दीख पड़ता है कि कोई पालिसी इसके पीछे नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडियालोजी नहीं है। मैं इसलिए, बहुत जोरदार शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि अपने देश का अगर निर्माण करना है, यदि वास्तव में हमें पंच वर्षीय योजना की रूपरेखा कायम करनी है और उसे सही मानी में कार्यान्वित करना है तो बजाय इसके कि हम नयी यूनिवर्सिटी स्थापित करें, नयी विचार-धारा की पूर्ति के लिए जो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती हैं उनमें काफी परसेंट विद्यार्थियों को उसी दिशा में खींचे, देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और आज की देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिसकी जरूरत है। मैं इस यूनिवर्सिटी के जो अधिकार हैं

[श्री पद्मनाथ सिंह]

इसकी सीनेट, या चांसलर या वाइसचांसलर के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मेरी समझ में उनका कोई महत्व नहीं है। इससे हमारी जो आज की आवश्यकताएं हैं, कोई पूरी नहीं होती हैं।

मैं फिर निवेदन करूंगा कि पूर्वी भाग के प्रतिनिधियों ने वहां की जनता ने कई बार सरकार से निवेदन किया कि वहां पर कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट होना चाहिये और उसके लिये सरकार की सहायता की आवश्यकता है। आज भी हमारी मांग सरकार से बहुत जोरदार शब्दों में बनी हुई है। लेकिन हमें कोई न कोई उत्तर दे दिया जाता है। यदि सरकार के पास अर्थ की कमी है और भी चीजों की कमी है तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी विधेयक जब आरहा है तो हम समझते थे कि शायद यूनिवर्सिटी द्वारा हमारी आवश्यकताओं और कमियों को पूरी करने की कोशिश की जायगी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सरकार ने न तो पूर्वी भाग के प्रतिनिधियों की मांगों और उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया है, न इमैजिनेशन से काम लिया है, न पंचवर्षीय योजना की ओर ध्यान दिया है और न आने वाले युग की ओर ध्यान दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति में वापस करें इस सिफारिश के साथ कि इसका स्कोप बिलकुल वाइडेन करके इस विधेयक को बदल दिया जाय जो आज की आवश्यकताओं को पूरा करे और जिस तरह से मैंने निवेदन किया उस तरह से पूरा करें।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, जो प्रस्तुत हुआ है, उसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इसके बाद यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी को भी बधाई देने की आवश्यकता समझता हूं जिसने अथक परिश्रम के साथ इस प्रान्त के एक अपेक्षित हिस्से की ओर आज विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रान्त के पूर्वी हिस्सों में एक बड़ी आकांक्षा थी इस विश्वविद्यालय के विधेयक को देखने के लिए इसको सदन में लाकर उसको प्रस्तुत करके माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा उपकार किया है। विधेयक देखने के बाद कुछ बातों के लिए मुझे क्षोभ हुआ है, जिनकी ओर मैं आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस बात का पूरा ज्ञान होगा कि जिस समय यूनिवर्सिटी का काम शुरू होने लगा था या जिस समय वहां के लोगों के दिलों में यह बात उठ रही थी कि शायद यह यूनिवर्सिटी बन सकेगा या नहीं, उस समय एक संस्था अथवा कुछ लोग उस यूनिवर्सिटी के लिए भीतर से बहुत काफी विरोधी थे। उन्होंने काफी सैबोटेज करने की चेष्टा भी की, कई तरीके से, मुकदमेबाजी के उपाय भी किये, जमीन मिलने के सम्बन्ध में या दूसरे किस्म के जो काम होते हैं उनमें बहुत से रोड़े अटकाये गये। यह भी शायद माननीय शिक्षा मंत्री जी से छिपा नहीं होगा। लेकिन उनको एक ऐसा उच्च स्थान दिया गया, जो आज भी यूनिवर्सिटी के काउन्सिल में पहुंच कर कोई बड़ा उपकार नहीं कर सकते हैं, बल्कि नुकसान ही करते रहेंगे, विरोध ही हर प्रकार से करते रहेंगे, उनको हटाया भी नहीं जा सकता है, उन्हें शिक्षा भी नहीं दी जा सकती है।

दूसरी बात जिसका मुझे बड़ा क्षोभ हुआ है वह यह है कि यूनिवर्सिटी फाउंडेशन सोसाइटी ने इतना परिश्रम करके इतना कष्ट उठा कर यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी के रूप में बनाने की चेष्टा की और जमीन तथा रुपया प्राप्त करने का तथा और भी तमाम उपाय करने का अपने आप को आशा का मूल बनाये रखा उसके दो स्थान सिर्फ प्रथम कालावधि के लिए कोर्ट में रखे गये मैं समझता हूं कि यह यूनिवर्सिटी फाउंडेशन सोसाइटी के प्रति केवल उपेक्षा की भावना नहीं बल्कि उसके साथ एक तरीके से

ज्यादती की गयी है। मैं नहीं जानता कि यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी ने क्या जुर्म किया था, कौन नगण्य काम किया था जिसकी वजह से एक स्थान नहीं रखा गया उसका। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी इस समय हुआ उसका सुधार करने की चेष्टा माननीय मंत्री जी करेंगे और इस बात की भी चेष्टा करेंगे कि कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को जिसने तमाम सारा समय बीमार रहने पर भी सर्विस में रहने पर भी विश्वविद्यालय के प्रति काफी जागरुकता प्रदर्शित की, काफी काम किया है। वह रुपया पैसा एकत्रित करके दे सकते हैं। वाइस-चांसलर उसको बनाने की चेष्टा करेंगे। लेकिन मुझे मालूम नहीं उधर क्या सोचा जायगा परन्तु इस विधेयक को देखने से मुझे बड़ी निराशा हो रही है कि आखिर क्या होगा। दूसरे कुछ भाइयों ने कहा है कि इसको प्रवर समिति को पुनः वापस करके लाया जाय। मैं उसका विरोध करता हूं इस नाते कि ७ वर्ष तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में बिल बनाने में और लाने या न लाने में सारा समय लगा दिया और इस वर्ष शिक्षा मंत्री जी ने यह विचार किया कि इस जुलाई में यूनिवर्सिटी कायम होगी।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखियेगा।

साप्ताहिक कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष—मुझे एक सूचना सदन को देना है। आज इस हफ्ते के कार्यक्रम के सम्बन्ध में मेरे पास सरकार की तरफ से यह सूचना आयी है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी विधेयक पर जो आम बहस है वह कल ३ बजे तक समाप्त होने वाली है। उसके बाद वह सेल्स टैक्स विधेयक लाना चाहते हैं कल ही ३ बजे के बाद से और इसका जो क्लाज बाई क्लाज विचार किया जायगा वह सेल्स टैक्स के पास हो जाने के बाद फिर किसी रोज नियत होगा। इस हफ्ते के लिये वह चाहते हैं कि सेल्स टैक्स पर बहस जारी रहे क्योंकि उसे स्वीकार करके परिषद् के सामने जाना है और उसके बाद गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास जायगा उसमें भी समय लगेगा। इसलिये वह चाहते हैं कि इसको शीघ्रता के साथ उपस्थित कर देना चाहिये। यह उनकी सूचना है। तो मैं सदन को इसलिये सूचना दे देना चाहता हूं जिसमें एक रोज पहले, २४ घंटे पहले नियम के अनुसार सूचना मिल जाय। कल का कार्यक्रम इस प्रकार बदला हुआ रहेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं कि किस नियम के अनुसार ऐसा सम्भव हो सकता है जब कि एक विधेयक पर प्रथम वाचन चल रहा है और उसका द्वितीय वाचन स्थगित कर दिया जाय और दूसरे विधेयक का प्रथम वाचन लें। यह असंगत है।

श्री अध्यक्ष—कई दफा ऐसा हुआ है कि बीच में कोई भी विधेयक रुक गया है और दूसरा प्रारम्भ होकर यहां बराबर चलता रहा। सिर्फ यह बात दूसरी है कि अगर सहूलियत के लिये कोई आप परिवर्तन करना चाहें तो माननीय नेता सदन से उस विषय में चर्चा कर लें क्योंकि गवर्नमेंट का जो विजनेस है नियम १९ के अनुसार गवर्नमेंट ही नियत करती है अन्य कोई उसका क्रम नियत नहीं करता। तो उन्होंने जो क्रम अब रखा है इस हफ्ते के लिये उसकी मेरे पास सूचना आयी है उसे मैंने समझा कि मैं पहले सदन को दे दूं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)— जहां तक मेरी जानकारी है इस गोरखपुर यूनिवर्सिटी विधेयक के सम्बन्ध में बिजनेस कमेटी ने समय नियत किया था। उस समय यह विचार में रखा था कि उसके बाद सेल्स टैक्स का बिल

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

आना है उसको जल्द पारित करना है। तो मैं समझता हूं कि अगर यह आवश्यक है कि सेल्स टैक्स पास हो जाय तो उसको कल सुबह से ले लिया जाय तो उसके सम्बन्ध में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष— अगर आप को बात करनी है तो नेता सदन से करें क्योंकि सरकारी कार्यक्रम के बारे में कौन सा प्रस्ताव पहले लिया जायगा यह वही नियत करते हैं।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २१ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री मलखानसिंह की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ (क्रमागत)

श्री केशव पांडेय— माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कह रहा था कि जो कुछ माननीय सदस्य इस प्रस्तुत प्रतिवेदन को पुनः प्रवर समिति को वापस करना चाहते हैं वह बहुत गलत होगा और इस आदरणीय सदन का अपमान भी होगा, क्योंकि इस आदरणीय सदन ने एक संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त की थी। उसके सामने इसको भेजा था और उसके अन्दर वे विद्वान जन बड़ी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से इसको देखे हैं? इस पर विचार किये हैं, अब फिर इसको वापस कर देने का मतलब या तो कुछ उनके ऊपर, उनके विचारों पर कुछ असन्तोष प्रकट करना होगा या अविश्वास करना होगा। ऐसी हालत में इसको भेजना ठीक नहीं होगा।

दूसरी बात इस यूनिवर्सिटी को जो माननीय शिक्षा मंत्री जी लोगों के दबाव के कारण, लोगों की मांग के कारण इसको इस जुलाई से एक विश्वविद्यालय के रूप में चालू करना चाहते हैं, तो वह भी रह जायगा जैसा कि अब तक सात वर्षों से यही सुना जाता था कि अब बिल तैयार होने वाला है, अब आने ही वाला है, अब बहस होने ही वाली है, यह तमाम बातें होती रही हैं। इसलिए मैं चाहता हूं और मैं अपने क्षेत्र की देहात की जनता की भावनाओं को व्यक्त करके उन माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस प्रतिवेदन को पुनः प्रवर समिति को वापस करने वाली बात न करें।

दूसरी बात, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस यूनिवर्सिटी को बना कर वहां पर कृषि, इंजीनियरिंग इत्यादि की शिक्षा का समुचित व्यवस्था करें, वहां राजकीय कृषि स्कूल है उसको उच्च स्तर की कृषि की शिक्षा देने वाला बना कर, वहां एक टेक्निकल स्कूल चल रहा है, उसको भी ऊंचे पैमाने पर उठा कर अगर इन सब चीजों को शिक्षा का एक अच्छी व्यवस्था करें तो वह लाभकर होगा क्योंकि वह विश्वविद्यालय एक जगह के लिए नहीं है बल्कि पूरे प्रान्त के लिए होगा और ऐसे एक अभाव के सम्बन्ध में वह एक पूरक चीज होगी जिससे कि हम योग्य विद्यार्थियों को पैदा कर सकेंगे और जो इस प्रदेश के निर्माण के लिए कुछ कार्य कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान देंगे और चाहेंगे कि वह यूनिवर्सिटी इस प्रान्त के लिए हो। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा, कुछ अपने शब्दों में कहा जिससे मैं यह समझा कि यह यूनिवर्सिटी गोरखपुर में ही क्यों बन रही है। उनकी भावना के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे भय ऐसा लगा कि कभी कभी जैसा वह कहा करते हैं उसी भावना के वश उन्होंने ऐसा कहा। तो मैं समझता हूं कि उस गरीब क्षेत्र के लिए उनकी भावना आज के विकास के युग में अच्छी नहीं कही जायगी। उन्हें चाहिए यह कि जहां विश्वविद्यालय की मांग हो, आवश्यकता हो वहां वे बतावें, झांसी में या मेरठ में या नैनीताल में जहां और भी इस किस्म की जरूरत हो वहां विश्वविद्यालय खोले जायं, शिक्षा की प्रगति की जाय, राज्य को और

राष्ट्र को उस ओर समुन्नत किया जाय। तो यह कहना उचित नहीं होगा कि वहां विश्वविद्यालय नहीं खोलना चाहिए क्योंकि दूसरी जगहों में यह विश्वविद्यालय नहीं खुल रहा है, यह बात उचित नहीं कही जा सकती।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वह विश्वविद्यालय जो उस क्षेत्र की ओर खोला जा रहा है वह एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति हेतु खोला जा रहा है। बड़ी तेजी से कुछ बहुत दिनों से दबे हुए लोगों में विकास की और एक भावना तथा एक शिक्षा की चेतना आयी है और आप सब लोगों के प्रयास से उसमें कुछ थोड़ी बहुत मदद मिली है। ऐसी हालत में उसको कुछ और मदद देना, प्रोत्साहन देना उस उन्नति के लिए और सुयोग्य नागरिक तैयार करने का प्रयास मात्र होगा। उस पर तुषारपात करना इस तरह की बातें कह कर यह ठीक नहीं है। कुछ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का प्रश्न पैदा करना उचित नहीं है। कई बार इस आदरणीय सदन में यह बात उठाई गई थी और जो मैं समझता हूं कि शायद हमारे इस प्रान्त के लिए वह बहुत ही गलत बात है। यह प्रान्त कभी भी इस तरह से टुकड़ेपन और संकुचित दायरे में नहीं गया। इस तरह की बातों से कभी यह प्रान्त अपना कल्याण नहीं कर सकता है और न ही उसने कभी ऐसी भावनाओं को प्रदर्शित किया है। इसी कारण उत्तर प्रदेश हमारे देश में एक बड़ा भारी अगुवा होता आया है। यहां कोई प्रान्तीयता नहीं, कोई जातीयता नहीं या और किसी किस्म की कोई ऐसी भावना नहीं।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस यूनिवर्सिटी विधेयक के प्रस्तुत करने के लिए बधाई देते हुए अपनी उन बातों को पुनः याद दिलाता हूं कि उन्होंने जो इसके वाइस-चांसलर को सरकार की ओर से नामिनेट करने की बात कही है वह करें जरूर, लेकिन वहां एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इस यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी जागरूकता दिखलाई है और किसी भी कसौटी पर कसकर भी वह बहुत योग्य और उपयुक्त आदमी सिद्ध होंगे हर एक कार्य के लिए---पैसा कलेक्ट करने के या अन्य किसी कार्य के लिए । बजाय इसके कि कोई तनख्वाह वाला आदमी रख दिया जाय, अगर उनको वाइस चांसलर बना दिया जाय तो उनसे सब काम हो सकेगा, वरना उससे कोई लाभ नहीं हो सकेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और इस फाउंडेशन सोसाइटी के बारे में ऐसी बातें कहना इससे कुछ नतीजा नहीं निकलता। इन शब्दों के साथ इस बिल का मैं समर्थन करता हूं और प्रवर समिति वाली भावना का विरोध करता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो विश्वविद्यालय के विषय में विधेयक प्रस्तुत है, मैं उसका समर्थन करता हूं और उसके साथ-साथ जो संशोधन पेश किये गये हैं उनका मैं विरोध करता हूं।

पहले इसके कि मैं अपने कुछ विचार भवन के सामने रखूं, मैं यह आवश्यक समझता हूं कि दो बातें साफ कर दूं। कुछ साथियों ने कहा कि हम गोरखपुर विश्वविद्यालय के खुलने की जो आशा रखते थे और समझते थे कि हमारे देश की जो आवश्यकताएं हैं---कृषि और उद्योगों की---उनको देखते हुए हमारे यहां कोई नये ढंग का विश्वविद्यालय बनाया जायगा, लेकिन उन्होंने देखा कि इसका जो पैटर्न है, जो रूपरेखा है वह वही है जो कि हमारे यहां इलाहाबाद, लखनऊ और आगरा यूनिवर्सिटी की है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। अगर किसी साथी को यह आशा थी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी कोई एक बड़ी क्रान्तिकारी यूनिवर्सिटी होगी और उसकी रूपरेखा कोई बहुत भिन्न होगी आज के विश्वविद्यालयों से जो हमारे सामने हैं तो उनको अगर उसमें नाउम्मेदी हुई तो स्वाभाविक ही है। मैं समझता हूं कि उनका ऐसी आशा करना आज के इस सेट-अप में बहुत ज्यादा आशा करने की बात थी। यह भी कहा गया कि एजूकेशन के अन्दर

[श्री नवल किशोर]

नये-नये एक्सपेरिमेंट किये जाते हैं। मैं उनसे इत्तफाक करता हूं। जो कुछ इन सात सालों में हमने और इस सरकार ने किया वह इस भावना से किया कि हम मौजूदा सिस्टम में कुछ तरक्की कर सकें, लेकिन इसमें शक नहीं कि हम एक्सपेरिमेंट के स्टेज के अन्दर हैं। यह भी हम जानते हैं कि जो हमारी पद्धति है वह हमारे देश की जो आकांक्षाएं हैं, आवश्यकताएं हैं उनके अनुकूल नहीं हैं, ऐसा मत सभी का है। लेकिन उसके अलावा कोई अच्छा तरीका दूसरा निकला हो, या हम निकाल पाये हों, ऐसा मैं नहीं समझता। कोशिशें की गयीं और आज भी जारी हैं, मगर उसमें हमको अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई।

गोरखपुर यूनिवर्सिटी की, जैसा कि माननीय उपमंत्री जी ने बताया अपने शुरू के भाषण में कि जो हमारे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पूर्वी जिले हैं उनकी बहुत दिनों से मांग थी कि उस हिस्से में भी विश्वविद्यालय की स्थापना हो। उसके लिए एक फाउंडेशन सोसाइटी कायम हुई। उसने बहुत पैसा इकट्ठा किया और ७ साल की कोशिश के बाद आज यह विधेयक हमारे सामने पेश है। जिन भाइयों का यह प्रस्ताव है कि इसको फिर दोबारा प्रवर समिति में भेज दिया जाय, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है और उसकी वजह यह है कि यदि यह विधेयक इस महीने के अन्दर, मई के अन्दर, पास नहीं होता है तो मेरा पूरा विश्वास है कि हम जुलाई से गोरखपुर विश्व-विद्यालय की स्थापना नहीं कर सकेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि इस विधेयक को जितनी जल्दी हो सके पास किया जाय।

मैं माननीय नारायण दत्त जी से सहमत हूं इस में कि यदि यह विधेयक और जल्दी पास कर दिया गया होता तो ज्यादा अच्छा होता। यह भी अच्छा ही होता कि हमारे पास इतना समय होता और हम इसके फर्स्ट स्टेट्यूट भी उसके हाउस के सामने साथ ही पेश करते, लेकिन समय की कमी के कारण यह नहीं हो सका पर मेरा विश्वास है और मैं चाहता हूं कि इसके सम्बन्ध में जो स्टैटयूट्स बनें और बनाये जायं उनकी स्वीकृति इस सदन से होनी चाहिये। बहुत बड़ी शिकायत इस बात की है कि शुरू में आइडिया था कि यह ग्रामीण विश्वविद्यालय बनेगा, यह रूरल यूनिवर्सिटी बनेगी। ऐसी बात नहीं हुई, सही है। शुरू में आइडिया जरूर था कि हम इसको ग्रामीण विश्वविद्यालय बनायेंगे। मेरे सामने राधाकृष्णन् कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें एक चैप्टर रूरल विश्वविद्यालय के विषय में दिया गया है। उसमें उन्होंने अपने विचार रखे हैं और अच्छे विचार हैं लेकिन मैंने जहां तक उनका अध्ययन किया है कोई स्पष्ट रूपरेखा उससे हम निकाल नहीं पाये। उन्होंने शुरूआत की है बेसिक स्कूल्स से, उसके बाद रूरल सेकेंडरी स्कूल्स, उसके बाद डेनिश पैटर्न पर पीपुल्स कालेजेज और उसके बाद ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना हो सकती है। ऐसा सेट अप हमारे सामने नहीं था। तो एक ही चीज हमारे सामने थी, या तो हम शुरू से आर्गनाइज करते और बेसिक स्कूल, उसके बाद सेकेंडरी स्कूल्स और फिर पीपुल्स कालेज और उसके बाद विश्व-विद्यालय को बनाते तो पन्द्रह बीस साल से पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय का बनना मुमकिन नहीं था। वह सेट अप नहीं था और इधर यह मांग थी कि जितनी जल्दी हो सके इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय। तो एक ही तरीका था कि इसको स्थापित किया जाय और इसके लिये जो मौजूदा रूपरेखा हमारे सामने थी दूसरे विश्वविद्यालयों की उसको ही हमने स्वीकार किया और उसके ही आधार पर यह रूपरेखा आपके सामने पेश की। यह हो सकता है कि लोग कहें कि उस रूरल पैटर्न को बनाना है तब ठीक है वरना इस पैट्र्न को बनाने से तो अच्छा है कि बन्द कर दीजिये तो उस मांग को माना जा सकता है लेकिन अगर स्थापित करना है तो सिवाय इसके कि जो पैटर्न हमारे पास है उसी के अनुसार हम नई यूनिवर्सिटी बनावें। दूसरा रास्ता नहीं दिखायी देता है।

वाइस चांसलर के एप्वाइंटमेंट की बाबत कहा गया कि कुछ आपने अच्छा तरीका इस्तेमाल नहीं किया है। अटोनामी की बात भी कही गई। मान्यवर, मैं इसमें बहुत सा समय सदन का नहीं लूंगा, क्योंकि अटोनामी की बात तो जब आगरा यूनिवर्सिटी का तथा संशोधन विधेयक हमारे सामने आये थे हम उन पर बहुत कह चुके हैं और सुनचुके हैं और मेरा विश्वास है कि जहां तक ऐकेडेमिक अटानामी का सवाल है उसको पूरे तरीके से हर विश्वविद्यालय में मेंटेन करना चाहिये। जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेटिव अटोनामी का सवाल है उसके अन्दर आज परिस्थिति है उसको देखते हुये थोड़ी बहुत सरकार का हस्तक्षेप करना उचित ही है। बाइस चांसलर की बात कही गई है। इसमें शक नहीं है कि इसमें हमने जो तरीका इस्तेमाल किया है वह बहुत कुछ देहली विश्वविद्यालय से लिया है। आगरा विश्वविद्यालय में जो तरीका था, इलाहाबाद में है और लखनऊ में भी है वह इससे भिन्न है। जिस समय कि आगरा यूनिवर्सिटी विधेयक हमारे सामने था उस समय भी हमारे कुछ साथियों ने इसको पेश किया था। उस समय हमारी सरकार ने इसको नहीं माना। एक एक्सपेरीमेंट किया गया था और हमसे कहा गया था कि यहां आगरा यूनिवर्सिटी के अन्दर बहुत पार्टीबाजी है, दलबन्दी है उसको तोड़ने की आवश्यकता है। वाइस चांसलर की नियुक्ति में चुनाव कम से कम किया जाय और उसके लिये हमने एक परिपाटी स्वीकार की लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के चुनाव के सम्बन्ध में जो अनुभव हमको हुये या हमने जो देखा वह कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। उससे हमें दुख हुआ और खेद हुआ। यह हमने समझा कि जिस ध्येय को हम लेकर चले थे और हमने यह संशोधन किया था वह बहुत हद तक कामयाब नहीं हुआ तब फिर एक दूसरा एक्स्पेरीमेंट् इस बिल के अन्दर रखा गया है और वह यह है कि एक कमेटी बना दी जाय जिसके तीन सदस्य होंगे और उनमें से दो एक्जीक्यूटिव चुन कर भेजेगी और एक चांसलर का चुना हुआ आदमी होगा। यह कमेटी तीन आदमियों का एक पैनेल नामों का चांसलर को देगी और उनमें से चांसलर जिसको चाहेगा चुन लेगा। उसमें यह कहा जाता है कि एक्जीक्यूटिव के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है। मैं ऐसा नहीं मानता। जब तीन आदमियों में से दो आदमी उसके नामजद होंगे यानी ६६ प्रतिशत उनके नुमाइन्दे होंगे तब अधिकारों पर कुठाराघात कहां से होगा। पहले जो बात २५ के अन्दर तय होती थी अब उसको कन्फाइन करके दो तीन आदमियों के अन्दर रख दिया गया है और ये भी बहुत से जो अच्छे-अच्छे एजूकेशनिस्ट देश में हैं इस कमेटी को अधिकार होगा कि कमेटी जिनका नाम उनमें से चाहे तीन का पैश करे। मैं समझता हूं कि इसको एक ट्रायल दिया जाय। यह भी आपत्ति की गयी थी कि इसके अन्दर महाराणा प्रताप सिंह जो कालेज है उसकी जो शिक्षा परिषद् है जो उसकी एक्जीक्यूटिव की तरह काम करती है उसके लिये एक परमानेन्ट सीट क्यों दे दी गई है। मैं नहीं जानता कि इसमें कोई डेमोक्रेटिक बात की अवहेलना होती है। एक सीधा सादा इश्यू सरकार के सामने था। वह यह कि महाराणा प्रताप सिंह कालेज इस शर्त पर गोरखपुर यूनिवर्सिटी के अन्दर मर्ज होने को तैयार था कि उसको आप एक सीट एक्जीक्यूटिव में दें। सरकार ने उस शर्त को स्वीकार किया। सदन को आज भी अधिकार है कि अगर वह चाहता है कि वह कालेज यूनिवर्सिटी में मर्ज न हो तो वह यह कह दे कि वह इस शर्त को नहीं मानता है। दो ही बातें हो सकती हैं। या तो वे अपनी शर्त को वापस ले लें या आप कह दीजिये कि हमें यह शर्त मंजूर नहीं है। इसलिये कोई अनडेमोक्रेटिक बात नहीं है। फिर कई लाख की प्रापर्टी उनकी थी, जो उन्होंने दी है।

जहां तक कि फाउन्डेशन सोसाइटी की बात कही मेरे मित्र केशव पांडेय जी ने, मैं उनकी भावनाओं से सहमत हूं। लेकिन मैं यह नहीं जानता कि फाउन्डेशन सोसाइटी भी दलबन्दी से ऊपर की कोई वस्तु है। यदि हो तो इसमें कोई शक नहीं कि जिसने इतनी चेष्टा की हो उसका भी रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये। और कोर्ट के अन्दर उसको

[श्री नवल किशोर]

रेप्रेजेन्टेशन दिया भी गया है। लेकिन यदि उसके अन्दर भी दलबन्दी हो तो जो आपत्ति शिक्षा परिषद् के बारे में है वही फाउन्डेशन सोसायटी के बारे में भी हो सकती है। पर यह उससे सम्बन्धित लोगों के सोचने की बात है कि वे क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं।

मेरे एक भाई ने कहा कि मेरठ के अन्दर जहां १४ कालेज हैं वहां विश्वविद्यालय नहीं बनाया गया और यहां बना दिया गया, तो इसकी क्या मंशा है। जहां तक मैं समझा हूं गोरखपुर यूनिवर्सिटी का मिक्स्ड कैरेक्टर है। यह एफिलियेटिंग भी है और रेजीडेन्शल भी है और यह सोचा गया कि आगरा यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ गया है तो वह बोझ भी कुछ कम हो जायगा और लोगों की मांग भी पूरी हो जायगी और एक एक्सपेरीमेंट भी हो जायगा। यह ठीक है कि मेरठ की मांग उचित है, लेकिन यह शिकायत करना कि मेरठ में नहीं बनायी गयी और गोरखपुर में बना दी गई इसको मैं ज्यादा उचित नहीं समझता। मेरठ में यूनिवर्सिटी न बनाये जाने का जहां तक सवाल है उसकी एक वजह तो जहां तक मेरी इत्तला है, यह है कि वहां अभी उतना फंड इकट्ठा नहीं हो पाया है जितना गोरखपुर के पास था। इसके अलावा सरकार ने यह तो कहा नहीं कि हम वहां यूनिवर्सिटी खोलने के लिये तैयार ही नहीं हैं। जब वहां रुपया इकट्ठा हो जायगा तो मुझे विश्वास है कि अगर एफिलियेटिंग सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करना है तो मेरठ में आपको यूनिवर्सिटी बनानी होगी। मगर उसकी शिकायत का मौका यहां था या नहीं इसकी बाबत मैं समझता हूं कि जिन साहब ने शिकायत की वे बेहतर जवाब दे सकते हैं।

पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज जो एम० ए० के हैं उनके लिये शिकायत की गयी और एक साहब जो गोंडा के थे उन्होंने भी कहा। वहां बलरामपुर में एक कालेज खोला गया है। वहां के महाराजा ने कई लाख रुपये उसको दिये हैं और मेरी यह इत्तला है कि उनके पास साइन्स की जो लेबोरेटरी है वह इतनी अच्छी है कि शायद हमारे बहुत कम डिग्री कालेजेज और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज के पास उतनी अच्छी लेबोरेटरी होगी। इस विधेयक में ऐसा है कि सिवाय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज किसी एफिलियेटेड कालेज में नहीं हो सकते। मैं इससे सहमत हूं कि इससे बलरामपुर कालेज को दिक्कत होगी मगर मुमकिन है कि अगर विद्यार्थियों की अधिक भीड़ हुई तो आगे चल कर सरकार को इसमें अमेंडमेंट करना पड़े। मगर इसका तो अभी इन्तजार किया जायगा कि जो यूनिवर्सिटी खुलेगी उसमें कितने विद्यार्थी होंगे, कितने साइन्स में आयेंगे। जौनपुर कालेज की भी यही दिक्कत है। वह अभी तक एम० ए० तक है। उसको एम० ए० का दर्जा तोड़ना पड़ेगा। तो यह कठिनाइयां हैं और इसमें शक नहीं कि जब भी कोई विश्वविद्यालय बनाया जायगा तो उसके साथ कठिनाइयां तो होंगी ही। यह भी बहुत लोगों की मांग थी कि हमारे टीचर्स के लिये आर्बीट्रेशन में जाने का अधिकार होना चाहिये। इस विधेयक में यह अधिकार दिया गया है कि उनके लिये कोई दंड हो या और कोई बात पैदा होती हो तो उनका आर्बीट्रेशन नियुक्त हो जायगा और उसकी मार्फत बहुत सी चीजें तय हो जायेंगी। लिहाजा ज्यादा विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। इतना ही कहूंगा कि जहां तक विधेयक हमारे सामने है इसकी रूपरेखा बहुत कुछ वही है जो लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज की है। इसके एम्स ऐंड आबजेक्ट्स में एक चीज छोड़ दी है। इसकी रूपरेखा के कोई स्पैसीफिकेशन नहीं दिये हैं। यदि वहां के लोग चाहें तो सरकार सोचेगी कि यह आहिस्ता आहिस्ता ग्रामीण विश्वविद्यालय बन सके। इसके लिये कोशिश की जायगी लेकिन यह बहुत दूर की बात दिखाई देती है। इसका पैटर्न भी वही होगा जो और विश्वविद्यालयों का है। इस के बनाने से इतना लाभ तो है ही कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों की मांग की पूर्ति हो रही है और जो उन्होंने चेष्टा की है, प्रयत्न किया है वह सफलीभूत होता है। मैं चाहूंगा कि इसके लिये हम अपनी शुभकामनायें सदन में प्रगट करें और सरकार तथा शिक्षा मंत्री जी के लिये बधाई दें।

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह--अधिष्ठाता महोदय,, जब यह बिल प्रवर समिति के सामने था तो उस समय इसका एक सदस्य होने के कारण मैंने भी अपने विचार इस पर प्रगट किये थे। संभवतः इस समय इस विधेयक का विरोध करना अनुचित प्रतीत हो सकता है। लेकिन मैं शुरू में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब यह विधेयक प्रवर समिति में था तो उस समय इसकी रूपरेखा का एक निश्चित मत तय हो चुका था और सब की यह इच्छा थी कि लखनऊ तथा आगरा यूनिवर्सिटी के तरीके से एक गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनायी जाय जिसका काम अधिकतर यही होगा कि जो नौ जिले इसके सुपुर्द किये जा रहे हैं और जो वहां कालेजेज हैं उनको यह ऐफीलियेट करे और साथ ही साथ उचित तरीका निकाले और जो गोरखपुर में कालेजेज हैं उनको सम्मिलित करके शिक्षा प्रदान करे।

अधिष्ठाता महोदय, मैं तो शुरू से ही इस विचारधारा का हूं कि यदि कहीं यूनिवर्सिटी बननी है तो उसको केवल टीचिंग और रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी ही होना चाहिये, जिस तरह से कि गोरखपुर में यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है यदि उसका नाम गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बजाय यूनिवर्सिटी ईस्टर्न ब्रांच रख दिया जाता तो गलत नहीं होता। वास्तव में जो नया विश्वविद्यालय बन रहा है वह है क्या चीज? जो वर्तमान यूनिवर्सिटीज हैं उनकी पूर्णरूप से एक नकल बनाई जा रही है। यदि हमारी यह मांग है कि जो पुरानी युनिवर्सिटी है वह अपना काम पूरी तरह से अदा नहीं कर पा रही है तो फिर पुराने ढांचे को दुहराना अनुचित ही नहीं है, लेकिन जो रुपया इकट्ठा किया गया है और सरकार देने को तैयार है तो उससे लोगों की मांग की पूर्ति नहीं होगी। यह कहा गया कि जो पूर्वी जिलों के निवासी तथा सदस्यगण हैं उनकी बहुत पुरानी मांग रही है कि हमारे यहां एक विश्वविद्यालय बनाया जाय। मैं हालांकि इस भाग से नहीं आता हूं, लेकिन मेरा विश्वास है कि लोगों की यह मांग नहीं रही होगी कि इस तरह की यूनिवर्सिटी दे दी जाय जो किसी तरीके से यूनिवर्सिटी के गुरुओं और युवकों पर गलत प्रभाव डाले। यह उनकी मांग कभी नहीं रही होगी और यह उनकी मांग की पूर्ति भी नहीं कर पायेगी। अधिष्ठाता महोदय, यह भी कहा गया कि यदि इस समय यह विधेयक पारित नहीं किया जाता तो जुलाई तक वह यूनिर्सिटी नहीं खुल पायेगी। मैं नहीं समझ पाया कि इस प्रकार की यूनिवर्सिटी खुलने से क्या लाभ होगा। मैं यह मानता हूं और यह भाव सब के हृदय में है कि यदि इस समय यह न खुली तो जिस प्रकार से सात साल तक यह मामला लटका रहा, तो संभवतः आगे पांच साल तक और लटका रहे, क्योंकि चुनाव वगैरह आने वाले हैं और दूसरे काम भी आ सकते हैं। यह शंका वास्तव में सही है, जब कि देखा जाता है कि इतने दिनों तक इसकी चर्चा रही और यह यूनिवर्सिटी नहीं खुल सकी। किन्तु मैं समझता हूं कि यदि इस प्रकार का विश्वास वहां के लोगों को दिलाया जाय और इसके लिये जो पैसा सरकार देना चाहती है उसको किसी प्रकार सुरक्षित रखा जाय और वास्तव में जब उसकी पूरी रूप रेखा बन कर तैयार हो, वह पैसा वहां मिल सके तो मैं समझता हूं कि वहां के सदस्यगण और वहां के निवासी जो यह जल्दी कर रहे हैं कि किसी प्रकार यह विधेयक पारित हो जाय और नाम के लिये एक गोरखपुर यूनिवर्सिटी स्थापित हो जाय, वह दूर हो जायगी।

अधिष्ठाता महोदय, इस समय इस विधेयक के जो विभिन्न खंड हैं उनकी चर्चा करना अनावश्यक है और मैं इस समय सरकार के सामने यह रखना चाहता हूं कि वर्मा जी का जो सुझाव है उसका मैं समर्थन करता हूं कि इस विधेयक को पुनः एक नये रेफरेंस के साथ कि यदि प्रवर समिति चाहे तो इसकी परिधि को भी बढ़ा सकती है, प्रवर समिति को भेजा जाय। और मैं समझता हूं कि वह सोच विचार करके एक ऐसी रेजीडेंशियल और टीचिंग यूनिवर्सिटी का सुझाव दे, जिससे वहां के लोगों का हित हो। अध्यक्ष महोदय, यदि विलायत का एक छोटा उदाहरण दिया जाय तो आप देखें कि वेल्स और स्काटलैंड को अलग करके केवल इंग्लैन्ड में १८

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

यूनिवर्सिटीज हैं और वहां को देखते हुये जो हमारे यहां यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई और जिस बैकग्राउन्ड से हमारे यहां यूनिवर्सिटियां स्थापित की जाती हैं वह बिल्कुल गलत है। यूनिवर्सिटी का सही रूप नीचे से होना चाहिये। जहां कहीं भी देखा जाय वहां यूनिवर्सिटियां कालेजों पर निर्भर करती हैं। यदि कालेज में डिस्पिलन और शिक्षा नहीं है, एफीशियेंसी नहीं है, वहां के विद्यार्थी ठीक नहीं हैं तो एक जिले में कुछ नहीं हो सकता। अगर गोरखपुर में कुछ हो भी तो उसके लिये असंभव हो जायगा कि गोरखपुर में बैठ कर उसके अधिकारीगण एफीशियेंसी के साथ सब जगह शिक्षा प्रदान कर पायें। हां, उत्तर के लिये मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि इसी कारण उन्होंने कालेजों में एम० ए० के पोस्ट ग्रेजुयेट कालेजों को बन्द कर दिया है और पोस्ट ग्रेजुयेट क्लासेज की पढ़ाई केवल गोरखपुर में ही होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही गलत कदम उठाया जा रहा है। कहां तो सरकार की चेष्टा यह होनी चाहिये कि हर एक कालेज सुदृढ बने, हर एक कालेज की एफीशियेंसी बढ़े, ताकि किसी दूर भविष्य में हर एक बड़े स्थान में जहां कि विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो वहां अलग-अलग, छोटी-छोटी यूनिवर्सिटियां बनें और मैं समझता हूं कि यह यूनिवर्सिटी की विशेषता है। हर एक यूनिवर्सिटी की अलग-अलग विशेषतायें होती हैं। अभी जो मैंने विलायत में १८ यूनिवर्सिटियों का जिक्र किया उनमें हर एक यूनिवर्सिटी की अलग-अलग विशेषता है। विद्यार्थी यह सोचते हैं, यदि उनकी भविष्य के लिये कोई विशेष इच्छा है तो, उसी युनिवर्सिटी में भर्ती हों, जिसमें कि वे स्पेशिलाइज कर सकते हैं और वे वहीं जाते हैं। आज यहां यदि कोई विद्यार्थी किसी यूनिवर्सिटी में स्थान प्राप्त करने की इच्छा रखता है तो उसके सामने केवल एक बात आती है कि उसको सुभीता कहां होगा। यदि वह लखनऊ में रहता है तो वह लखनऊ यूनिवर्सिटी में जाता है और यदि वह इलाहाबाद में रहता है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाता है। जो यूनिवर्सिटी उसके सबसे नजदीक होगी वह वहीं जायगा। मैं मानता हूं कि विद्यार्थियों को यह लाभ है कि ऐसा होने से वह नजदीक की यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। किन्तु अधिष्ठाता महोदय, यदि सोचा जाय तो लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और आगरा यूनिवर्सिटी में क्या अन्तर पाया जाता है। मैं समझता हूं कि एकाध प्रोफेसर को छोड़कर तो एक विषय में अच्छे हो सकते हैं और दूसरी यूनिवर्सिटी के किसी और विषय में अच्छे प्रोफेसर हो सकते हैं लेकिन यदि सामान्यरूप से देखा जाय तो इनमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। यदि कोई विद्यार्थी लखनऊ का एम० ए० है और दूसरा इलाहाबाद का एम० ए० है तो इनमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। वहां तो यह लक्ष्य होना चाहिये कि जो भी वहां पर विद्यार्थी है और जो किसी न किसी रूप से उनके यहां से गुजरता है तो उनके ऊपर यह छाप होनी चाहिये कि वह लड़का फलां यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकला है और उसमें यह विशेषता है। किन्तु यहां पर सामान्यरूप से एक ही चीज बनायी जा रही है और मैं समझता हूं कि इस विधेयक का इस सदन में लाना व्यर्थ है। यह केवल आगरा यूनिवर्सिटी का डुप्लीकेशन मात्र है। आगरा जिन स्थानों पर अभी तक काम करता था और जहां के विद्यार्थी अभी तक आगरा विश्वविद्यालय से संबंध रखते थे, इस विधेयक के द्वारा उसकी सीमा का विभाजन करके और ९ जिले आगरा से निकालकर गोरखपुर के सुपुर्द कर दिये गये हैं। इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इन जिलों की जो मांग है मैं समझता हूं कि वहां के लोगों की मांग किसी प्रकार से पूरी नहीं हो रही है।

अधिष्ठाता महोदय, वाइस-चांसलर के संबंध में बहुत कुछ कहा गया और इसमें हमारी प्रवर समिति के एक सदस्य डा० ईश्वरी प्रसाद जी ने भी यह राय प्रकट की थी कि फाउन्डेशन सोसाइटी को यह अधिकार दिया जाय कि पहला वाइस-चांसलर वह नियुक्त करे। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि कौन वाइस-चांसलर की नियुक्ति करे। केवल आपत्ति की बात यह है कि जो भी वाइस-चांसलर बने वह योग्य व्यक्ति होना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि सोसाइटी की उस संबंध में दो रायें हैं। जो कुछ किया जाय वह इत्तफाक से किया जाय, किन्तु मैं यह

समझता हूं कि किसी प्रकार से यह नहीं होने पाये कि सरकार की तरफ से अपनी इच्छा के अनुसार वाइस चांसलर जैसे प्रमुख व्यक्ति की नियुक्ति अनुचित तरीके से हो।

मेरठ में यूनिवर्सिटी स्थापित करने के विषय में यहां पर चर्चा हुई। हालांकि वह विषय असंगत है किन्तु मैं उसका पूर्णरूप से समर्थन करता हूं, इसलिये नहीं कि क्योंकि गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनायी गयी तो मेरठ में भी बनायी जाय या मैं कहूं कि कोई युनिवर्सिटी क्योंकि मेरठ में नहीं है इसलिये गोरखपुर में न बनायी जाय यह गलत बात है। किन्तु जैसा मैंने शुरू में कहा कि सरकार को यह करना चाहिये कि आहिस्ता आहिस्ता भविष्य में जहां भी विद्यार्थी ज्यादा पाये जाते हों वहां वहां छोटी छोटी यूनिवर्सिटी बनायें। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। जैसा कि विलायत में १८ यूनिवर्सिटियां चल रही हैं और वे बड़ी एफिशियेंसी के साथ चल रही हैं। यह केवल मैं इंगलैंड का ही जिकर कर रहा हूं उसके किसी हिस्से का जिकर नहीं कर रहा हूं। इसलिये मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश जो कि पूर्ण ग्रेट ब्रिटेन के ही बराबर है अगर यहां पर भी ५, ७ यूनिवर्सिटी बन जायं जिससे शिक्षा प्रणाली का सुधार हो सके और अवश्य सुधार होगा। क्योंकि एक विशेषता के कुछ लोग नहीं मिलते हैं। यूनिवर्सिटी की आज इंडिविजुअलिटी कुछ नहीं है। शिक्षा का रोटिन सा बन गया है। जो शिक्षा के संबंधित अधिकारी हैं, प्रोफेसर इत्यादि, उनको न दिलचस्पी है और उन उनको कोई उत्साह ही रह गया है, क्योंकि वे जानते हैं कि एक दफा अगर वह प्रोफेसर बन गये तो वह प्रोफेसर ही मरेंगे। जब तक उनका युग रहेगा उनके लिये कोई स्थान नहीं है। इस तरह से इसको डिसेंट्रेलाइज करने की अत्यन्त आवश्यकता हो गयी है। सरकार को अपनी नीति इस संबंध में घोषित करनी चाहिये और उस नीति में इस बात की व्यवस्था रहे कि यहां पर केवल टीचिंग और रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी ही बनायी जायंगी। सरकार को यह नीति बनानी चाहिये कि जहां पर पर्याप्त विद्यार्थी पाये जायेंगे वहां पर प्रत्येक स्थान में छोटी यूनिवर्सिटी बनायेंगे। यह विचार सरकार के सामने रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, और एक बार माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को दुबारा वे प्रवर समिति में भेजें और उसको भेजते समय यह स्पष्ट कर दें कि यदि प्रवर समिति इसकी रूपरेखा भी बदलना चाहे तो बदल दे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, जहां हमें इस बात का हर्ष है कि इसी जुलाई से गोरखपुर यूनिवर्सिटी चालू होने जा रही है वहां हम इस विधेयक का स्वागत नहीं कर सकते। वैसे तो इस विधेयक में पहले से ही खामियां थीं, लेकिन मेरा ख्याल तो यह है कि प्रवर समिति में जाने के बाद इस विधेयक की शक्ल और भी खराब हो गयी है। उसमें से २–३ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

इसमें जो वाइस चांसलर के चुनाव का तरीका रक्खा गया है उसको मैं त्रुटिपूर्ण समझता हूं। खाली एक यही दलील देकर कि अगर्चे दूसरे तरीके से वाइस-चांसलर का चुनाव होगा तो पार्टीबाजी होगी, इलेक्शन होंगे तो बड़ी गड़बड़ी होगी। इसको बचाने के लिये एक ऐसा तरीका निकाला गया है जिसमें सारी की सारी पावर चांसलर को दे दी गयी है और वही चांसलर जिसको चाहे और जिस तरह से चाहे चुनेगा। इसमें ऐसा रक्खा गया है कि वाइस चांसलर का चुनाव करने के लिये ३ आदमियों की एक कमेटी बनायी जायगी जिसमें एक चांसलर का नामिनी होगा और दो एक्जीक्यूटिव कौन्सिल चुनकर भेजेंगी। यह कमेटी तीन नाम चुनकर चांसलर के पास भेजेगी और उनमें से चांसलर जिसको चाहेगा चुन लेगा। अगर चांसलर के मन का कोई नाम न भेजा गया तो चांसलर उनको वापिस कर देगा और दुबारा नाम मांगेगा। इस प्रकार सारे के सारे अधिकार चांसलर को दे दिये गये हैं। यह तरीका वर्तमान तरीकों के भी विरुद्ध है जो कि आज आगरा और लखनऊ यूनिवर्सिटीज में चल रहे हैं। उनमें अगर एक्जीक्यूटिव कौंसिल किसी नाम को यूनैनीमस भेज देती है तो

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

चांसलर उस आदमी को लाजिमी तौर पर नियुक्त करता है। लेकिन यदि कौंसिल किसी एक नाम पर सहमत नहीं है तो तीन नाम भेजे जायेंगे और चांसलर इन्हीं तीन नामों में किसी एक को चुन देगा अगर वह उसमें से किसी को नहीं चुनता है तो एक्जीक्यूटव को वापस कर देगा कि वह सर्वसम्मति से एक नाम चुन दे। यह तरीका ठीक था। मैं समझता हूं कि आप इस डेमोक्रेसी के युग में चुनाव से कहां तक डरेंगे। यह ठीक है कि शिक्षा संस्थाओं में बहुत ज्यादा पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिये। मैं पूछना चाहता हूं कि जब ऐक्जीक्यूटिव कौंसिल उन दो नामों को भेजेगी तब क्या पार्टीबाजी नहीं होगी। इसलिये इसमें जो वाइस चांसलर की नियुक्ति की चीज रक्खी गयी है, वह ठीक नहीं है।

आज फाउन्डेशन सोसाइटी ने इतना धन इकट्ठा किया, इतना श्रम किया, इसकी बिल्डिंग को तैयार किया, उसके लिये इस बिल में पहले कई धारायें थीं तथा इस कमेटी के कुछ सदस्य बोर्ड में रक्खे गये थे जो कि १५ वर्ष तक रहते लेकिन प्रवर समिति ने जो उसका संशोधन किया है वह यह किया है कि वह केवल ५ साल तक रहेंगे, वह भी केवल दो सदस्य। मैं समझता हूं कि जिस सोसाइटी ने इतनी संपत्ति यूनिवर्सिटी के लिये इकट्ठी की, इतना परिश्रम किया वहां उसके केवल दो ही सदस्य आप ले रहे हैं, यह कुछ उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि यह उसके साथ घोर अन्याय है। इतना ही नहीं, पहले इसमें यह था कि यह जो फाउन्डेशन सोसायटी है वह पहले वाइस चांसलर का नाम रिकमेंड करेगी और चांसलर उसी आदमी को नामिनेट कर देगा लेकिन प्रवर समिति में इस चीज को भी हटा दिया गया और पूर्ण अधिकार चांसलर को दिया गया कि वह जिसको चाहे नामिनेट करे। कहा जाता है कि इसके लिए तमाम कनवेसिंग होती और झंझट होता। मैं नहीं समझता कि अब आप किसको यह अधिकार दे रहे हैं। जिन्होंने इतना परिश्रम किया और लाखों रुपया यूनिवर्सिटी को ला कर दिया वही अगर अपना पहला वाइस चांसलर चुन लें तो कोई भी गड़बड़ी न होगी और यह सरासर उनके साथ अन्याय कर रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह चीज उचित नहीं है।

यही नहीं है। इसमें एक धारा और बढ़ाई गई है, जहां एक्जीक्यूटिव कौंसिल का सवाल है वहां यह रखा गया है कि जो महाराणा प्रताप कालेज की एक सोसाइटी बनी है, जो उसको चलाती है उसका एक सदस्य हमेशा एग्जीक्यूटिव कौंसिल में रहेगा। मैं समझता हूं कि इस तरह की चीज इसमें रखना, हमेशा के लिए किसी को इस तरह से स्थान देना बिल्कुल नामुनासिब है और मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस खंड को इसमें से हमेशा के लिये निकाल दें।

कहा गया कि महाराणा प्रताप कालेज ने बहुत सा धन दिया है और बहुत सारी इमारत दी है लेकिन आज भी अगर आप उसके क्लासेज देखें तो उनमें इतनी जगह नहीं है कि उसमें यूनिवर्सिटी के क्लासेज हो सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां २ डिग्री कालेजेज थे, एक महाराणा प्रताप कालेज और दूसरा सेन्ट एन्ड्रूज कालेज। अगर इन दोनों को इकट्ठा किया जाय तो महाराणा प्रताप कालेज उन दोनों के लड़कों को इकट्ठा नहीं रख सकता। इसलिये मैं समझता हूं कि इस तरह का अधिकार देना उचित नहीं है और अगर इस तरह से आप करते हैं तो जितने भी कालेज उसमें शामिल हों उन सब को आपको एक-एक सीट देनी चाहिए और जो फाउन्डेशन सोसाइटी है उसका भी एक सदस्य उसमें होना चाहिये। आप कहेंगे कि यह सोसाइटी तो इस ऐक्ट के बन जाने के बाद खत्म हो जायगी लेकिन उनके कितने मेम्बर्स या ऐग्जीक्यूटिव के लोग हैं उनकी आप एक लिस्ट बना दीजिए और उन्हीं को चुनने का अधिकार

वें कि वह हमेशा चुन कर भेज दिया करें। इस तरह की चीज तो हो सकती है लेकिन इस तरह से तो फाउन्डेशन सोसाइटी के साथ अन्याय किया गया है और महाराणा प्रताप कालेज को जो सीट दी गई है इस तरह से मैं समझता हूं एक्जीक्यूटिव में किसी को सीट न देना चाहिए और अगर आप उसको देते है तो इसी किस्म का बर्ताव सब के साथ होना चाहिए।

दूसरी चीज जो बिल को देखने से पता चला वह यह है कि सारे के सारे अधिकार चांसलर के हाथों में सौंपे जा रहे हैं। वैसे तो मैं इसी का विरोधी हूं कि प्रदेश के राज्यपाल को चांसलर बनाया जाय। आपको मालूम होगा कि यहीं एक रोज माननीय राज्यपाल पर एक माननीय सदस्य ने कुछ कह दिया तो उनको अपने वह शब्द वापस लेने पड़े और वह प्रोसीडिंग्ज से निकाल दिए गए। अगर राज्यपाल को ही चांसलर बनाया जाता है तो उनकी आलोचना भी यहां नहीं हो सकती लेकिन अगर कोई और चांसलर होगा तो हम क्रिटिसाइज कर सकेंगे। इसलिए इस झगड़े में गवर्नर को नहीं लाना चाहिए और जिसकी आलोचना का सदन को मौका न हो उसको चांसलर बनाना ठीक नहीं है। तो मैंने जहां तक समझा सारी की सारी पावर चांसलर साहब को दे दी गई है और यह जो कोर्ट या एक्जीक्यूटिव कौंसिल है यह एक तरह से चांसलर साहब के हाथ के खिलौने हैं। चांसलर साहब जो चाहें कर सकते हैं। इस तरह का इसमें प्राविजन रक्खा गया है। जैसे कोई आर्डिनेंस बनता है तो चांसलर साहब जब चाहें उसको खत्म कर सकते हैं, उसका चलना रोक सकते हैं, उसको सस्पेंड कर सकते हैं उसी तरह से श्रीमन् स्टेटयूट्स में कोई तब्दीली होगी या कोई नया स्टेट्यूट बनेगा तो चांसलर साहब के अधिकार में है। चांसलर साहब चाहें तो वह न तो नया बन सकता है और न बदल ही सकता है। इस प्रकार का बहुत बड़ा अधिकार चांसलर के हाथ में रक्खा गया है और वह कोर्ट जिसको मैं समझता हूं कि यूनीवर्सिटी की सुप्रीम बाडी होनी चाहिये उसके अधिकार शून्य से रख दिये गये हैं। तमाशा सा बन गया है। कोर्ट को उतने अधिकार नहीं हैं। मैं समझता हूं कि कोर्ट को ही सबसे ज्यादा अधिकार होने चाहिये और कोर्ट ही सुप्रीम बाडी होनी चाहिये न कि चांसलर। इस प्रकार श्रीमन्, मैं आपको बताऊं कि इसमें चूंकि यह भी प्राविजन रक्खा गया है कि सरकार चाहे तो कहीं अगर यूनीवर्सिटी में, या उसके किसी एफिलियेटेड कालेज में कोई गड़बड़ी हो तो वह उसकी एन्क्वायरी करा सकता है। यह तो होना चाहिये कि कोई गड़बड़ी हो तो सरकार को अधिकार होना चाहिये कि गड़बड़ी पाये तो उसको उस तरह से डील करे लेकिन उसमें एक वेग चीज रख दी गई है कि एंक्वायरी करने के लिये वाइस चांसलर को भेजेगी और वाइस चांसलर किसी को एक्जिक्यूटिव कौंसिल के सामने भेजेगा उचित समय पर। यह उचित समय नहीं होना चाहिये। मैं तो निश्चित मत का हूं कि उसमें टाइम फिक्स होना चाहिये—इतने दिनों के अन्दर—महीना रख दिया जाय, डेढ़ महीने रख दिया जाय, कोई टाइम फिक्स कर दिया जाय। यह यूनीवर्सिटी और सरकार दोनों के लिये अच्छा होगा। यूनीवर्सिटी को यह खतरा है कि अगर कोई चीज मांगती है और सरकार नाराज है तो कहेगी चार दिन का ही उचित समय है, चार दिन के बाद एन्फोर्स कर देगी।

उचित समय की बात जो है उसमें ठीक-ठीक टाइम रक्खा जाय और टाइम रखने से ही ठीक होगा। एक चीज जो इसमें है वह बहुत अच्छी है और वह यह कि स्त्रियों के लिये यह प्राविजन रक्खा गया है कि वे प्राइवेट इम्तिहान देना चाहें तो दे सकती हैं और उसी प्रकार लायब्रेरियन्स जो हैं उनके लिये भी रक्खा गया है। ऐसा प्राविजन रखना उचित है क्योंकि इस प्रदेश की बहुत स्त्रियां कालेज अटेंड नहीं कर सकती हैं। अगर घर पर पढ़ कर इम्तिहान देना चाहें तो उनको यह अधिकार होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह जो क्लाज रक्खा गया है यह उचित

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

हैं और यह होना चाहिए। श्रीमन् मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि फाउंडेशन सोसाइटी को इगनोर न किया जाय। उसको यह अधिकार दिया जाय कि वह पहले वाइस चांसलर का चुनाव कर सके, उसके ज्यादा से ज्यादा मेम्बर बोर्ड में रक्खे जायं और यह जो महाराणा प्रताप कालेज को एक सीट पर्मानेंटली एक्जीक्यूटिव कौंसिल में दी गई है उसे हटा दिया जाय तभी मैं समझता हूं कि गोरखपुर यूनीवर्सिटी ठीक से चल सकेगी और वहां की जनता को लाभ हो सकेगा।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, व्याख्यान से पहले मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पंखे भी नहीं चल रहे हैं और लाउड स्पीकर भी इतना दोषपूर्ण और डिफेक्टिव है कि श्री नारायणदत्त जी आदि के व्यख्यानों को ध्यान से सुनता रहा, लेकिन सुन नहीं सका। इसलिए मैं गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके ऐसा कुछ इन्तजाम हो कि जो कुछ बोला जाय वह सुना जाय। एक बात अब इस बिल के सिलसिले में मुझे चन्द शब्दों में अर्ज करना है कि उस सोसाइटी को मैं पहले धन्यवाद दूं कि जिसने कोशिश की, पैसा इकट्ठा किया वहां विश्वविद्यालय बनाने के लिये प्रयत्न किया अथवा गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इमदाद नहीं करती तो बहुत प्रयत्न करने पर भी विश्वविद्यालय स्थापित नहीं होता। और अगर वह लोग पैसा इकट्ठा न किये होते तो गवर्नमेंट इमदाद किसकी करती? इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि दोनों का काम करीब-करीब बराबर है। इसलिए एक ही जबान से एक ही वक्त में उस सोसाइटी को और गवर्नमेंट को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। एक जमाना था, इस तरह का पैसा इकट्ठा करना अच्छे काम के लिये कुछ मुश्किल नहीं था। लेकिन अब जब कि जमींदारी टूट गयी है मिलों पर अत्यधिक और हैवी टैक्स लग गये हैं और लोगों की माली हालत खराब हो गयी है। ऐसी हालत में पैसा इकट्ठा करना, जमीन इकट्ठा करना, ये दोनों काम उतने आसान नहीं रख गये हैं, बहुत मुश्किल हो गये हैं। अधिष्ठाता महोदय, आपको भी सार्वजनिक काम, पब्लिक लाइफ का पूरा तजुर्बा है। इसलिए अधिक ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। इशारा ही काफी है। कुछ लोग बड़ी खुशी से रुपये दे देते हैं किन्तु कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा तो दे देते हैं लेकिन आपके साथ चन्दा मांगने नहीं जायंगे। क्योंकि पैसा मांगने वालों को कभी-कभी अपमान सहना पड़ता है। एक अजीब हालत है पैसे वाले लोग जब अपने काम से आते हैं तब तो डरते हुये बड़ी विनम्रता से बात करते हैं लेकिन जब उनके पास कोई पैसे के लिए जाता है तो उन लोगों की आंखें बदल जाती हैं। सबसे मुश्किल काम है पैसा इकट्ठा करना इसीलिए संस्कृत के एक विद्वान् ने कहा है—

"तृणं लघु तृणात् तूलं, तूलादपि च याचक।
वायुना किं न धूयन्ते न च मां याचयिष्यति॥"

किसी ने पूछा कि सब से हल्की चीज क्या है तो दूसरे ने कहा कि सब से हल्की चीज तृण है। उन्होंने कहा नहीं, उससे भी हल्की रुई है। लेकिन सब से हल्का होता है मांगने वाला आदमी। पूछा गया कि आदमी सब से हल्का होता है तो हवा उसको क्यों नहीं उड़ा ले जाती। जवाब दिया गया कि हवा उससे डरती है कि कहीं मुझसे भी न मांग बैठें। इतना हल्कापन मांगने वाले में समझा जाता है। लिहाजा जिन भाइयों ने मेहनत करके, परिश्रम करके लोगों के पास जा-जा करके पैसा इकट्ठा किया है, जमीन इकट्ठा की है, और यही नहीं उस पैसे को निहायत किफायतशारी के साथ खर्च किया है वह भी प्रतिष्ठा और इज्जत के कम पात्र नहीं हैं। प्रतिष्ठा करने से उसकी कोई खास बात नहीं होती क्योंकि जो सबका काम करता है वह काम ही बहुत बड़ा पुरस्कार है क्योंकि अच्छे काम के करने में ही बड़ी भारी खुशी होती है। जो स्कूल खोलता है, अस्पताल बनवाता है, पाठशाला खोलता है, यूनिवर्सिटी खोलता है, उसके खोलने में

ही उसको काफी खुशी होती है। उसका इनाम वही बहुत काफी है और सचमुच सात्विकी वृत्ति से वह इस काम में आते हैं। अगर कोई सेवा वृत्ति से कोई कार्य करता है तो उसका सेवा करना ही काफी है, उसका वही इनाम है कि उसने अच्छा काम किया। लेकिन उसकी इज्जत करने से नये आदमी पैदा होते हैं। एक आदमी ने अच्छा काम किया, सच्चे भाव से काम किया, निःस्वार्थ परिश्रम किया, उसकी प्रतिष्ठा और इज्जत की गयी तो नये-नये परोपकारी और त्यागी आदमी पैदा होंगे, क्योंकि प्रतिष्ठा इतनी आनन्द देने वाली चीज है जो व्याख्यान, तकरीर और तहरीर से नहीं बतलायी जा सकती। आप देखें कि और किसी काम के लिये पैसा देकर आदमी रख सकते हैं। लेकिन पैसा देकर के कोई जान देने वाला आदमी नहीं मिल सकता है। लेकिन इज्जत और प्रतिष्ठा के लिए आदमी अपनी जान भी दे देता है। क्योंकि वह ऐसी कीमती चीज है। इसलिए शास्त्र वालों ने कहा है—

"उत्तमा मानमिच्छन्ति मध्यमाधनमानयो।
अधमाधनमिच्छन्ति मानमुहि महताम्धनम्॥"

प्रथम श्रेणी का पुरुष प्रतिष्ठा चाहता है, अपनी इज्जत चाहता है मध्यम लोग अपनी इज्जत और पैसा दोनों चाहते हैं और थर्ड क्लास के अधम लोग पैसा चाहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा धन मान होता है। तो मेरी प्रार्थना यह है कि जिस सोसायटी ने अपको मौका दिया, इतना बड़ा काम किया अब उसकी इज्जत होनी चाहिये। उस सोसायटी में लायक व्यक्ति हैं, मुझे अच्छी तरह मालूम है उस सोसायटी को यह अधिकार मिलना चाहिये कि पहला वाइस-चांसलर खुद जिसको चाहे उसको वह चुने और उसमें ऐसे लोग है जिनमें खूबियां हैं। उसमें स्वाभाविक पब्लिक सेवा करने वाले लोग हैं। कानून कायदा बना करके, जबरदस्ती करके किसी में सेवा भाव पैदा नहीं किया जा सकता। एम० ए०, बी० ए०, आचार्य, आलिम फाजिल मिल सकते हैं लेकिन वह परोपकारी स्वभाव मिलना कठिन होता है। एक शेर है "कि कहां से लायेगा कासिद बयाँ मेरा जवां मेरी।" इस लिये मेरी प्रार्थना है गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके उस सोसायटी को अधिकार दे और उसकी इज्जत करे। और पहला वाइस चांसलर उसी में से होना चाहिये। हुजूरवाला स्वर्गीय मालवीय जी ने हिन्दू विश्वविद्यालय का काम प्रारम्भ किया था उस वक्त अपनी गवर्नमेंट नहीं थी, विदेशी गवर्नमेंट थी लेकिन परिश्रम और त्याग को देखकर उस विदेशी हुकूमत ने भी उनकी इज्जत की और उपकुलपति बना दिया। तो जब विदेशी सरकार जगह दे सकती है तो स्वदेशी गवर्नमेंट क्यों नहीं जगह दे। इसलिए मेरा ख्याल है कि फाउन्डेशन सोसायटी के अन्दर ऐसे आदमी हैं और उसको अधिकार होना चाहिये कि वे जिसको चाहे अपना वाइसचांसलर चुन लें।

एक साहब ने कहा कि विश्वविद्यालय बहुत हैं और इस विधेयक को पुनः प्रवर समिति को वापस किया जाय और यह भी कहा कि इस तरह से बेकारी बढ़ती है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं विश्वविद्यालय से बेकारी नहीं बढ़ती है बेकारी तो कुशिक्षा से बढ़ती है जो शिक्षा वहां दी जाती है। उसमें परिवर्तन कीजिये ताकि जो वहां से स्वार्थी निकलते हैं वे परमार्थी बन के निकले। देश को इस वक्त ऐसे आदमियों की जरूरत है कि चरित्रवान और विद्वान्, दोनों हों। आजकल जिस उद्देश्य, मकसद से विश्वविद्यालय खोले गये हैं वह नहीं पूरा हो रहा है। अगर नहीं पूरा हो रहा है तो उस प्रणाली को बदलिये, पुस्तकों को बदलिये। लेकिन इसके लिये विश्वविद्यालय ही न खोलना बुद्धिमानी नहीं है, यह गलत बात होगी। बेकारी तो होती है नियोजन की कमी के कारण, तो हुजूरवाला शुरू में ही ऐसा किया जाय कि गांव के जो बच्चे पढ़ कर निकलें, जो प्रथम श्रेणी में आयें उन्हीं को ऊपर पढ़ने दिया जाय औरों को ज्यादा ऊपर न जाने दिया जाय, वहीं रोक दिया जाय। यदि शुरू से ही ऐसा रुख अपनाया जाय तो फिर देखें कि कैसे बेकारी बढ़ती है। मैं यह भी अर्ज करता हूं कि जो लड़का ऊंचे दर्जे में भर्ती हो तो उसका एक बार फिर इम्तहान हो। देखा जाय कि नकल करके

[श्री सीताराम शुक्ल]
पास तो नहीं हुआ है ताकि प्रारम्भ ही में रोक दिया जाय । ताकि वे विद्वान् और परोपकारी बन के निकलें। जिनके सामने सेवा भाव है उनको कुछ नहीं चाहिये। बंगले, मोटर हवाई जहाज बड़ी चीज नहीं हैं उससे बड़ी चीज यह है गरीबों की तकलीफ को दूर करना है। बड़ी चीज यह है कि किसी के कष्ट को कैसे दूर करें। धनी होना बड़ी चीज नहीं है बल्कि गरीब को आराम पहुंचाना बड़ी बात है। यह भाव अगर भर दिया जाय तो लोग अच्छे निकलेंगे। और आखिर में मैं अपने शिक्षा मंत्री जी को और उप मंत्री जी को तहेदिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने वहां की पुकार को सुन लिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ख्वाहिश की वह जमाना फिर आये जब कि हर तरफ विद्वान् हों, सचरित्र हों, अच्छे सेवक हों।

श्री सूर्यबली पांडेय (जिला देवरिया)---अधिष्ठाता महोदय, जो बिल इस वक्त सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है उसके लिए मैं सर्व प्रथम अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो गोरखपुर बिल आज पांच वर्षों से लटका हुआ था उसके लिए कोशिश होती रही, लेकिन अवसर नहीं मिला। उसके लिए हमारे शिक्षा मंत्री जी ने जो इस अवसर पर उसे इस सदन के सामने ला करके उसके ऊपर विचार करने का मौका प्रस्तुत किया उसके लिये मैं उनको धन्यवाद दिये बिना रह नहीं सकता। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में जो इतने दिनों से लटका हुआ था उसके लिए इस वक्त भी जैसी कि उम्मीद रही है और अब भी हम सबको आशा है कि शीघ्र ही उसकी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायगी। लेकिन कुछ हमारे विरोधी भाइयों ने, विरोधी दल के लोगों ने या कुछ अन्य भाइयों नें इस बात की फिर चेष्टा की है कि इसमें फिर विलम्ब किया जाय और उसके लिये बिल जब कि ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी से आ गया है, उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है, उसको फिर दूसरी प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात उन्होंने की। मैं समझता हूं कि इस तरह की बात सिवाय इसके कि डीलेइंग टैक्टिक्स कही जाय, और उसे कुछ नहीं कहा जा सकता है। यदि इस बिल को फिर प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय और उसके वहां से आने तक इन्तजार किया जाय और उसके बाद इसकी कार्यवाही प्रारम्भ की जाय तो फिर यह साल गड़बड़ झाला में पड़ जायगा। मेरा यह निवेदन है कि इस बिल को जितनी जल्दी हो सके पारित करके गोरखपुर यूनिवर्सिटी को कार्य रूप में परिणत कर दिया जाय, ताकि वहां पढ़ाई का काम शुरु हो जाय इसी सेशन से। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस निवेदन को कि यह दूसरी प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय इसको स्वीकार न किया जाय।

अब मैं आपके सामने कुछ सुझाव इस यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में देना चाहता हूं। महानुभाव आज गोरखपुर जिला जो है, एक गोरखपुर जिला ही क्या यह आपके पूर्वी जिले जितने हैं सब अभावग्रस्त क्षेत्र रहे हैं और आज भी अभावग्रस्त क्षेत्र हैं। इसलिये यहां यूनिवर्सिटी खोलने का जो अवसर मिला है इस मौके पर इस बात का ध्यान होना चाहिये कि इस यूनिवर्सिटी में ऐसे विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था हो जिसके द्वारा कि वहां की जो आज व्यवस्था है वह परिवर्तित हो जाय, वहां के लोगों की आर्थिक दशा को सुधारने में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से लाभ हो सके। इसलिए उसके लिए आज सरकार सोच करके इस तरह की चीजों को पढ़ाने की व्यवस्था उसमें करें। गोरखपुर जिला आप जानते हैं कि वहां ईख उत्पादन की विशेषता है। वहां पर चीनी की मिलें गोरखपुर, देवरिया आदि जिलों में बहुत काफी हैं। इसलिए शुगर टैकनालाजी का जो विषय है उसके अन्दर अवश्य रखा जाय। इसी तरीके से जिस तरह कि सरकार की तरफ से शाहजहांपुर वगैरह में रिसर्च वर्क होता है उसी तरह से रिसर्च वर्क भी यहां हुआ करें। मैं आपके समक्ष यह सुझाव रखना चाहता हूं। इस यूनिवर्सिटी में एक बात की और भी आवश्यकता है। इस युग में जब कि हमारे प्रधान मन्त्री जी इस संसार के सामने इस वक्त में सारे एशियाई मुल्कों के संगठन पर जोर दे रहे हैं उस वक्त यहां एशियन लैंग्वेजेज के पढ़ाने की भी व्यवस्था होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में वहां

के कुछ कालेजेज जो हैं उन्होंने कार्य प्रारम्भ कर दिया है। इसलिए मैं समझता हूं कि यदि यूनिवर्सिटी के अन्दर इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था कर दी जायगी तो इससे इसमें भी प्रोत्साहन मिलेगा और भविष्य में राष्ट्र को मजबूत बनाने की दृष्टि से और एशियन राष्ट्रों को सबल बनाने की दृष्टि से भी एशियन लैंग्वेजेज को हमारे विद्यार्थी जब पढ़ेंगे तो उनसे सम्पर्क स्थापित करने में काफी सहयोग मिलेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि एशियन लैंग्वेजेज को पढ़ाने की व्यवस्था वहां की जाय। इसमें मुझे यह निवेदन करना है और खासतौर से इस यूनिवर्सिटी में कुछ विशेषता होनी चाहिये। इस वक्त में जैसे और यूनिवर्सिटीज अपना काम कर रही हैं वह तो करती ही रहेंगी लेकिन इन विषयों पर भी ध्यान रख करके सब विश्वविद्यालयों को सोचने की आवश्यकता है। इसी तरह से इंजीनियरिंग कालेज की वहां के लोगों को आवश्यकता है, इंजीनियरिंग की शिक्षा भी बहुत आवश्यक है। जैसा वहां का टेकनिकल स्कूल है उसको रेज करके कालेज करने की योजना सरकार कर रही है जिससे वहाँ जाकर विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें और उन्हें दूर न जाना पड़े, पास ही यूनिवर्सिटी की शिक्षा उन्हें प्राप्त हो और उच्च शिक्षा भी वहीं पर उपलब्ध हो सके। यह तभी सम्भव हो सकता है जब कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को वहां प्रारम्भ कर दें। इसमें जितना ही विलम्ब होगा उतना ही नुकसान वहां की जनता का और पूर्वी जिलों का होगा। इसलिये सरकार जिस प्रगति के लिये आगे बढ़ रही है, जो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहती है, जिसकी स्थापना करने में उसको अनेकों प्रयत्न करने पड़ेंगे, वहां की स्थिति को सम्भालना होगा। तो जब शिक्षा संबंधी स्थिति सम्भलेगी तभी आर्थिक स्थिति भी सम्भलेगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको यथाशीघ्र पारित करके इसको कार्य रूप में परिणत किया जाय।

मैं यहां पर कोई विशेष बातें कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें बहुत सी बातें बतलायी गयी हैं, लेकिन एक विषय पर मैं अवश्य इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह जो राणा प्रताप कालिज को मर्ज करने की बात है उसके सम्बन्ध में ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी ने जो सुझाव रक्खा है कि उसका एक सदस्य आ करके एग्जिक्युटिव का मेम्बर हो जाय तो दूसरे कालेजेज भी ऐसे हैं जिनके लोग भी इस बात की कोशिश करेंगे कि उनके सदस्य भी एग्जिक्युटिव कमेटी में क्यों न आवें। इस तरह से पूर्वी जिलों में एक बखेड़ा खड़ा हो जायगा और जो कालेजेज अफिलियेट होने वाले हैं वह भी कोशिश करेंगे कि उनके सभी आदमी एग्जिक्युटिव में आ जायं। यह चीज सरकार के लिए भी अच्छी न होगी और सरकार कठिनाई में पड़ जायगी, इसलिये मेरा अनुरोध है कि ऐसा सुझाव स्वीकार न किया जाय, और जितनी चीजें हैं वह स्वीकार कर ली जायं। अगर राणा प्रताप कालिज चाहता है कि उसका मर्जर हो जाय तो उसको चाहिये कि बिला किसी शर्त के उसके अन्दर मर्जर करा ले।

इन सुझावों के साथ मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि शीघ्र से शीघ्र इस विधेयक को पारित करके जुलाई के सेशन से वहां की यूनिवर्सिटी के कार्य को चालू कर दें। मैं अपने शिक्षा मंत्री और सदस्यों से अनुरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि पूर्वी जिले अभाव ग्रस्त क्षेत्र है, इसलिए इस कार्य में सहयोग करके और सहायता करके इसको सफल बनाये। यह कह करके मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—अधिष्ठाता महोदय, इस प्लानिंग के जमाने में गोरखपुर यूनिवर्सिटी बिल इस सदन में उपस्थित हुआ है। पहली बात जो कि मैं सरकार से जानना चाहता हूं और वह इस सदन के माननीय सदस्यों का अधिकार है, वह यह है कि यू० पी० के शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य में होने वाले विकास की गोरखपुर यूनिवर्सिटी कौन सी कड़ी है। यू० पी० में जितनी यूनिवर्सिटी की योजनाएं सरकार ने बनायी हैं, जो कि

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

आने वाली जरूरियात के मातहत खोली जायंगी, उनमें कितने व्यक्तियों के पीछे एक यूनिवर्सिटी की जरूरत हमारी सरकार ने महसूस की है, जिसके पैमाने के बेसिस पर गोरखपुर यूनिवर्सिटी बिल इस सदन में पेश किया गया है। मैं समझता हूं कि जब बुद्धि से काम लेकर अपने भविष्य को उज्वलमय बनाने जा रहे हैं, जब हम मुल्क की जरुरियात को देखते हुये विकास का कदम बढ़ाने जा रहे हैं तो हमें अपना कोई भी कदम अंधकार में बिना सोचे समझे नहीं बढ़ाना चाहिये। मैं तो यह समझता हूं कि यह गोरखपुर यूनिवर्सिटी बिल किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करने जा रहा है? क्या वैसी शिक्षा की व्यवस्था करने जा रहा है जो शिक्षा कि हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती है, क्या वे विषय जिनकी जरूरत हमारे राष्ट्र के भविष्य के निर्माण में सहायक होंगे और जो विषय और यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाये जाते हैं, तो उस हालत में हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी बिल का हृदय से स्वागत करते परन्तु अगर गोरखपुर यूनिवर्सिटी केवल एक पुनरावृत्ति है उसी प्रकार यूनिवर्सिटियों के खोलने की जो यूनिवर्सिटीज आलरेडी हमारे प्रांत के अन्दर हैं और जिन यूनिवर्सिटियों के अन्दर विद्यार्थियों की तादाद बढ़ती जाती है तो मैं समझता हूं कि उन यूनिवर्सिटियों में उन डिपार्टमेंट्स को एक्सपेंड करने की जरूरत है न कि नयी यूनिवर्सिटी खोलने की जरूरत है।

हमें अपनी मुल्क की जरूरियात को देखते हुये बुद्धिजीवी लोगों की तरह अपने भविष्य की शिक्षा का श्री गणेश भी करना है। हमें इस राष्ट्र को बनाना है, न कि उस शिक्षा-दीक्षा की जिसकी व्यवस्था इस यूनिवर्सिटी विधेयक के द्वारा की जा रही है, उस शिक्षा-दीक्षा की आवश्यकता हमें नहीं है जिस पर लाखों करोड़ों रुपया हमारे गरीब भाइयों का खर्च होगा। वह यूनिवर्सिटी हमारे मुल्क के अन्दर नई-नई समस्यायें पैदा करने के लिये खोली जा रही है। जो समस्यायें आज हमारे मुल्क के अन्दर उपस्थित हैं उनको हल करने के लिये और मुल्क के दुख दर्द को दूर करने के लिये आवश्यक हो वह शिक्षा-दीक्षा अगर हमारे मंत्री महोदय बतला सकें कि इसमें है तो हम इसका जरूर समर्थन करते हैं। अगर वही लकीर के फकीर की तरह आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं तो मैं उन भाइयों से निहायत अदब से अर्ज करना चाहता हूं जिनका दृष्टिकोण इस मुल्क के विस्तृत करने की ओर है और जिन्हें आजाद मुल्कों की शिक्षा-दीक्षा देखने का अवसर प्राप्त हुआ है, मैं बताना चाहता हूं उनको कि किसी ने लिखा है कि "a nation without vision is bound to fail" अर्थात् वह राष्ट्र जिस में कल्पना शक्ति का अभाव है वह हरगिज जिन्दा नहीं रह सकता। वह राष्ट्र और वह समाज अवश्य डूबेगा और उस राष्ट्र की मौत होगी, क्योंकि संसार प्रगतिशील है, कोई भी दूसरा राष्ट्र रुकने के लिये आज तैयार नहीं है। अगर हम अपनी उसी पुरानी व्यवस्था को ले कर चले, उन्हीं पुरानी संस्थाओं और उन्हीं पुरानी परिपाटियों और परम्पराओं को लेकर इस मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते है तो मैं समझता हूं कि इस ऐटामिक संसार में जो आज साइंस द्वारा संसार में चकाचौंध फैलती हुई दिखायी दे रही है, उसमें यह ठहर नहीं सकता। जिस देश के ग्रेजुयेट्स और पोस्ट ग्रैजुऐट्स आज मुल्क की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, तो उस शिक्षा की कोई न कोई सुन्दर व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये। वह शिक्षा जो हम देने जा रहे हैं वह शिक्षा के स्तर के निर्माण को सहायता देने वाले व्यक्तियों को पैदा नहीं कर सकते वह शिक्षा-दीक्षा भविष्य की जरूरतों को हल करने के लिये एक नया दृष्टिकोण हमारे देश को प्रदान नहीं कर सकती। वह अधूरी शिक्षा, वह अंधी शिक्षा, वह लंगड़ी शिक्षा, वह शिक्षा जिसकी कि हड्डियां कमजोर हो गयी हैं और जो कि मौत की घड़ियां गिन रही हैं उस शिक्षा के लिये नयी व्यवस्थायें देश के अन्दर करना मैं समझता हूं कि यह अज्ञान मात्र है। मेरा अपना विश्वास है कि जिस प्रकार की व्यवस्थायें आज हमारी यूनिवर्सिटियों के अन्दर हैं उससे भारत की रोज ब रोज की समस्यायें और भी जटिल बनती चली जा रही हैं, हम नई-नई

नई समस्यायें अपने देश के अन्दर पैदा करते जा रहे हैं और इस देश की समस्या को हम हल नहीं करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय इस विषय पर रोशनी डालें। इस प्रकार नकेल डाल कर वह हमें न खींचे। यह हमारे समाज के लिये ठीक नहीं है। उन्हें हमें जनता के प्रतिनिधि समझ कर, हमको प्रकाश का पुंज समझ कर हमारे दिमागों के अन्दर यह विश्वास अपने तर्क और समझ से पैदा करना चाहिये और उन परिस्थितियों का ज्ञान कराना चाहिये, जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने इस बिल को सदन में प्रस्तुत किया है। जब तक वे यह बात नहीं करते मैं समझता हूं कि वे न तो अपने ही कर्तव्य का पालन करते हैं और न हम सदस्य ही अपने कर्तव्य का पालन करते हैं जो इस सदन में भाषण सुनते हैं और अंधों की तरह वोट दे देते हैं, मैं समझता हूं कि हम अपने राष्ट्र के साथ ज्यादती करते हैं जनता के खजाने के साथ खिलवाड़ करते हैं और ऐसे बचपने का खिलवाड़ करते हैं जो रुपये पैसे और कंकड़ पत्थर में कोई फर्क नहीं समझते। जब मैं यह सुनता हूं कि एक नई यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है तो हमारा दिल हरा भरा हो जाता है, लेकिन जब उस तस्वीर को देखते हैं जो कि हमारे सामने है तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि हमारी आशा एक सपना है। इस लिये मैं निहायत अदब के साथ दरख्वास्त करना चाहता हूं माननीय सदस्यों से कि यह बिल हमारी सरकार की ओर से प्रस्तुत है, हम सरकार के सपोर्टर हैं, लेकिन हम अन्धों की तरह सरकार की आंखों में पट्टी बांध कर उसको आगे नहीं ढकेलना चाहते हैं। उसमें देश के लिये खतरा है। हमें अपने देश की रक्षा में बड़े-बड़े आघात होने वाले नजर आते हैं। मैं समझता हूं कि यह उस भूखी, नंगी, गरीब जनता के प्रति अविश्वास होगा जिसको हमने आश्वासन दिया था और यह दृढ़ संकल्प किया था कि हम अपने देश के अन्दर शिक्षा को कम्पलसरी और फ्री करके अपने भाइयों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा कर स्वतंत्रता की रोशनी घर-घर तक पहुंचायेंगे। जब तक हम इस बात को नहीं करते तब तक भले ही यूनिवर्सिटी शब्द का उच्चारण करके, केवल उसका उद्घोष करके हम शांति का अनुभव कर लें, मगर उससे देश की उन्नति होने वाली नहीं है। यह आंख खोल कर चलना नहीं है। यह तो हमें अन्धविश्वासी बनाता है।

आज हमें जरूरत है टेक्नोलिजिकल इंस्टीट्यूट्स की, जिनके द्वारा हमारे भविष्य की पूर्ति होगी जब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश के अन्दर होने जा रहा है। अगर हम अपनी आकांक्षाओं को कार्यरूप में परिणत करना चाहते हैं तो क्या वजह है कि हम उस आने वाले भविष्य की जरूरतों के लिये उस तरह की यूनिवर्सिटीज को न खोलें जोकि हमारे उस काम की पूर्ति के लिये निहायत जरूरी है। इसलिये मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने गलती से इस बिल को इस हाउस में पेश कर दिया है तो अभी समय है। मैं समझता हूं कि यह भी अक्लमन्दी है अगर हम अपनी भूल को समझ कर अपना कदम पीछे हटा लें और हम दृढ़ता के साथ उस विकास को देखते हुये, जोकि हमारे देश के अन्दर होने वाला है, जिसका वर्षों से हमने आवाहन किया है और जिसकी भावना देश के बच्चे-बच्चे में हमने जाग्रत की है और जिस भावना को देश के कोने-कोने में कांग्रेस का झंडा ले कर हमने जाग्रत किया है। मैं समझता हूं कि इसको हम एक प्रैक्टिकल शेप देने की कोशिश करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि इस मामले की अच्छी तरह से छानबीन होनी चाहिये और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि वह अपना उत्तरदायित्व नहीं समझते हैं जो अंधेरे को देखते हुए भी अपना कदम नहीं संभालते हैं। यह उचित ही होगा अगर हम इस पर गौर फरमायें और बढ़ी दृढ़ता के साथ तथा सोच समझकर अपना कदम आगे बढ़ायें।

श्रीमती लक्ष्मी देवी (जिला हरदोई)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज विश्व-विद्यालय विधेयक पर सुबह से बहस सुन रही हूं। इस समय मुझे दो चार बातें माननीय शिक्षा मंत्री जी की सेवा में कह देनी है। आज हमारे सूबे में ६–७ यूनिवर्सिटीज हैं और भी खुलने की आशा है। लेकिन मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहती हूं कि

[श्रीमती लक्ष्मी देवी]

हमारा हिन्दुस्तान देहाती हिन्दुस्तान है और देहात से ही आकर शहरी जीवन बनता है। देहात में जो संस्कृति दिखाई देती है उसी से हमारे शहर पनपे हैं और पढ़ने-लिखने की तरफ ध्यान गया है। लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मन्त्री महोदय का महिलाओं की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं गया है।

मैं जानती हूं और वह यह कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में पुरुष और स्त्री दोनों पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं उनका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि हमारा हिन्दुस्तान अभी इस पद्धति तथा श्रेणी में नहीं आता है, जिसके अनुकूल हमारे यहां कोएजूकेशन मुफीद हो। आज सारी परेशानियों और मुसीबतों को झेलते हुये भी अपनी संस्कृति के कारण ही हिन्दुस्तान कायम है। कितने ही मुल्क बने और बिगड़े, लेकिन हिन्दुस्तान अपनी जगह पर कायम है और रहेगा अगर हमारे नेता इसमें कोएजूकेशन को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारी संस्कृति में खराबी आती है। आज हमें कोएजूकेशन के कारण बहुत ही बुराइयां नित्य प्रति सुनने को मिलती हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाऊंगी कि महिलाओं के लिये एक अलग विश्वविद्यालय खुलना चाहिये। हम इस बात को मानते हैं कि इसमें शिक्षा-दीक्षा ऐसी ही होनी चाहिये, जो महिलाओं के लिये मुफीद हो और हमारी संस्कृति के लिये अनुकूल हो।

इसलिये मैं चाहती हूं कि जो बहस चल रही है उसमें और भी बहुत सी चीजों का ध्यान रखा जाय। मैं देख रही हूं कि हमारे यहां कोएजूकेशन की इतनी तरक्की हो गयी है, लेकिन एक हिस्सा अब भी अंधेरे में पड़ा हुआ है। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र जब तक कि वह अपनी संस्कृति में शिक्षा-दीक्षा न ले तब तक वह पनप नहीं सकता है। हमारे देश को आजादी मिले हुये इतने दिन हो चुके हैं लेकिन एक अंग की ओर किसी भी नेता का ध्यान नहीं गया है। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि वह इस तरफ ध्यान दें क्योंकि अगर एक अंग अधूरा रहा या मूर्ख रहा तो आने वाले युवकों पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि हमारे यहां बाल केन्द्र खुल रहे हैं लेकिन वहां की शिक्षा का प्रबन्ध स्त्रियों के हाथ में नहीं है। इन सब बातों का सदन में रखना मैं अपना कर्तव्य समझती हूं और मैं सोचती हूं और मुझे आशा है कि उनकी तरफ भी ध्यान अवश्य होगा। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है कि जिससे मनुष्य का जीवन बनता और बिगड़ता है। आज देश की गरीबी और परेशानी उनके सामने है और वह जानते भी हैं, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं उनसे कहूं कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाय। शरीर के एक अंग को अगर पक्षाघात लग जाता है तो सारा शरीर नष्ट हो जाता है, उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। उसी तरीके से राष्ट्र होता है। उसकी उन्नति के लिये आप को इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिये कि हमारी महिलाओं के लिये, लड़कियों के लिये एक अलग विश्वविद्यालय हो। वह चाहे लखनऊ में हो, बनारस में हो, इलाहाबाद में हो या किसी भी जगह हो, उसे आप किसी भी बड़े शहर में बनायें, लेकिन होना चाहिये। मैं तो कहती हूं कि जो छोटे-छोटे स्कूल खुल रहे हैं उनमें लड़कियों के लिये कंपलसरी एजूकेशन हो। मैंने सुना है कि ऐसा थोड़े से स्कूलों में है, लेकिन अगर आप इसको सारे सूबे में नहीं करते हैं तो यह जो सब हो रहा है यह एक बेकारी को बढ़ाने वाला साधन हो जायगा और इसके अलावा मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता। मैं इसलिये ध्यान दिलाना चाहती हूं कि यह जो विश्वविद्यालय का विधेयक है उसके साथ-साथ ही एक दूसरा विधेयक आप लायें कि फलां जगह लड़कियों का विश्वविद्यालय हम स्थापित करने जा रहे हैं। यह कहती हुई मैं निवेदन खत्म करती हूं।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, जो आज सदन के सामने उपस्थित है, बहुत दिन पहले ही आ जाना चाहिये था। श्रीमन्, इसको सब लोग मानते हैं कि हमारे देश में शिक्षा की बहुत कमी है और इससे पूर्वी जिले अधिक प्रभावित हैं। यह विश्वविद्यालय वहीं खुलने जा रहा है और

इससे नौ जिलों को लाभ होगा। यह जो पूर्वी जिले हैं श्रीमन्, इनकी हालत पिछले चार वर्षों से अच्छी नहीं है, बहुत दयनीय है और वहां के विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हुये भी बाहर कहीं नहीं जा पाते हैं, और ऊंची शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते। सभी पूर्वी जिलों के लोग यह आशा लगाये थे कि सरकार हमारी इस कठिनाई को दूर करेगी और हम लोग किसी न किसी तरह ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। अंग्रेजों के जमाने में भी यह पूर्वी जिले उपेक्षित रहे हैं और वह अनेकों तरह से उपेक्षित रहे हैं और उनकी ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। हर तरह से पिछड़े होने पर भी, अशिक्षित रहने पर भी वह स्वतंत्रता की लड़ाई में सबसे आगे रहा है और जब स्वतंत्र हुये तो पहले से ही वहां की यह एक मांग थी और हमेशा रही कि गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय कायम हो। सौभाग्य से आज वह हमारी मांग पूरी होने जा रही है और उसके लिये गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक इस सदन में प्रस्तुत है। श्रीमन्, बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बिल को फिर से संयुक्त प्रवर समिति में वापस करने के लिये कहा है। यह विधेयक तो प्रवर समिति में जा चुका है और इस पर पूरा विचार हो चुका है और काफी दिनों तक सरकार के विचाराधीन रहा है और विचार होकर और पूरी तरह से गौर और छानबीन करके यह विधेयक सदन के सामने लाया गया है। अब इसको फिर संयुक्त प्रवर समिति में जाने का मतलब यह है कि इसको टाला जा रहा है, डिले किया जा रहा है और फिर यह उन लोगों के दिल पर असर डालेगा कि सरकार उन जिलों की उपेक्षा कर रही है।

श्रीमन्, हमारा यह लक्ष्य है और सदन में बार-बार यह विचार भी आया है कि जैसे और विश्वविद्यालय हैं आगरा विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय और दूसरे में जो शिक्षा-दीक्षा दी जाती है उस विश्वविद्यालय में भी दी जायगी। लेकिन माननीय सदस्य जो इस विधेयक को पढ़े होंगे उनको मालूम होगा कि इस विधेयक में यह बतलाया गया है कि इस तरह की शिक्षा वहां पर दी जायगी जिसमें ग्रामीण लोगों को रोजी मिल सके। वह शिक्षा वहां पर दी जायगी। इस प्रणाली के अनुसार जिस तरह से कि इसमें यह दिया गया है कि इस तरह की शिक्षा को पाकर जो विद्यार्थी वहां से निकलेंगे वह हर तरह से अपनी आर्थिक समस्या को हल कर सकेंगे। इसी भावना से प्रेरित होकर यह विश्वविद्यालय खोला जा रहा है कि गांव के लोगों को जो बाहर जाकर आर्थिक दशा के कारण शिक्षा नहीं पा सकते वह सब वहीं पर अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण वह शिक्षा पाकर अपनी समस्या को हल कर सकेंगे।

श्रीमन्, इन सारी बातों को देखते हुये एक बात और माननीय पद्मनाथ सिंह जी ने कही है कि हमारे पूर्वी जिलों में बाहर के लोग, कर्मचारी जो जाते हैं वह यह बतलाते हैं कि यहां का पानी हमको सूट नहीं करता है और जलवायु अच्छी नहीं लगती है तो इससे वह अपनी तब्दीली चाहते हैं। तो हमारी समझ में नहीं आया कि पूर्वी जिलों की जिस प्रकार से उपेक्षा होती रही और उनको शिक्षित नहीं बनाया गया और बाहर के लोग वहां जाकर काम करते रहें और उनको पानी वहां का सूट नहीं करता रहा यह चाहते हैं कि जब वहां स्थानीय लोगों को शिक्षा मिल जायगी और वह शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो वह लोग वहां रहकर दिलचस्पी से अपने यहां काम कर सकते हैं। इस बात को लेकर उन्होंने विरोध किया है कि विधेयक प्रवर समिति को जाना चाहिये क्योंकि जो लोग वहां जाकर काम करते हैं उनको पानी सूट नहीं करता है और वह काम कैसे करेंगे। इस पर उनको जोर नहीं देना चाहिये। उनको तो इस बात पर जोर देना चाहिये कि जल्द से जल्द यह विधेयक पास हो और जो तकलीफ बाहर के लोगों को वहां पर काम करने में पहुंचती है उनको छुट्टी मिले और अपने यहां के लोग काम कर सकें।

श्रीमन्, २,३ बातें इसमें हैं। मैंने भी इस विधेयक को देखा है। चांसलर को इसमें ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये गये हैं। मैं सरकार का ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूं। इसमें ज्यादा से ज्यादा अधिकार सरकार को कोर्ट को देना चाहिये। दूसरी बात यह है कि कई जगहें ऐसी हैं जिनकी जगह पर निश्चित समय रख दिया गया है। समस्या को सुलझाने के लिये दिन, तारीख, समय अवश्य रक्खा जाय। तीसरी चीज एक और है और वह यह कि कई माननीय

[श्री रामसुभग वर्मा]

सदस्यों ने चर्चा की कि जो एक्जीक्यूटिव के सदस्य बनाये जायेंगे उनमें एक सदस्य राणा प्रताप कालेज का स्थायी रूप से रहेगा। अब इसमें नौ जिले शरीक होते हैं। इन नौ जिलों की संस्थायें इकट्ठा होकर संगठित रूप से काम कर रही हैं। सब लोगों के प्रयास से यह यूनिवर्सिटी आज उस स्थान पर चालू होने जा रही है और उसका बिल सदन के सामने पेश है। इसलिये इसमें सबका अधिकार बराबर है। तो जिस प्रकार राणा प्रताप कालेज का एक आदमी स्थायी रूप से उसमें रक्खा जा रहा है उसी प्रकार हर एक कालेज को अधिकार होगा कि वह मांग करे कि एक आदमी स्थायी रूप से उसका भी रक्खा जाय। उनकी यह मांग उचित भी है। इस तरीके से वहां एक यह समस्या खड़ी हो जायगी। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे क्योंकि हर एक जिला और कालेज यह मांग कर सकता है क्योंकि उन्होंने त्याग किया है, सहयोग किया है। ये सारी बातें होते हुये हमें उन जिलों का भी ध्यान रखना होगा।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन जिलों को इस प्रकार से रक्खा जाय कि कोई कठिनाई न हो और वह विश्वविद्यालय अच्छी प्रकार से चल सके तथा उसमें किसी प्रकार की कोई राजनैतिक कठिनाई उपस्थित न हो जाय किसी प्रकार से हक हकूक का कोई झगड़ा न उठ जाय। इन सारी चीजों पर अच्छी प्रकार से सोच विचार करके विश्वविद्यालय कायम करना चाहिये। जिन लोगों ने विश्वविद्यालय कायम करने में तन-मन से जो साथ दिया है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं तथा आपके द्वारा मैं यह इच्छा प्रकट करता हूं कि जल्दी से जल्दी यह विधेयक पास हो जाय।

*श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--माननीय सभापति जी, जो विधेयक इस सदन में प्रस्तुत है इसका मैं स्वागत करता हूं। हमारे इस प्रदेश में ६ विश्वविद्यालय हैं तथा हमारा प्रदेश भारतवर्ष में सबसे बड़ा है, इसलिये शिक्षा जितनी ही बढ़े उतना ही अच्छा है। इसलिये मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं परन्तु साथ में मैं थोड़े से सुझाव भी देना चाहता हूं। आज हमारी जो शिक्षा हो रही है उसमें क्या कमियां हैं, अगर उन कमियों को यह विश्वविद्यालय दूर कर सके तब तो यह हमारे लिये बहुत लाभदायक होगा। लेकिन अगर उसमें वे कमियां रहती हैं, जो उपस्थित हैं तो मैं समझता हूं अधिक लाभ नहीं होगा।

शिक्षा का ध्येय यह है कि अच्छे नागरिक बन सकें और हमारे प्रदेश और देश के जो रहने वाले हैं उनको हम अच्छा नागरिक बनायें। इसके लिये तीन चार बातों की आवश्यकता है। एक तो यह कि हमारे विद्यार्थियों में साधारण बातों का ज्ञान हो जो आवश्यक विषय हैं जैसे इतिहास है, भूगोल है जो हमारे पुराने बुजुर्ग हो गये हैं, जो हमारे यहां की परिस्थितियां हैं जो बातें हमारे सामने आ रही हैं उन सबका ज्ञान हो। दूसरे इस बात की आवश्यकता है कि उनमें मानवता हो और चरित्र गठन हो और उनमें मानवता के वह गुण विद्यमान हों जिनसे पशु और मानव में अन्तर किया जा सकता है। और साथ ही तीसरे उनमें इस तरह की योग्यता हो कि आज के संसार में जो संघर्ष चल रहे हैं उनमें वे खड़े हो कर अपना जीवन निर्वाह कर सकें और अच्छी तरह से संसार में चल सकें। यह योग्यता उनमें में हो।

लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहां आजकल २ बातों की विशेष कमी है। साधारण ज्ञान तो ठीक है, जो विद्यार्थी हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं उनको ज्ञान तो हो जाता है लेकिन उनमें अनुशासनहीनता है, उच्छृंखलता है और मानवता की कमी है। विश्वविद्यालय की शिक्षा का यह कर्तव्य होना चाहिये कि उनमें गुणों का विकास हो, अनुशासन हो, डिसिप्लिन हो और उनका कैरेक्टर भी अच्छा हो। इसकी बड़ी आवश्यकता है।

दूसरे जिस तरह की शिक्षा आज हमारे यहां हो रही है उससे बेकारी बढ़ रही है और जो लड़के कालेजों में जाते हैं उनके गरीब माता पिता न मालूम किस परिस्थितियों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में रहकर अपने लड़कों को पढ़ाते हैं, अपने तमाम खर्च कम करते हैं और कर्ज लेकर लड़कों को पढ़ाते हैं, लेकिन जब वह पढ़कर जाते हैं तो वह देखते हैं कि लड़का संसार के संघर्ष में चलने के के लिये बिलकुल अयोग्य है। जहां उनके पढ़ाने में सौ दो सौ रुपया मासिक व्यय होता है वहां उनको ६०-७० रुपया मासिक की नौकरी भी मुश्किल से मिलती है और वह इस योग्य भी नहीं होते कि कोई कारोबार भी कर सकें, जो काम घर का चलता होता है उसके भी वह अयोग्य हो जाते हैं और वह खेती और व्यापार के काम के भी नहीं रहते, उनके विचार परिवर्तित हो जाते और वह सोचने लगते हैं कि जैसे और लोग कमा रहे हैं नौकरी कर के, वकालत करके, डाक्टरी करके हम भी उसी तरह से कमायें, लेकिन वह सुभीता उनके सामने नहीं रहता और उनकी शिक्षा ही वैसी होती है। नतीजा यह होता है कि उनके जीवन में निराशा आ जाती है और किसी युवक के जीवन में निराशा ही सबसे बड़ी खराबी है, उनके अन्दर तो उत्साह होना चाहिये और यह भावना होनी चाहिये कि हम आगे बढ़ें और अपने देश और समाज को आगे बढ़ायें और अपने आप भी जीवन संघर्ष में कामयाब हो सकें, उनमें इनिशियेटिव होना चाहिये। आज हमारे यहां इसकी कमी है, इसका नतीजा यह है कि लड़कों को जिस दिशा में जाना चाहिये उसमें वह नहीं जा सकते हैं, उनमें आज भी अनुशासन-हीनता बढ़ रही है। हमारी यूनिवर्सिटीज अगर इस चीज को रोकने में उदासीन रह जाती है तो उससे अधिक लाभ नहीं होगा। पूर्व के नौ जिलों के लिये यह विश्वविद्यालय बन रहा है, वहां इस वक्त भी बहुत बेकारी है और अगर वहाँ यह विश्वविद्यालय कायम हो गया और जीवन निर्वाह के नये तरीके नहीं निकाले गये तो उससे आप बहुत लाभ नहीं पहुंचा सकेंगे, इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि इस विश्वविद्यालय में उस तरह की शिक्षा दी जाय जो अधिक औद्योगिक हो और हमारे यहां के लड़के इस तरह से काम कर सकें जिससे वे दो सौ, ढाई सौ रुपया मासिक आसानी से कमा सकें, जो उद्योग हजार दो हजार लगाकर चलाये जा सकते हैं उनकी शिक्षा लेकर वह अपने जीवन के साधन बना सकें ऐसे उद्योग चाहे वह स्माल स्केल उद्योग ही क्यों न हों उनको सिखाने चाहिये। अगर यह नहीं सिखाया जायगा और आगे वही शिक्षा आर्ट की जो उन स्कूल व कालेजेज में दी जा रही है वहां आपने दी तो मैं आपसे यह कह देना चाहता हूं कि वहां जो हमारे यहां परिस्थिति आज पैदा हो रही है वह वहां और भी खराब हो जायगी।

पूर्व के जिले पश्चिम के जिलों की अपेक्षा ज्यादा गिरे हुये हैं। वहां पर बेरोजगारी भी ज्यादा है। जमीन पर इतना अधिक बोझा है जिसको वह बरदाश्त नहीं कर सकती। इस तरह से वहां इस बात की आशा है कि अगर आप वहां विश्वविद्यालय बना रहे हैं तो वहां के लड़के एम० ए०, बी ए० आर्ट में न निकलें और जिस तरह से आज बेरोजगारी फैल रही है वह और अधिक न फैले और हमारे लड़कों में जो निराशा और अनुशासन हीनता बढ़ रही है वह न होने पावे। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शिक्षा वे चाहे जितनी बढ़ा दें उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि शिक्षा उचित दिशा में हो, गलत दिशा में न हो। आज हमारे भारत को स्वतंत्र हुये करीब-करीब ९ वर्ष हो गये परन्तु इन नौ वर्षों के अन्दर शिक्षा की दिशा में बड़ा भारी अन्तर नहीं हुआ।

इस सदन में भी जो भाजग होते हैं या जो पहले हुये हैं उनसे यह तो साफ स्पष्ट है कि सबका यह विचार है कि शिक्षा हमारी अच्छी नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह विशेषकर कह देना चाहता हूं कि आज जो आप विश्वविद्यालय कायम कर रहे हैं उस विश्वविद्यालय में वह दूषण न हों जो आज तक इन विश्वविद्यालयों में हैं।

मैंने इस विधेयक को पढ़ा है। यह विधेयक उसी तरह बनाया गया है जैसे हमारे अन्य विश्वविद्यालय आगरा या लखनऊ या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनी हैं। इसमें ऐसी बात प्रतीत नहीं होती कि कोई इसमें विशेषता हो या इसमें औद्योगिक शिक्षा के लिये कोई विशेष स्थान रक्खा

[श्री रत्न लाल जैन]

गया हो, परन्तु इसके न होने से यह भी नहीं कहा जा सकता कि इसकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान नहीं है। क्योंकि इसके अन्दर वह सब गुन्जाइश है कि किस-किस तरह की शिक्षा वह दें, किस तरह वहां पर लड़के चरित्र संगठित करें। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इन दो बातों की तरफ ले जाना चाहता हूं। एक तो लड़कों में मानवता, चरित्रगठन उत्पन्न हो और आप उनको इस योग्य बना दें कि कालेज से निकलने के बाद सांसारिक संघर्ष में चल सकें और अपने जीवन का अच्छी प्रकार निर्वाह कर सकें। उनमें वह निराशा की भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिये जो और विश्वविद्यालयों में हो रही है। इन दो बातों की ओर मैं उनका विशेषकर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और साथ में प्रवर समिति के लिये जो संशोधन रखा गया है उसकी मुझे कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इसके अन्दर जो सेक्शन है, जिस प्रकार की उसके अन्दर धारायें हैं वे सब खराब हैं ऐसा मैं नहीं समझता। इसलिये मैं उस संशोधन का विरोध करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री इस्तफा हुसेन (जिला गोरखपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के ऊपर सुबह से बहस हो रही है। मैं इत्तिफाक से सुबह के वक्त मौजूद नहीं था। इस वास्ते कुछ वक्ताओं के वक्तव्य मैं सुन नहीं सका लेकिन मैं अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं। १९५० में गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनाने का सबसे पहले फैसला किया गया। वहां की गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी ने बहुत सा रुपया जमा किया और अपने तई एक विधेयक भी बनाकर गवर्नमेंट के सामने पेश किया और हमारी सरकार ने उस पांडुलेख विधेयक को जांचा और अपनी तरफ से एक सब-कमेटी बनाई जिसमें हमारे आचार्य जुगल किशोर साहब भी थे। उसने गोरखपुर यूनिवर्सिटी में किस तरह से तालीम होनी चाहिये उसको जांचा और अपने तईं एक रिपोर्ट पेश की। उसके बाद से आज तक हम उस उम्मीद में थे कि यूनिवर्सिटी की शक्ल ऐसी पेश की जायगी जो हमारे माननीय पंत जी ने जबकि यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था और कहा था कि हम तो अब ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं जो कि रूरल यूनिवर्सिटी हो। मैं इसको साफ-साफ बता देना चाहता हूं कि कुछ लोग इस गलत फहमी में हैं कि रूरल यूनिवर्सिटी के या तो यह मानी हैं कि वह बिलकुल देहात के अन्दर हो या दूसरी बात यह कि वह यह समझते हैं कि रूरल युनिवर्सिटी में देहाती किस्म की तालीम होती है। देहाती किस्म की तालीम से शायद लोग यह समझ सकते हों कि घटिया किस्म की तालीम, या यह जो कि देहातों में लोग रहते हैं उन्हीं के लायक यह तालीम दिये जाने की मंशा इस रूरल यूनिवर्सिटी की है। लेकिन जो आलोचनाएं हमारे देश में रूरल यूनिवर्सिटीज या रूरल इंस्टीट्यूट्स के सम्बन्ध में की गयी हैं उनसे पता चलता है कि रूरल इंस्टीट्यूट या रूरल यूनिवर्सिटी की शक्ल देने में कोई ऐसी बात नहीं की जानी चाहिये जिससे यह पता चले कि ऐकेडेमिक क्वालिफिकेशन जो मौजूदा यूनिवर्सिटीज में हैं या जो शिक्षा रूरल यूनिवर्सिटी देना चाहती है उसमें कोई अन्तर हो। यानी दोनों का स्तर बराबर का होना चाहिये। अब हमें देखना है कि हमारी केन्द्रीय सरकार ने जो कमेटी बनायी उसने क्या रिपोर्ट दी है और उसके टरम्स (terms) आफ रेफरेंस क्या थे।

हमें अफसोस है कि डाक्टर सीताराम जी ने जब कि इस बिल को इस सदन में पेश किया उन्होंने यह फरमाया कि उस कमेटी में ऐसी शक्ल अपनी रिपोर्ट में पेश नहीं की जिससे साफ-साफ जाहिर हो कि रूरल यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट क्या है। रिपोर्ट के पृष्ट ५७ को देखिये, उसमें कहा गया है कि उस रूरल इंस्टीट्युट की शक्ल क्या होगी। उसमें क्या-क्या खर्च होंगे, कौन-कौन से उस्ताद होंगे, क्या शिक्षा दी जायगी, एक साल के अन्दर कितना खर्चा होगा। समझ में नहीं आता कि इससे ज्यादा तफ़सील और क्या हो जो रूरल इंस्टीट्यूट के चलाने के वास्ते दी जा सकती है। अधिष्ठाता महोदय, उसके जो टर्म्स

आफ रेफरेंस (terms of reference) हैं उसी को पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। उसमें यह साफ-साफ लिखा है कि क्या शक्ल रूरल यूनिवर्सिटी की होनी चाहिये।

"(*c*) to recommend a possible pattern for rural universities with particular reference to:

(i) the aims, organization and content of Higher education in rural areas;

(ii) its relationship to Basic and Secondary education;

(iii) other allied problems."

अब हमें देखना है कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। इसमें शक नहीं कि सफा चार पर प्रिफेस में लिखा गया है--

"We do not by any means wish to suggest that we have drawn a final blueprint for Higher education in rural areas. Much experimentation will be necessary before the Rural Institute suggested by us can take its proper and ultimate shape."

गालिबन इसी से डा० सीताराम साहब ने कहा कि उस कमेटी ने कोई खास शक्ल नहीं बतायी। लेकिन जब वह तफसील में जाते हैं तो साफ पता चलता है कि उनकी मंशा क्या है।

श्री हरगोविन्द सिंह---आप गलत पढ़ रहे हैं। वह रूरल इंस्टीटचूट के लिए है। रूरल यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है।

श्री इस्तफा हुसैन---मैं रूरल इंस्टीटचूट और रूरल यूनिवर्सिटी में फर्क बता दूं। रूरल इंस्टीटचूट्स के बारे में जो यह कमेटी की रिपोर्ट है उसका मतलब यह है कि हर प्रान्त के देहातों के अन्दर ऐसे इंस्टीटचूट्स हों जिनमें कि टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाय। अब उसका क्या राब्ता और सिलसिला रूरल यूनिवर्सिटी से होगा वह बता देना चाहता हूं। मान लीजिये कि गोरखपुर में जो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है उसका जो रूरल इंस्टीटचूट गोरखपुर जिले में हों, उसका क्या वास्ता हो। जब तक देहात के अन्दर ऐसे इंस्टीटचूट्स न होंगे जिनमें तालीम टेक्निकल दी जाय हमारे देहातों की हालत नहीं सुधरेगी। होता क्या है? देहात का जितना जौहर होता है, जो अच्छे लड़के होते हैं वह सब शहर के अन्दर आकर यूनिवर्सिटी या कालेज में पढ़ते हैं। नतीजा यह होता है कि देहात बिलकुल कमजोर होते जाते हैं वहां अच्छे लोग रहते ही नहीं। इत्तफाक ऐसा है कि जमींदारी खत्म होने से अब जमींदार पढ़े लिखे देहात में रहना पसन्द नहीं करते। लेकिन जब ऐसी सूरत होगी कि देहात के अन्दर कोई ऐसी तालीम देने का इन्तजाम नहीं होगा तो सब के सब शहरों के अन्दर आना पसन्द करेंगे और ऐसी हालत में शहरों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ हमेशा के वास्ते रहेगा। और यही वजह है कि जब तक हमारे तालीमयाफ्ता, अच्छी तालीम हासिल करने वाले देहातों के अन्दर नहीं बसेंगे तब तक कोई काम चलने वाला नहीं है। यह मुमकिन कैसे हो सकता है कि देहातों के अन्दर रूरल इंस्टीटचूट की शाखा कैसे बनायी जाय? उसके वास्ते पैसा कहां से आवें? मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास पैसा इतना नहीं है और यह भी बता दिया है कि अभी तक तो शिक्षा की परिभाषा ही मुकम्मिल नहीं हो सकी है कि शिक्षा क्या चीज है। तो ऐसी सूरत में यह रखना कि शिक्षा की परिभाषा ही नहीं मुकम्मिल हो सकती है और हमको शिक्षा प्राप्त करने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिये; ऐसी बात नहीं है। हमको कोशिश जरूर करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मुझे और भी कहना था लेकिन चूंकि अब वक्त कम है इसलिये मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक में जो वाइसचांसलर के चुनाव के बारे में ज्वाइन्ट सेलेक्ट

[श्री इस्तफा हुसैन]

कमेटी ने रिपोर्ट में परिवर्तन किया है वह इस सम्बन्ध में कि वाइसचांसलर का चुनाव फाउन्डेशन सोसायटी पहली बार नहीं करेगी बल्कि गवर्नर साहब खुद कर देंगे। तो मैं इसका विरोध करता हूं। क्योंकि वाइसचांसलर गोरखपुर यूनीवर्सिटी का ऐसा शख्स होना चाहिये जो कि उसके वास्ते अपना तन, मन, धन सब निसार कर सके और जिसको लग्न हो। अगर बाहर से वाइसचांसलर नियुक्त किया गया तो उसे तनख्वाह लेने से मतलब होगा। कुछ लोगों का कहना यह है कि वाइसचांसलर ऐकेडेमिक क्वालिफिकेशन का ही होना चाहिये, जिससे मैं इत्तफाक नहीं करता। क्योंकि वाइसचांसलर आजकल के जमाने में सिर्फ ऐकेडेमिक क्वालिफिकेशन का होने से एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह नहीं कर सकता और आजकल के इंडिसिपलिन को देखते हुये स्टूडेंट्स में यह जरूरी है कि उसको एक अच्छा ऐडमिनिस्ट्रेटर भी होना चाहिये।

दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि इस बिल पर जो ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आयी है उसमें यह परिवर्तन किया है कि राणा प्रताप कालेज की शिक्षा परिषद् का एक नुमाइन्दा मुस्तकिल तौर पर एक्जीक्यूटिव कौन्सिल में रखा जाय क्योंकि उसने रजामन्दी दे दी है के वह कांस्टीटुयेंट कालेज के रूप में शरीक हो जायगा और अपनी सब जायदाद देगा। हमें तो यह एक सौदेबाजी मालूम होती है और आइन्दा के वास्ते मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा खतरा है। मैं गवर्नमेंट को सचेत करता हूं कि इससे होशियार रहना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि जो अफिलियेटेड कालेजेज हैं उनको एम० ए० की तालीम देने का हक नहीं दिया गया है। मैं खास तौर पर ला (Law) के सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं। शिबली कालेज आजमगढ़ के अन्दर ला की तालीम दी जाती है और ला की तालीम हासिल करने के लिये खास तौर पर ऐसे लोग होते हैं जो दफ्तरों में होते हैं वे महरूम हो जायेंगे और जब एम० ए० क्लासेज एफिलियेटेड कालेजेज में नहीं रहेंगे तो उन कालिजों में तालीम का अच्छा स्टैन्डर्ड नहीं होगा। इस वास्ते एम० ए० की तालीम का हक एफिलियेटेड कालेजेज को भी जो गोरखपुर के बाहर हैं उनको भी देना चाहिये।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है उनके प्रति हम अपना हृदय आधार प्रकट करते हैं। श्रीमन् इस यूनीवर्सिटी की बहुत दिनों से आवश्यकता थी जैसा कि आप जानते हैं कि जो ६ जिले उसमें सम्मिलित होंगे इनकी जनसंख्या लगभग डेढ़ करोड़ और २ करोड़ के भीतर होगी। ऐसी हालत में वहां आज जो यह यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है तो हम सोच रहे थे कि जो हमारी सरकार की कल्पना थी और भारतवर्ष में एक दफे इस बात की बड़ी लहर थी कि ग्रामीण यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाय, इसमें भी कुछ संकेत है, लेकिन आज हम नहीं जानते कि हम ग्रामीण शब्द की क्या परिभाषा करें। जब हम देखते हैं कि चारों तरफ हमारे औद्योगिक क्रान्ति हो रही है और आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में भू-भार १,००५ व्यक्ति प्रति वर्गमील है; हमारे यहां के मजदूर सम्भवतः सारे भारतवर्ष में जाते हैं, तो आज आवश्यकता है कि हम ऐसी शिक्षा दें कि हमारे जो मजदूर हों वह स्किल्ड लेबरर हों; उनमें एक इस तरह से प्राविधिक शिक्षा हो, लेकिन थोड़ी ही देर में हमारा ध्यान इधर भी जाता है कि महात्मा गांधी जब राउन्ड टेबिल कांफ्रेंस में गये थे तो वहां उन्होंने एक वाक्य कहा था कि मैं अपने अनुभव से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बहुत सी किताबों को पढ़कर के परीक्षायें पास कर लेना केवल शिक्षा नहीं है बल्कि चरित्र निर्माण वास्तविक शिक्षा है। इसी तरह से मैं नहीं जानता कि आज अगर हम हेल्थी प्रिसीडेंस कायम नहीं करेंगे इस यूनिवर्सिटी के स्थापित करते वक्त तो आगे चलकर क्या-क्या समस्यायें सामने होंगी। यह सही है कि आज हम लोग शिक्षा एक भौतिक चीज को मानने लगे हैं। लेकिन यह भौतिक परिज्ञान जो है यह साधन है, यह वास्तविक शिक्षा नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारी शिक्षा का तो उद्देश्य बनाया गया था 'सा विद्या या विमुक्तये'। आज, श्रीमन्, कैसे हम इस तरफ जायेंगे ? और इस यूनिवर्सिटी के द्वारा जहां तक कि उसमें यह आया है फाउन्डेशन सोसाइटी के बारे में यह मैं जानता हूं कि जब कि सोशलाइजेशन और नेशनलाइजेशन का नारा चल रहा है, बहुत सी चीजों के जो उद्योग स्थापित हैं उनको अपने हाथ में हम ले रहे हैं तो उस हालत में अगर हमने वहां पैसा इकट्ठा किया तो इसलिये नहीं कि उस पर हमारा अपना आधिपत्य रहे बल्कि इसलिये कि हमने वह सर्वसाधारण के लिये उनके हित के लिये वह इकट्ठा किया था। अगर हमने मौलेसेज से बहुत सारा पैसा लिया तो इसके माने यह तो नहीं कि वह मिलओनर्स का अधिकार उस पर हो। इसलिये मैं जानता हूं कि आज बहुत सतर्कता की आवश्यकता है वाइसचांसलर के चुनाव में। वह इन टर्म्स आफ नेशन सोचता हो और उसकी ईमानदारी ऊंचे दर्जे की हो, वह इसमें रुचि रखता हो और जैसा कि आप जानते हैं पूर्वी जिले पिछड़े हुये हैं और वहां जातीयता और छोटी-छोटी और बहुत सी बातें हैं ; इन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे तो हम समझते हैं कि हम उसकी स्थापना एक अच्छी तरह से कर सकेंगे और एक अच्छा प्रेसिडेंस अगर हमने कायम किया तो दूसरे खराब भी आ करके उसको जल्दी बिगाड़ नहीं सकेंगे।

श्रीमन्, हमारी औद्योगिक शिक्षा के सम्बन्ध में आप जानते हैं कि रिहन्ड डैम का कार्य हो रहा है पूर्वी जिलों में और वह जल्द ही आने वाला है। इसलिये ऐसी शिक्षा देने की आवश्यकता है जिसका उपयोग हो सके। हम यह नहीं कहते कि आप उसे साहित्यिक यूनिवर्सिटी बना दें जिससे फैशनेबिल बेकार पैदा हों। हम तो यह चाहते हैं कि ऐसे लोग तैयार हों जिनके हाथ मजबूत हों, ऐसे लोगों की आज भारतवर्ष में आवश्यकता है। अगर इस तरह की यूनिवर्सिटी हमने बनायी और इस तरह से प्रयास किया तो हमारा यह प्रयास सफल होगा। जैसा कि कहा गया कि आगरा यूनिवर्सिटी के भार को भी कम करना है, यह अच्छा है और जो सारी बहुत सी चीजें वहां चल रही हैं राणाप्रताप कालेज के सम्बन्ध में और दूसरी चीजों के सम्बन्ध में हमारे और मित्रों ने कहा है, सरकार को इन सब चीजों में उसी दृष्टिकोण से काम करना है।

शिक्षा का बहुत ही उच्च विषय है और वह किसी पालिटिक्स में इन्वाल्व न हो जाय जिससे उसकी गति किसी खराब दिशा की ओर चली जाय। इस तरह से, श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है कि उस सम्बन्ध में प्रवर समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वह विचार करने की चीजें हैं और जो उसने चांसलर को अधिकार दिया है इस दृष्टि से मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि अगर उसमें अधिक देर की जायगी तो एक वर्ष और लग जायगा। इसलिये इन चीजों की तरफ से थोड़ा बहुत हम सतर्क रहेंगे तो अधिक अच्छा होगा। यह आपकी जो यूनिवर्सिटी है यह आपके आज के विचारों के अनुसार है, आप अपने आज के विचारों के अनुसार इस चीज को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके पहले जो यूनिवर्सिटियां थी उसमें आप अपने विचारों का योगदान नहीं दे पाते थे। यदि आज को यह कहा जायगा कि क्या यह आपकी कल्पना की यूनिवर्सिटी है, किस तरह से समझते हैं कि जो हमारे देश को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति है उसमें यह सहायक होगी और भी जो अन्य सवाल है, जैसी मजदूरी मिलती है और जो आर्थिक व्यवस्था है उससे संबंधित सवाल है, उनका कोई हल निकलेगा, तो मैं कहूंगा कि वह ग्रामीण यूनिवर्सिटी नहीं कही जा सकती। यह गलत है कि हम सिर्फ टोकरी बना करके या छोटे-मोटे उद्योग स्थापित करके इस समस्या को हल कर सकते हैं। जिन चीजों का हमारा देश मोहताज है कि आज करोड़ों और अरबों रुपया देकर हमें दूसरों पर निर्भर करना पड़ता है तो यदि हमने वहां से विशेषज्ञ और निष्णात पैदा किये तो हमारा उद्देश्य सफल होगा।

जहां तक वाइसचांसलर के सम्बन्ध में बात है तो उस सम्बन्ध में सरकार की बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है और सरकार यह नहीं कह सकती कि उसकी अपेक्षा इस सम्बन्ध में न की जाय। सरकार हमको खाना दे, वस्त्र दे, सरकार की जिम्मेदारी है कि स्वस्थ शिक्षा का रूप भी स्थापित करे। इसीलिये सरकार को लोकतंत्रीय कहा जाता है। जिस तरह

[श्री रामजी सहाय]

से नवजात शिशु को सहारे और प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, यदि कह दिया जाय कि उसको मां की आवश्यकता नहीं है तो बच्चा मर जायगा। यदि नहीं मरेगा तो आवारे की तरह से हो जायगा। इसलिये नियंत्रण की आवश्यकता है। मैं इस विषय पर बोलने के लिये प्रस्तुत नहीं था, लेकिन जो गति इस दिशा में देख रहा था उसको देख कर मुझे इस ओर संकेत कर देना आवश्यक हो गया। मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो बिल हमारे सामने उपस्थित है उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इस यूनिवर्सिटी के खुलने से जो कुछ जिलों के अन्दर काफी एक क्रांति पैदा हुयी उससे यहां के लोगों के रहन-सहन और विचारशैली में काफी अन्तर आने वाला है, लेकिन जब यह यूनिवर्सिटी खुलने वाली थी तो हम समझते थे कि आज इस प्लानिंग के जमाने में जबकि हमें समाजवादी ढांचे की व्यवस्था कायम करनी चाहिये थी तो यह किसी नयी प्रणाली की यूनिवर्सिटी होगी जिसमें आर्थिक व्यवस्था और इसका ढांचा दूसरा चलेगा और हमें शायद ऐसा रास्ता मिले जिससे हम निःशुल्क शिक्षा या स्वावलंबी शिक्षा की तरफ आगे बढ़ सकें। आज जो बिल हमारे सामने है, उसके सम्बन्ध में उद्देश्य में यह कहा गया है कि उसका अभिप्राय एक ग्रामीण स्वरूप देना था, लेकिन उसकी कोई निश्चित रूपरेखा हमारे सामने नहीं है। फिर भी यह कहा गया है कि यह विश्वविद्यालय पूर्वी जिलों में इसलिये खोला जा रहा है कि वहां के आर्थिक साधनों और समस्याओं के अनुरूप इसको किया जा सके। अगर वहां आर्थिक साधनों और वहां की समस्याओं के अनुरूप पर हम विचार करें तो हमारी शिक्षा पद्धति बड़ी मंहगी है और बड़ी खर्चीली है। हम समझते हैं कि पूर्वी जिलों के निवासी बहुत गरीब हैं।

आज शिक्षा विभाग की तरफ से जो मूल्य आंका जाता है उसमें एक अनट्रेंड अध्यापक आम तौर से ८० रुपये वेतन का अधिकारी है। जो १४ वर्ष अपनी शिक्षा में व्यय करता है और १०,००० रुपया पढ़ाई में लगाता है। क्या सरकार को इतनी मंहगी शिक्षा हम दिला सकते हैं? अब यह सोचने की बात है कि आज जबकि हम समाजवादी आर्थिक व्यवस्था की कल्पना करते हैं तो हम शिक्षा पद्धति को सस्ती करने की बात भी सोच सकते हैं। हमें चाहिये कि यहां सारे प्रदेश में जो अध्यापक हों, रिटायर्ड हों और अवैतनिक काम कर सकें या संन्यासी लोगों में से हों, ऐसे लोग जो ५५ साल की आयु में रिटायर होने के बाद ४-५ वर्ष का समय और दे सकते हों उनके सहयोग से हम यूनिवर्सिटी के खर्चे को कम करके निःशुल्क शिक्षा की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आनरेरी अध्यापक की तरफ से ऐसे व्यक्ति काम करें और ऐसा स्टाफ काफी हम यूनिवर्सिटी के लिये ले सकते हैं तो निःशुल्क शिक्षा की ओर हम बढ़ सकेंगे। अगर आनरेरी तरीके से न करें तो भी कुछ आनरेरियम देकर उनसे कुछ काम लिया जा सकता है। तो यह तो शिक्षा निःशुल्क बनाने की तरफ एक कदम हो सकता था, लेकिन जिस तरह से कुछ मित्रों ने कहा कि यह परीक्षा लेने वाली यूनिवर्सिटी होनी चाहिये या पढ़ानेवाली होनी चाहिये; हम समझते हैं कि केवल परीक्षा लेनेवाली यूनिवर्सिटी कायम करना बेकारों की संख्या में वृद्धि करना है। इसलिये यूनिवर्सिटी तो ऐसी खोलना चाहिये जिनमें पढ़ाई की व्यवस्था हो और पढ़ाई की व्यवस्था भी ऐसी जिसमें औद्योगिक शिक्षा की तरफ ध्यान हो, जिसमें टेक्निकल शिक्षा की तरफ ध्यान हो, जिसमें साइंटिफिक सबजेक्ट्स की शिक्षा दी जाय। इस तरह से अगर टेक्निकल शिक्षा की तरफ हम आगे नहीं बढ़ते हैं और केवल परीक्षा लेने वाली संस्थायें स्थापित करते हैं तो वे निश्चय ही बेकारों की संख्या में वृद्धि करेंगे और वे अपनी कोई अधिक उपयोगिता नहीं साबित कर सकेंगे। इसलिये यह जो विश्वविद्यालय हो सरकार उनमें टेक्निकल शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान देगी और उस पर ज्यादा पैसा व्यय करेगी। कृषि हमारे प्रदेश के गांवों का सबसे बड़ा रोजगार है। कृषि की शिक्षा कृषि विश्वविद्यालयों के जरिये से विशेष रूप से मिलनी चाहिये और यह शिक्षा इतनी व्यावहारिक होनी चाहिये जिसका कि लाभ गांव-गांव

में लोग उठा सकें। इसी तरीके से और भी बहुत से विषय हैं जो वहां पढ़ाये जाने चाहिये और जो हमारी आवश्यताओं के अनुरूप हों। हम समझते हैं कि हमें इन विश्वविद्यालयों को एक ऐसा मोड़ देना चाहिये कि हम इन विश्वविद्यालयों को अधिक स्वावलम्बी बना सकें। हम देख रहे हैं कि हमारे सामने एक अवैतनिक वाइसचांसलर का नमूना है ।

पंडित मदनमोहन जी मालवीय बनारस विश्वविद्यालय के वाइसचांसलर के रूप में काम किया करते थे। आज भी ऐसे विद्वान् और अध्यापक हमारे प्रदेश में मिलेंगे; ऐसी हमें पूरी आशा है क्योंकि हमारे प्रदेश में ऐसे अध्यापकों की, ऐसे शिक्षाविदों की, ऐसे विद्वानों की कमी नहीं है। इसलिए हमारी जो शिक्षा है वह निःशुल्क और सस्ती होनी चाहिये और व्यावहारिक होनी चाहिये और इसके लिये आवश्यक है कि हमारे अध्यापक ४० वर्ष से कम आयु के नहीं होने चाहिये। और इस प्रकार हमें एक नई परम्परा विश्वविद्यालय में कायम करनी चाहिये ।

हमारे विश्वविद्यालयों के अन्दर जो अनुशासन सम्बन्धी शिकायतें हैं जो और दूसरी शिकायतें हैं उन सबको दूर करने के लिये आवश्यक है कि बहुत ही पकी हुयी उम्र के अध्यापक वहां रखें जायं। प्राचीनकाल में जो हमारे वहां शिक्षा की प्रणाली थी उसमें वहां के अध्यापकों को कोई वेतन नहीं दिया जाता था और हमारे विश्वविद्यालय के अध्यापक स्वावलम्बी हुआ करते थे और उनकी त्याग और तपस्या का इतना प्रभाव रहता था कि उनके कारण प्रचुर धन मिला करता था और वे संस्थायें चला करती थीं। आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिन्हें यदि मालूम हो जाय कि ऐसा विश्वविद्यालय है जहां निःशुल्क शिक्षा होती है और विश्वविद्यालय की तरफ से भोजन भी वहां के विद्यार्थियों को दिया जाता है तो मैं समझता हूं कि देश में बहुत अधिक धन प्राप्त हो सकता है और यह भारतीय परम्परा की एक बहुत ही बड़ी देन है और ऐसे धनीमानी सज्जन यहां पर हैं जिन्हें यदि यह ज्ञात हो जाय कि वहां पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और उनको भोजन भी निःशुल्क विश्वविद्यालय की तरफ से दिया जाता है तो हम समझते हैं कि अपार धन उनकी तरफ से प्राप्त हो सकता है। हम समझते हैं कि इस नये दृष्टिकोण को अपन कर हम विश्वविद्यालय का एक नये तरीके का प्रदर्शन कर सकते हैं और पूर्वी जिलों में जहां गरीबी बहुत ज्यादा है और बेकारी भी जहां काफी संख्या में है वहां पर टेक्निकल ट्रेनिंग के जरिये से अपने देश और प्रान्त का अधिक उपकार कर सकते हैं।

इसके साथ ही साथ जो यह पहला विधेयक है जो हिन्दी भाषा के जरिये से हमारे सामने उपस्थित किया गया है। अभी तक जितने विधेयक उपस्थित किये गये हैं वे सब अंग्रेजी भाषा में हुये थे। आज यह पहला विधेयक है जो कि हिन्दी भाषा के माध्यम में उपस्थित किया गया है। हम आशा करते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के अन्दर सारा कारबार हिन्दी के जरिये से होगा और वहां की शिक्षा का माध्यम भी हिन्दी ही रहेगा। हमारे माननीय मंत्री जी ने एक नई धारा प्रवर्तित की है और यह विधेयक एक अपूर्व चीज है। हमें आशा है कि अंग्रेजी का टाइपराइटर वहां नहीं पहुंचेगा और वहां का सारा काम नये वातावरण में नये ढंग से संचालित किया जायगा जिससे वहां की परिस्थिति के अन्दर विशेष परिवर्तन हो और देश और समाज का उपकार हो ।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, लगभग छः वर्ष की बौद्धिक पीड़ा के पश्चात् माननीय शिक्षा मंत्री के दिमागी गर्भ से जो गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक उत्पन्न हुआ है वह केवल एक क्रिपिल्ड है, यानी सब तरह से कमजोर है। हमें बहुत दिनों से आशा थी और विशेषकर पूर्वी जिलों से आनेवाले भाइयों को कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना शीघ्र होगी और साथ ही साथ यह आशा थी कि ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण समस्याओं को हल करने वाला विधेयक वह प्रस्तुत करेंगे और उसके द्वारा ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना हो सकेगी जिसके द्वारा विशेषकर वहां की ग्रामीण समस्याओं को हल किया जा सकेगा। इस विषय पर हमारे बहुत से साथियों ने प्रकाश डाला है। आखिर माननीय

[श्री तेजप्रताप सिंह]

शिक्षा मंत्री जी ने अपने कार्यकाल में लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और आगरा विश्वविद्यालय के अधिनियमों पर संशोधन लाकर वहां की आटोनामी पर कुठाराघात किया ही है और उनको भी क्रिपिल बनाया है । उसी रूप से जो यह विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है उसके द्वारा जो गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना होगी वह भी करीब-करीब उसी रूप की होगी । हमें आशा तो यह थी, जैसा कि हमारे और भी साथियों ने कहा, कि हमारी रूरल प्राब्लेम्स को यह विश्वविद्यालय एड्रेस करेगा । मगर जब हम यह, कहते हैं कि ग्रामीण स्तर की यह रूरल यूनिवर्सिटी होनी चाहिये तो इसके पीछे क्या तर्क है ? आप जानते हैं कि हमारा यह प्रदेश करीब-करीब एक लाख ग्रामों में बसा हुआ है और जब तक हम इन ग्रामों की हालत सुव्यवस्थित नहीं करते हैं, उनकी स्थिति को ठीक नहीं करते हैं तब तक वास्तविक रूप में हमारा प्रदेश उन्नति नहीं कर सकता ।

आज आप देखते हैं कि जो भी शिक्षा मिलती है उसके द्वारा निकला हुआ विद्यार्थी बराबर शहरों की ओर झपटा चला जाता है और जब हम इस दृष्टि से देखें कि हमने अपने संविधान द्वारा अपने को एक डेमोक्रेसी करार दिया है तब तो और भी आवश्यकता इस बात की होती है कि हमें इस प्रजातांत्रिक प्रणाली को सफल बनाने के लिये रूरल पापुलेशन को शिक्षित तथा रूरल प्राब्लेम्स का समाधान करने की कोशिश करना चाहिये और यह शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है । शिक्षा किस प्रकार की हो इस पर जब तक हम गम्भीरता से विचार नहीं करते हैं तब तक उन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं और न हो अपने देश और प्रदेश की तरक्की कर सकते हैं । अब जबकि हम डेमोक्रेसी को सफल बनाना चाहते हैं और यह जानते हैं कि हमारे प्रदेश में ग्रामीण भाई एक लाख गांवों में रहते हैं, ७०, ८० फीसदी की तादाद में ग्रामों में लोग रहते हैं तब हमारे लिये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि उनकी उपेक्षा हम न करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी एजूकेशन कमीशन की रिपोर्ट में ५६० पेज पर यह कहा गया है कि:

"While democracy requires well qualified men and women in posts of importance and authority yet Government by and for the people requires also that fine resources of culture, leadership and wisdom shall be maintained with good distribution throughout the population."

यानी कल्चर, समाज में, जनसमुदाय में इविनली डिस्ट्रिब्युटेड हो । ऐसा न हो कि शहरों में ही हम शिक्षित जनसमुदाय को पायें या एक खास ग्रुप इम्पार्टेन्ट पोजीशंस में हो । अगर ऐसा होता है तो हमारी डेमोक्रेसी फेल कर जायगी । उसी रिपोर्ट में एक जगह यह भी कहा है कि:

"The chief issue is not where people come from to get education, but where they go with their education."

आज आप देखते हैं कि पढ़ लिखकर लड़के नौकरी की तलाश में आते हैं । या तो वह गवर्नमेंट सर्विस की तलाश में रहते हैं या फिर प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स के पास जाते हैं । वह चाहते हैं कि बिजली के पंखे की हवा में कार्य करें और है भी ठीक जब कि उन्होंने १४-१५ साल बिजली के पंखे की हवा में बिताये हैं जैसी कि आपकी शिक्षा की व्यवस्था है तो वह लोग गांवों में क्यों जाने लगे और जब तक शिक्षित समाज गांवों से दूर भागेगा तब तक गांवों की उन्नति नहीं हो सकती है और न वहां के लोग किसी चीज को भली प्रकार समझ ही सकते हैं और जब तक गांवों में उन्नति नहीं होती है तब तक आपकी डेमोक्रेसी सफल कैसे हो सकती है ?

इसलिये हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत थी कि रूरल प्राबलम्स की ओर इस विश्वविद्यालय के जरिये ध्यान दिया जाय । आप ऐसे सब्जेक्ट्स की व्यवस्था करें जिनका सम्बन्ध रूरल एरिया से हो । आप देखते हैं कि हमारे यहां गोरखपुर के आस-पास बाढ़ बराबर हर साल आती है । इसलिये आप यहां वाटर कंट्रोल इंजीनियरिंग की व्यवस्था कर सकते हैं । वहां

के निकले हुये स्नातक इस प्राबलम को हल करने में सहायक हो सकते हैं। लेकिन आप इसकी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। टेम्परेचर कंट्रोल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को आप ला सकते हैं। इसके अलावा हमारी ट्रोपीकल कंट्री है इसलिये सोलर इनर्जी का उपयोग कैसे कर सकते हैं इस पर आप सब्जेक्ट रख सकते हैं। इस प्रकार से अन्य बहुत से विषय हैं जिनका आप प्रबंध कर सकते हैं; फल और सब्जी को हम रख नहीं पाते हैं और वे नष्ट हो जाते हैं। उसकी व्यवस्था आप कर सकते हैं। इस तरह से आप गांवों की तरक्की कर सकते हैं लेकिन आपने इधर ध्यान नहीं दिया। जो एजूकेशन का ढर्रा चला हुआ है उसी का नमूना इसको बनाने की कोशिश की है। इससे कुछ हित नहीं होने वाला है।

मैं चाहता हूं कि जब भी संशोधन आये आप उस पर विचार करें। श्री जोरावर जी वर्मा ने जो संशोधन रखा है उसको आप स्वीकार करलें ताकि अच्छी तरह से इस पर विचार हो सके। आपने जो एडमिनिस्ट्रेशन का रूप रखा है वह करीब-करीब वही है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में रखा था; एक फर्क है जो वाइसचांसलर के चुनाव के बारे में है। लेकिन चांसलर के लिये जो विधान रखा है वह वैसा ही है। बावजूद इसके कि राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट ने जोर दिया है कि चांसलर प्रायः गवर्नर नहीं होने चाहिये जहां एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हों। लेकिन फिर भी आपने ऐसा ही प्राविजन रखा है। आखिर जितनी यूनिवर्सिटीज बढ़ती जायंगी सबका आप चांसलर गवर्नर को ही बनायेंगे तो कहां तक वह समय दे सकेंगे, इनको तरक्की के लिये सलाह दे सकेंगे और इनको गाइड कर सकेंगे? इसलिये इस पर फिर से विचार होना चाहिये। वाइसचांसलर के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय के फारमूले को आप मानते हैं। लेकिन इसके रूप को भी आपने बदल दिया है और मैं समझता हूं कि वह परिवर्तन खराबी की ओर ही है। वैसे तो आप इस बात के आदी हो गये हैं कि जो भी मशिवरा एक्सपर्ट्स दें उसमें जरूर आप कुछन कुछ परिवर्तन किया करते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी निकले। इसलिये इसमें भी आपने परिवर्तन कर दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो कमेटी बनायी जाती है वह तीन आदमियों की होती है और वह एक्जीक्यूटिव कौंसिल को सिफारिश भेजती है और वह सर्व सम्मति से अथवा बहुमत से चांसलर के पास अपनी सिफारिश भेज सकती है। लेकिन आपने ऐसा नहीं रखा है और एक्जीक्यूटिव कौंसिल की सिफारिश निकाल दिया है। दिल्ली में ऐसा है कि जब एक्जीक्यूटिव कौंसिल के पास रिफर करेंगे तब वह अपनी रिकमंडेशन दे सकती है और तब चांसलर के पास आयगी। दूसरे यह जो धारा १३ आपने रखी है वाइसचांसलर के बारे में उसकी उपधारायें ५ से ९ तक आखिर क्या बतलाती हैं? ५ से ९ तक की उपधारायें आपने अनुशासन के सम्बन्ध में रखी हैं। आखिर वाइसचांसलर को आप इतनी पावर्स क्यों दे रहे हैं? इसकी क्या आवश्यकता है? आप किसी भी अध्यापक को विश्वविद्यालय के स्वतंत्र रूप से रहने देना नहीं चाहते हैं; आप चाहते हैं वह हमेशा इस डर में बना रहे कि वाइस-चांसलर जब भी चाहे डिसप्लिनरी ऐक्शन उसके खिलाफ शुरू कर सकता है। अभी आप देखते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्टैट्यूट्स बने। पहले उनके लिये यहां संकेत किया गया था कि स्टैट्यूट्स बनने के बाद वह सदन के सामने रखे जाने चाहिये लेकिन आपने उसको नहीं माना। उन्होंने उसमें कोर्ट की सलाह भी नहीं ली। अभी उसकी प्रोसीडिंग्स निकली थीं जिनसे मालूम हुआ कि टीचर्स में असंतोष है और इस प्रकार उसमें काफी घपला हुआ है। तो कम से कम इधर तो आप उन बातों का जरा ख्याल रखें। आप इन सब बातों का ख्याल नहीं कर रहे हैं। आप वाइसचांसलर को इतनी शक्ति दे रहे हैं कि वह जैसे चाहे टीचर्स को पैनालाइज कर सके जबकि आपने यह विधान रखा है कि टीचर्स व अन्य अफसरों के साथ एक रिटेन कांट्रेक्ट होगा और अगर कोई शिकायत की बात होगी तो एक ट्राइब्युनल बना हुआ है वह ट्राइब्युनल जो भी सजा देगा वह सबको माननीय होगा। लेकिन यह व्यवस्था होते हुये भी आपने धारा १३ के मातहत ५ से ९ तक उपधारायें रखी हैं। मैं समझता हूं कि इन को डिलीट कर देना चाहिये और तभी कोई विश्वविद्यालय स्वतंत्र वातावरण में पनप सकता है और आगे बढ़ सकता है। बिना टीचर्स के सहयोग के यह काम नहीं चल सकता है लेकिन उसके बाद भी, यह समझते हुये भी आपने यह रिऐक्शनरी धारायें रखी हैं और आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आदि में हुये अनुभव से शिक्षा नहीं ली।

[श्री तेजप्रताप सिंह]

ट्रेजरार को भी आपने इतनी ज्यादा पावर्स दे रखी हैं कि जो नहीं देना चाहिये। किसी भी खर्च को वह बन्द कर सकता है। आखिर एक्जीक्यूटिव कौंसिल किस लिये है? उसको एक्जीक्यूटिव कौंसिल के मातहत ही काम करना चाहिये। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का (संशोधन) विधेयक पेश हुआ था उसमें इस बात से गाइड हो कर कि किसी व्यक्ति विशेष के लिये सारे अधिकार और प्राविजन रखना है आप यहां भी वैसा करना चाहते हैं। आप लखनऊ में ही पावर्स देकर संतोष कर लेते और बाकी को बख्श देते, लेकिन आपने वही सब रखा है। इस तरह से मैं समझता हूं कि डुएल अथारिटी विश्वविद्यालय में रहेगी और सुचारु रूप से वहां काम नहीं चल पायेगा। तो मैं इन शब्दों के साथ माननीय जोरावर जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इसको पुनः प्रवर समिति में भेज कर आप ग्रामीण भाइयों के हितों पर अच्छी तरह से विचार कर सकेंगे।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर) माननीय सभापति महोदय, मैं जयपाल सिंह जी द्वारा रखे गये संशोधन का समर्थन करता हूं। वस्तुतः जहां तक गोरखपुर विश्वविद्यालय के बनने की बात है अब से चार साल पहले तक से उसके विषय में जो हम लोगों की कल्पनायें और धारणायें रहीं हैं वह यह थीं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय हमारे प्रदेश का ही नहीं, बल्कि समस्त भारतवर्ष के लिये एक ऐसी कल्पना लेकर आयेगा कि जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद में जो विचार देश के अन्दर फैल रहा था वह यह था कि हमें अपने विद्यार्थियों को यदि अच्छी तरह से तैयार करना है, यदि देश को आगे बढ़ाना है तो इस शहरी वातावरण से और इस मैकाले की शिक्षा नीति से उनको आजाद करना होगा। नई शिक्षा की नीति जो सही तौर पर उनके लिये उपयोगी हो सके उसके लिये उन्होंने ग्रामीण विश्वविद्यालय की कल्पना की और उस कल्पना के आधार पर यह ख्याल करते थे, और गांधी जी यह ख्याल किया करते थे, कि देश के उपयुक्त ऐसी एजूकेशन हो जिससे मनुष्य के जीवन का विकास होगा और जिसके आधार पर मनुष्य विकसित होता चला जाय। जिस प्रकार से आजकल यूनिवर्सिटी एजूकेशन दी जाती है वह जीवन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। किसी भी क्षेत्र में जाकर जब नवयुवक बैठते हैं तो वह नाकामयाब रहते हैं। सिवाय नौकरी करने के या क्लर्की करने के और दूसरा काम वह नहीं कर सकते हैं। अगर वह क्लर्की न करें तो फिर भीख मांगने के अलावा उनके सामने और कोई चाराकार नहीं है। जिस प्रकार से हमारे यहां नवयुवक यूनिवर्सिटी से निकलते हैं और एम० ए० और बी० ए० पास करके चले जाते हैं तब उनके सामने सवाल नौकरी का ही रहता है सरकार उनको तकावी देती है, रुपया उनको देती है कि तुम उद्योग-धंधे शुरू करो और अपनी मर्जी के अनुसार छोटे-मोटे उद्योग शुरू करो और साथ ही उनको शिक्षा उद्योग की देने की भी बात कही जाती है लेकिन इस प्रोत्साहन और रुपये की सहायता करने के बावजूद भी उनकी कठिनाई हल नहीं होती। जो बात हमारे सामने और जो प्रश्न हमारे सामने रहता है बावजूद उनकी मदद करने के और बावजूद उनके लिये छोटी इंडस्ट्री शुरू करने के वह आर्थिक समस्या का प्रश्न रहता है।

हमारे नवयुवक जब यूनिवर्सिटी से एम० ए० पास करके निकलते हैं तो वे किसी भी क्षेत्र में जाने के लिये तैयार नहीं होते हैं। जो क्षेत्र उनको पसन्द है वह या तो नौकरी का क्षेत्र है या जैसा कि एक इंगलिश राइटर ने कहा था कि :

"A bachelor of art in India is a bachelor of art who learns the art of starvation at the cost of his parents."

कहने का मतलब यह है कि आज का नवयुवक वह नवयुवक है जो माता पिता के श्रम पर भूखों मरने की कला सीखता है। तो वस्तुस्थिति यह है कि आज की शिक्षा यह भूखों मारने

वाली शिक्षा है। यदि हम भूखे मारने वाली शिक्षा के लिये मां बाप का रुपया अपव्यय करें तो फिर उस शिक्षा की कीमत हमारे देश के लिये क्या रह जाती है ? मैं कल एक रिक्शा पर बैठा जा रहा था। उसी पर लखनऊ यूनिवर्सिटी का एम०ए०एल०एल०बी० पास लड़का भी जा रहा था। मैंने उनसे पूछा कि कहां पढ़ते हो, क्या करते हो। तो उसने बतलाया कि मैं एल०एल०बी० पास हूं। मुझको नौकरी दिलवाइये। मैंने उनसे पूछा कि बतलाइये कि क्या काम करोगे उसने बताया कि कोई नौकरी दिलवाइये मैंने उनसे कहा कि तुम तो वकालत पास हो तो वकालत क्यों नहीं करते। और अगर वकालत नहीं करते तो जो रास्ते सब लोगों के लिये खुले हुये हैं वही तुम्हारे लिये भी खुले हुये हैं। अब आप देखिये कि अगर इस प्रकार सौ लड़के भी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलें और उनको नौकरी के लिये इस प्रकार से दौड़ना पड़े और फिर भी उनको काम न मिले तो फिर देश को इनसे क्या लाभ हो सकता है। जो आप यह गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं या जो पहले से बनी हुयी है आगरा, इलाहाबाद और लखनऊ जहां से इस प्रकार से नवयुवक नौकरी के लिये पढ़कर निकलते चले आते हैं अगर यही प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार रहता है कि उनके लिये हम रोटी कपड़े का प्रबंध करें तो इस शिक्षा से क्या लाभ देश का होगा ? जिस प्रकार की शिक्षा आज हमारे यहां दी जा रही है वह वस्तुस्थिति के बिलकुल विपरीत है। हम समझते हैं, हमारे शिक्षा शास्त्रियों के सामने और देश के विद्वानों के सामने यह प्रश्न है पिछले दिनों हमारे शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद ने देश के शिक्षा शास्त्रियों के सामने वह प्रश्न रखा कि उनको बतलायें कि देश की शिक्षा कैसी और क्या होनी चाहिये। जितने विद्वान् थे उन्होंने अपने विचार प्रकट किये। कोई कहता है कि शिक्षा संस्कृत में होनी चाहिये, कोई कहता है कि उद्योग धंधों की शिक्षा होनी चाहिये, कोई कहता है कि साइन्स की शिक्षा होनी चाहिये और कोई कहता है कि इस शिक्षा पद्धति को फौरन हटा दीजिये। मुन्डे-मुन्डे मतिर्भिन्ना। हम समझते हैं कि हम सब कन्फ्यूजन में हैं कि शिक्षा हमारे यहां किस प्रकार की होनी चाहिये। इस चैलेंज को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता है कि हमारे देश की शिक्षा कैसी होनी चाहिये। एक अमेरिकन राइटर की मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें शिक्षा के विषय में उसने बताया था कि शिक्षा की प्लानिंग होनी चाहिये और वह प्लानिंग आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिये। अगर आप समझते हैं कि हम किसी रोजगार में ५० या १०० आदमियों को खपा सकते हैं तो उसमें उतने ही आदमियों को शिक्षा देने का प्रबंध करना चाहिये। लेकिन यहां हो यह रहा है कि एक ओर हम कह रहे हैं कि हमारा उत्पादन गिर रहा है हमें इंडस्ट्रीज का विकास करना चाहिये, दूसरी ओर हम कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है उसमें इसकी उन्नति के लिये प्रयत्न करना चाहिये। कहने का मेरा मतलब यह है कि हमें अपनी एक प्लानिंग बनानी चाहिये और उसी के अनुसार हमें अपने नवयुवकों को तैयार करना चाहिये।

आज वर्तमान युग में हमारे नवयुवक ग्रामीण क्षेत्रों से भाग रहे हैं और वे सिनेमा की सभ्यता के पीछे पड़े हुये हैं, शहरों की तरफ भाग रहे हैं। वे कोकोजम खाकर भी शहर की गंदी गलियों में रहना पसन्द करते हैं लेकिन गांवों की खुली हवा, दूध और घी उनको अच्छा नहीं लगता। उसका कारण यह है कि जो चीज उनके लिये शहरों में मौजूद है वह गांवों में उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती और इन चीजों की आसक्ति उन्हें यूनिवर्सिटी और कालेजों के ट्रेनिंग प्राप्त करते समय हो गयी है। आप देखेंगे कि पिछले १० वर्षों में ग्रामों से नगरों की ओर पलायन हुआ है। हजारों नवजवान ग्रामों की भूमि और कृषि को छोड़ कर शहरों की सड़कों पर घूमते फिरते हैं। कोकोजम खाकर रहते हैं। उनके चेहरों पर तेज नहीं और शरीर सूखे हुये हैं। इसलिये हमें विचार करने की आवश्यकता है कि हम कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। न तो शिक्षा शास्त्रियों ने, न सरकार ने, न विद्वानों ने और न जनता ने ही इस चीज को सुलझा पाया है कि कैसी शिक्षा देने के बाद इस देश का उपकार होगा। हमें देखना यह है कि किस शिक्षा के देने से देश का और प्रदेश का उपकार होगा। इस सम्बन्ध में मुझे

कठोपनिषद् का एक मंत्र याद आता है। लोग अपने को बहुत विद्वान् और पंडित कहते हैं और कहते हैं कि हम बहुत धीर हैं और विद्वान् हैं।

श्री अधिष्ठाता--अभी आप और बोलेंगे, इसलिये आप कल ५ मिनट और बोल लें। अब ५ बज चुके हैं, अब सदन समाप्त होता है, कल ११ बजे हम फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
७ मई, १९५६।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२९ पर।)

माँगें	कार्यवाही
१—बंगाली समितियों की सब तराई में बसे बंगाली परिवारों की सभी भूमि को एक बार फिर ट्रैक्टर द्वारा मुफ्त जोतवाया जाय।	भूमि फिर जोतवाना उचित नहीं है। भूमि की जांच कराने पर सरकार को ज्ञात हुआ था कि ३,५३०१/२ एकड़ भूमि को फिर से जोतवाना आवश्यक है। क्योंकि यह ट्रैक्टर से तोड़े जाने के पश्चात् खेती न होने से बंजर हो गयी है। उपर्युक्त भूमि को ट्रैक्टर द्वारा फिर से जोतवाया जा रहा है और उसमें से लगभग १,२०० एकड़ भूमि ट्रैक्टरों द्वारा फिर जोती जा चुकी है। भारत सरकार ने उक्त भूमि को फिर से तोड़वाने के लिये इस सरकार को ऋण दिया है। अतः इस भूमि को फिर से तोड़वाने का व्यय भी बंगाली समितियों पर ऋण माना जायगा।
२—सभी बंगाली परिवारों को न्याय-संगत ढंग से जीवन निर्वाह भत्ता देने का प्रबंध किया जाय। ..	पिछले वित्तीय वर्ष में २१० ऐसे बंगाली परिवारों को जो अपनी ८ एकड़ भूमि को या तो बिल्कुल नहीं जोत पाये थे या उसमें से केवल १ या २ एकड़ प्रति परिवार भूमि जोत पाये थे २५) प्रति परिवार प्रति मास के दर से ६ मास के लिये जीवन निर्वाह भत्ता दिया गया। सभी विस्थापित परिवारों को जीवन निर्वाह भत्ता देने का कोई औचित्य नहीं है।
३—जो बंगाली परिवार तराई में अपने आप आकर रह रहे हैं और जिनके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं है उन सब को भूमि तथा अन्य सुविधायें दी जानी चाहिये।	प्रदेशीय सरकार भारत सरकार द्वारा भेजे गए, केवल १,००० बंगाली परिवारों को तराई उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि पर बसाने के लिये भारत सरकार को अपनी सहमति दे चुकी थी अतः अपने आप आये हुये परिवारों को वहां बसाना सम्भव न था क्योंकि ऐसे परिवारों के बसाने के लिये भारत सरकार ने कोई भी धन इस सरकार को नहीं दिया है।
४—बंगालियों को पांच वर्ष तक ऋण की किस्तें तथा भूमि के किराये का भुगतान करने के लिये मजबूर नहीं किया जाना चाहिये।	भारत सरकार से प्रदेशीय सरकार ने प्रशंसा की है कि वह उपनिवेशन क्षेत्रों में बसे हुए विस्थापितों को दिये गये ग्रामीण ऋण की वसूली के समय को बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान करें किन्तु भारत सरकार ने इस विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। भूमि के किराये के विषय में सरकार ने यह निर्णय किया है कि बंजर भूमि पर उस समय तक किराया नहीं वसूल किया जायगा जब तक वह फिर से ट्रैक्टर द्वारा तोड़वा न दी जाय।
५—बंगाली कालोनी के बीच में एक अस्पताल खोलने तथा उसके लिये एक बंगाली डाक्टर नियुक्त करने का प्रबन्ध किया जाय।	गांव दिनेशपुर में, जो कि बंगाली कालोनी के बीच में है, सरकार ने एक डिस्पेन्सरी की इमारत बनवा दी है। इस अस्पताल को चलाने का प्रबन्ध हो रहा है और जहां तक सम्भव होगा बंगाली जानने वाला डाक्टर वहां रखा जायगा।
६—बंगाली कालोनी के बीच में जानवरों के लिये एक अस्पताल खोला जाना चाहिये।	इस विषय में सरकार ने खेद प्रकट किया है किन्तु तराई बंगाली उद्वास्तु समिति को यह भी सूचित किया है कि पशु-पालन विभाग रुद्रपुर में एक जानवरों का अस्पताल खोलने के विषय में सोच विचार कर रहा है ताकि उस

मांगें	कार्यवाही
	अस्पताल से तराई उपनिवेशन क्षेत्र के सभी निवासियों को लाभ पहुंच सके ।
७—बंगाली कालोनी को हर २ या ३ समितियों के बीच में एक प्राइमरी स्कूल खोला जाय तथा उन स्कूलों के बंगाली अध्यापक रखें जांय ।	यह तो सम्भव नहीं है किन्तु बंगाली कालोनी में ४ प्राइमरी स्कूल अब तक खोले जा चुके हैं और भारत सरकार से प्रशंसा की गई है कि वे ऐसे ३ और स्कूल बंगाली कालोनी में खोलने के लिये आवश्यक अनुदान दें । वहां बसे हुए बंगाली परिवारों में यदि कोई व्यक्ति शिक्षक के पद के लिये आवेदन पत्र देंगे तो सम्बन्धित अधिकारी उन पर विचार करेंगे ।
८—बंगाली कालोनी की हर २ या ३ समितियों के बीच में एक नलकूप बनाया जाय ।	बंगाली कालोनी के २७ गांव में एक-एक नलकूप बनाने के लिये सरकार ने एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, तराई प्लानिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन्स डिवीजन, बरेली, को स्वीकृति दे दी है ।
९—बंगालियों के आपस के छोटे-छोटे झगड़ों को न्याय करने के लिये एक पंचायती अदालत स्थापित की जानी चाहिये ।	तराई उपनिवेशन क्षेत्र को पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत ले लिया गया है ।
१०—उन ३ ब्राह्मण राजनीतिक पीड़ितों को जिनको खानपुर नं० १ बंगाली समिति में भूमि पर बसाया गया है वहां से हटा दिया जाय ।	इस मांग का न तो कोई औचित्य है और न इस पर किसी नियम के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है ।
११—पहले जो सूची उन बंगाली परिवारों की बनाई गई थी जिनमें प्रति परिवार ८ या ८ से अधिक सदस्य हैं और जिनको दो परिवारों में अलग करके और भूमि तथा आर्थिक सहायता दी जा रही है वह ठीक नहीं है क्योंकि उसमें ऐसे परिवारों के नाम सम्मिलित हैं जो कि कालोनी में मौजूद नहीं हैं और उसमें ऐसे परिवारों के नाम नहीं हैं जिनको दो भाग में अलग करने की आवश्यकता है । अतएव ऐसे परिवारों की संशोधित सूची तराई बंगाली उद्वास्तु समिति द्वारा बनवायी जाय ।	तराई बंगाली उद्वास्तु समिति को सूचित कर दिया गया है कि वह इस विषय में अपने प्रस्ताव जिलाधीश, नैनीताल को भेजे ताकि वह उनकी जांच करके सरकार को सूचित करें कि उन्होंने जो प्रशंसा सरकार को भेजी थी क्या उसमें किसी संशोधन की आवश्यकता है या नहीं ।
१२—तराई के बंगालियों के लिये जिस माध्यमिक विद्यालय की स्वीकृति भारत सरकार जायगा ।	इस विषय में सोच विचार किया जा रहा है । जो भी स्थान अधिक उपयुक्त समझा जायगा वहीं विद्यालय खोला जायगा ।

मांगें	कार्यवाही
ने दी है उसे गदरपुर के बजाय दिनेशपुर में खोला जाय ।	
१३—तराई की बंगाली कालोनी के लिये भारत सरकार ने जिस व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (vocational Training Centre) की स्वीकृति दी है उसे सखानपुर के बजाय दिनेशपुर में खोला जाना चाहिये ।	इस प्रशिक्षण केन्द्र को दिनेशपुर में ही खोलने का निर्णय किया गया है ।
१४—दिनेशपुर में एक डाक-घर खोला जाय । . .	इस विषय में सरकार ने पोस्ट-मास्टर-जनरल (Post Master General) उत्तर प्रदेश को लिखा था। उन्होंने डाकघरों के निरीक्षक से रिपोर्ट मांगी है ।
१५—मछली पालने के तालाबों का नियोजन, प्रबंध तथा निर्माण न्यायसंगत ढंग से होना चाहिये । . .	मछली पालने के तालाब बनाने के विषय में भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे गये थे किन्तु उन्होंने इसके लिये धन देना अस्वीकृत कर दिया है । अब इस विषय पर सरकार का पशु-पालन विभाग सोच विचार कर रहा है ।
१६—श्री ए० के० मुकर्जी, सहकारी निरीक्षक का स्थानान्तरण रद्द कर दिया जाय ।	प्रशासन के हित में इस मांग को स्वीकार करना उचित नहीं है ।

हुकुमसिंह विसेन,
मंत्री ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३० पर।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र (१९५६) के ८वें सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर में प्रसंगित

विवरण-पत्र

(१)	असिस्टेन्ट रिकार्ड आफीसर	२	(११)	नायब नाजिर ..	१
(२)	सरवे नायब तहसीलदार ..	२	(१२)	लिपिक	२
(३)	सरवे एक्सपर्ट ..	२	(१३)	मुनसेरिम	१
(४)	फील्ड इन्सपेक्टर ..	९	(१४)	नायब मुनसेरिम	१
(५)	अमीन	९३	(१५)	मुहर्रिर	२१
(६)	ड्राफ्ट्समैन ..	२	(१६)	असिस्टेन्ट रिकार्ड कीपर ..	१
(७)	ट्रेसर	७	(१७)	कापिस्ट	१
(८)	रीडर	१	(१८)	कुली	२७९
(९)	अहलमद ..	१	(१९)	चेनमैन	९
(१०)	सीनियर क्लर्क ..	१	(२०)	चपरासी और प्रासेस सर्वर ..	१२
				योग ..	४४८

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३३ पर)

विधान सभा की ८वें सोमवार की बैठक के लिये पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१ के उत्तर में प्रसंगित सूची

न्यायालय का नाम	१६ दिसम्बर, सन् १९५५ के लिये रक्खे गये मुकदमों की संख्या के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण		१७ दिसम्बर, सन् १९५५ के लिये रक्खे गये मुकदमों की संख्या के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण		२४ दिसम्बर, सन् १९५५ के लिये रक्खे गये मुकदमों की संख्या के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण		विशेष
१—जिलाधीश	२७	माल मंत्री जी के आगमन के कारण उस दिन जिलाधीश मुकदमें नहीं ले सके	..	जिलाधीश का इजलास का दिन न होने के कारण कोई मुकदमा न था।	..	जिलाधीश के इजलास का दिन न होने के कारण कोई मुकदमा न था।	राज्य सरकार द्वारा २६ दिसम्बर सन् ५५ की छट्टी की घोषणा हो जाने के कारण उस दिन किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं हुई।
२—परगनाधीश	६	एक मुकदमे में साक्षियों के बयान लिये गये और शेष में तारीखें दी गयीं।	..	कोई मुकदमा नहीं था।	..	कोई मुकदमा नहीं था	
३—अतिरिक्त परगनाधीश सदर	६७	१० मुकदमों में साक्षियों के बयान लिये गये, एक मुकदमें में निर्णय हुआ और चार मुकदमों में बहस नहीं सुनी गई। शेष मुकदमों में कोई कार्यवाही नहीं हुई।	५४	१५ मुकदमों में गवाहों के बयान लिये गये, चार मुकदमों में बहस सुनी गई और शेष में तारीखें दी गयीं।	५६	चार मुकदमों में बयान लिखे गये, दो में फैसला सुनाया गया एक में अभियोग पत्र लगाया गया और शेष में तारीखें दी गईं।	
४—परगनाधीश फूलपुर	३२	१३ मुकदमों में फैसला हुआ, दो में गवाहों के बयान लिखे गये ४ को स्थानान्तरित किया गया और शेष में कोई कार्यवाही नहीं हुई।	३३	माल मंत्री जी के आगमन के संबंध में व्यस्त होने के कारण उस दिन परगनाधीश किसी भी मुकदमें पर कोई कार्यवाही नहीं कर सके।	१८	३ मुकदमों में साक्षियां हुईं ८ में निर्णय हुआ और शेष में तारीखें दी गईं।	

न्यायालय का नाम	१६ दिसम्बर, सन् १९५५ के लिये रक्खे गये मुकदमों की संख्या के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण	१७ दिसम्बर, सन् १९५५ के लिये रक्खे गये मुकदमों की संख्या के सम्बन्ध में की गई कार्य-वाही का विवरण	१४ दिसम्बर, सन् १९५५ के लिये रक्खे गये मुकदमों की संख्या के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण	विशेष
५—परगनाधीश लालगंज	९ परगनाधीश राजकीय कार्य-वश तहसील चले गये, अतः मुकदमों पर कोई कार्यवाही न हो सकी।	१७ ८ मुकदमों में गवाहों के बयान लिये गये, ४ में बहस सुनी गई, ४ में फैसला सुनाया गया और शेष एक में सबूत दाखिल हुआ।	१५ ७ मुकदमों में बयान लिखे गये ३ में बहस सुनी गई, ३ में निर्णय दिया गया और शेष में तारीख दी गई।	
६—परगनाधीश सगड़ी	११ ५ मुकदमों में फैसला हुआ, ४ में बहस सुनी गई और शेष में तारीखें दी गयीं।	४ १ मुकदमा में गवाहों का बयान लिखा गया और शेष में तारीखें दी गईं।	४१ ३ मुकदमों में निर्णय हुआ, एक में बहस सुनी गई, ४ को स्थानान्तरित किया गया और शेष में नियोजन समिति सगड़ी की बैठक होने के कारण तारीख दी गई।	
७—परगनाधीश मुहम्मदाबाद	१२ शरद् कालीन दौरे के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई।	.. कोई मुकदमा नहीं था	.. कोई मुकदमा नहीं था।	
८—परगनाधीश धोसी	४३ शरद्कालीन दौरे के कारण परगनाधीश अन्य शासकीय कार्यों में व्यस्त थे, अतः कोई कार्यवाही नहीं हुई।	४८ शासकीय कार्य में व्यस्त होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई।	३४ प्रार्थियों तथा प्रति प्रार्थियों के आवेदन-पत्र देने तथा उभय पक्ष में से किसी पक्ष की अनुपस्थिति के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई।	

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३६ पर।)

क्रम-संख्या	वस्तुओं के नाम	१९५३-५४ में दी गई तादाद	१९५४-५५ में दी गई तादाद
१	सफ़ेद काग़ज़	३ रिम १६ दस्ते	४ रिम १२ दस्ते
२	सरकारी कागज	१४ दस्ते	१२ दस्ते
३	बादामी कागज़	शून्य	५ रिम ८ दस्ते
४	ब्लाटिंग पेपर	४८ शीट्स	५८ शीट्स
५	वाटर मार्क पेपर	शून्य	१ रिम
६	कार्बन	१००	१७०
७	निब	३ ग्रास १००	२ ग्रास ९६
८	पेन्सिल लेड	३०	२९
९	लाल नीली पेन्सिल	११	८
१०	कापिंग पेन्सिल	१५	८
११	दावात	४	४
१२	थ्रैड बाल	८	९
१३	स्टाम्प पैड	५	३
१४	स्टाम्प इंक	११ शीशी	१२ शीशी
१५	होल्डर	८	२०
१६	नीली स्याही	१५ टिन	१४ टिन
१७	लाल इंक पैकेट	४	३
१८	इंक स्टैन्ड	३	२
१९	पिन पैकेट्स	९	१२
२०	गोंद	१ सेर	१/२ सेर
२१	सुइयां	४	७
२२	टैग्स	२००	१००
२३	चाकू	२	३
२४	सादे रजिस्टर	४	८

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४५ पर।)

प्रश्न संख्या ५५ के संबंधित सूची

प्रभावित ग्रामों के नाम:—

१—कुआंखेड़ा वजीर आलम खां	..	१६—जिजपुरा	
२—शंकरपुर देहामाफी	..	१७—कुअरपुर इमलाक	
३—भग्गीपुर उमराहा	..	१८—भगौतीपुर	
४—सुल्तानपुर पलनापुर	..	१९—नुनवारा	
५—होतेपुर	..	२०—पट्टी मदारी	
६—हरकरनपुर	..	२१—हमीरपुरकाजी	
७—जेदपुर	..	२२—कम्पित	
८—जौरा		२३—सिकन्दरपुर खास	
९—सुल्तानपुर रामकुवांर	..	२४—कुवरपुर खास	
१०—कादरदादपुर सराय	..	२५—आकरबाद	
११—पुरौरी	..	२६—इकलहरा	
१२—बहलोलपुर	..	२७—लक्ष्मीदासपुर	
१३—अब्दुलरहमानपुर	..	२८—राईपुर चिनघटपुर	
१४—मेदपुर	..	२९—अतग्गापुर	
१५—रायपुर			

फसल के नाम जिनको हानि पहुंची				हानि की मात्रा आनों में
गेहूं	..	..	..	२ आने से ४ आना तक
जौ	..	..	..	६ आना से ८ आना तक
चना	..	..	..	१ आना से ४ आना तक
मटर	..	..	..	४ आना से १० आना तक
गन्ना	..	..	..	१ आना से २ आना तक
तम्बाकू	..	..	..	६ आना से १४ आना तक

पी०एस० यु० पी० ए० पी०—५० एल० ए०—१९५६-७९६।